Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का १६वां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, दिनांक १२ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[श्रम, गृह, यातायात, आयर्वेद, वन, विधि, सार्वजनिक निर्माण, मुद्रण एवं जन-सम्पर्क विभाग]

डिविजनल ईवेल्यूएशन एण्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी

२६३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उदयपुर के वर्तमान श्रम अधिकारी डिवीजनल ईवेल्यूएशन एण्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के चेयरमैन हैं ?

(२) क्या इस कमेटी के समक्ष कोड ऑफ कन्डक्ट को भंग करने व मजदूरों और मालिकों के बीच हुए समझौते के नॉनइम्पलीमेन्टेशन की कोई शिकायतें पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्या उनको हल करने के लिये कमेटी की कोई मीटिंग बुलाई गई है ? यदि बुलवाई गई, तो उसका क्या निर्णय रहा और क्या उसे क्रियान्वित किया गया ?

उप-मंत्री श्रम, (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) भीलवाडा के वर्तमान श्रम अधिकारी उदयपुर खण्ड के लिये डिवीजनल इम्पलीमेन्टेशन एण्ड ईवेल्यूएशन कमेटी के चेयरमैन हैं उदयपुर में, अलग से कोई श्रम अधिकारी नहीं रहता है ।

(२) इस कमेटी के समक्ष सात शिकायतें पेश हुई थीं । ६ शिकायतों में शिकायतों का पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में न होने से और जानकारी मांगी गई है । और अब ये मामले ४-३-६३ को निपटा दिये गये हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने एम्पलायर्स के खिलाफ शिकायत हैं कि उन्होंने कोड ऑफ कन्डक्ट को तोडा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है इस समय, लेकिन इस मिल को गवर्नमेंट ने अन्डरटेक कर लिया था; इसलिए ये मामले इतने समय तक विचाराधीन रहे । अब इनके बारे में आपस में बैठ कर फैसला कर दिया गया है ।

Page No 2

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह नहीं है कि आपस में बैठकर फैसला कर दिया है। कमेटी को यह रिपोर्ट मिली कि कोड ऑफ कन्डक्ट का वायोलेशन किया गया है, उस पर कमेटी ने क्या कार्यवाही की। प्रश्न इतना सा है, जब रिपोर्ट मिली, ईवेल्यूएशन एण्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी को कि कोड ऑफ कन्डक्ट भंग कर दिया गया है कमेटी ने तो क्या कार्यवाही की, लेबर आफिसर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कमेटी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि मिल गवर्नमेंट ने अन्डरटेक करली; इसलिए आपस में बैठकर बात कर लो।

श्री अध्यक्ष : पार्टी को बुलाया गया या वैसे ही आपस में बैठ कर फैसला कर लिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पार्टी को बुलाया। सूती मिल के प्रतिनिधि को बुलाया, हमारे प्रतिनिधि थे और लेबर के प्रतिनिधि थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार प्रश्न को समझती नहीं है। किस मालिक को बुलाया गया ? मेरा प्रश्न भीलवाडा से सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न को गौर से देखें। दूसरा प्रश्न यह है "क्या इस कमेटी के समक्ष कोड ऑफ कन्डक्ट को भंग करने व मजदूरों और मालिकों के बीच हुए समझौते के नॉन इम्पलीमेन्टेशन की कोई शिकायतें पेंडिग हैं" ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : भीलवाडा के सिवाय उदयपुर खण्ड की हमारे पास कोई शिकायत पेंडिग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

हरिजन सिपाही—पुलिस लाइन, अलवर

२६४. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर पुलिस लाइन में हरिजन सिपाहियों के साथ छूआछूत की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि लंगर में उनके प्रवेश पर पाबन्दी है जब कि दूसरे लोगों को लंगर में आने-जाने की छूट है ?

(३) क्या यह सही है कि हरिजन सिपाहियों को रोटी पानी अलग से दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस किस्म के व्यवहार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। हर जाति का सिपाही लंगर में जा सकता है।

(३) जी नहीं। इस प्रकार का कोई भेद भाव नहीं है। अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हरिराम चौहान : लंगर में खाने का प्रबन्ध क्या है ? किस तरह से वहां किसी नोकर को रखा जाता है—या नम्बरवार खाना बनाया जाता है ?

श्री भीमसिंह : आम तौर पर फौज और पुलिस के लंगर जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं।

श्री हरिराम चौहान : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिपाही नम्बर से खाना बनाते हैं या और कोई सिस्टम है?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): लंगर के लिये क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स रखे जाते हैं और पुलिस लाइन, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर खाना बनता है और सब साथ बैठ कर खाते हैं।

श्री रामकिशन (बैर): किस जाति के हैं?

श्री मथुरादास माथुर: किस जाति के हैं, जो नौकर हो जाता है, वही बनाता है।

श्री रामकिशन: ऐसी शिकायतें हैं, कि हरिजनों के साथ भेदभाव होता है। आपकी जानकारी में क्या कोई हरिजन रसोइया है?

श्री मथुरादास माथुर: यह नहीं कह सकता हरिजन रसोइये भी हो सकते हैं, मुसलमान रसोइये भी हो सकते हैं। कई कौमों के रसोइये होते हैं। पुलिस भर्ती में यह नहीं देखा जाता है।

श्री रामकिशन: आप सैद्धान्तिक जवाब दे रहे हैं, वह समझ गया। लेकिन क्या कोई ऐसी शिकायत है?

श्री मथुरादास माथुर: आप प्रोसीजर पूछ रहे हैं, वह बता रहा हूं। आप कोई केस बतावें तो मैं इसकी जांच करूंगा। वैसे खाने के लंगर में भेदभाव नहीं है। सब साथ बैठ कर खाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि अलग अलग बैठाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर: यह गलत है। स्पेशल तरह से बैठाने की व्यवस्था नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या आपने जांच करली है कि इस तरह अलग नहीं बैठाया जाता है क्योंकि अधिकारी आब्जेक्शन करते हैं। इधर उधर बैठाने का प्रबन्ध है, इसकी जांच की है?

श्री मथुरादास माथुर: जांच करली है, किसी पुलिस लाइन में अलग बैठाने का प्रबन्ध नहीं है।

श्री हरिराम चौहान: क्या कहीं हरिजनों ने आज तक लंगर में खाना बनाया है?

श्री मथुरादास माथुर: मैंने कहा कि लंगर में हरिजन भी खाना बनाते हैं। अलवर की मैं नहीं कह सकता कि वहां बनाते हैं या नहीं। जोधपुर में है, एक आध है। पुलिस लंगर में मुसलमान भी होते हैं हरिजन भी होते हैं। सभी कौमों के लोग पुलिस में काम करते हैं। पुलिस में कोई कौम नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: पुलिस तो एक जुदा कौम है।

नेक्सट

राजस्थान स्टेट रोडवेज में शिकायतें सम्बन्धी प्रक्रिया

२६५. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): Will the Minister for Transport be pleased to State:—

(1) Whether the 'Grievance Procedure' has been framed by the Rajasthan State Roadways under the Code of Discipline?

(2) If not, why and when it is expected to be framed?

उप-मंत्री स्टेट एन्टरप्राइज (श्रीमति कमला बेनिवाल):

(1) It is under preparation.

Page No 4

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) It is to be enforced very shortly.

श्री कुमारानन्द : आपका जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा जोर से बोलिये समझ में आ जावेगा ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (1) It is under preparation.

(2) It is to be enforced very shortly.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह प्रश्न हिंदी में है और इसका जवाब अंग्रेजी में क्यों दिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न अंग्रेजी में है ।

श्री कुमारानन्द : कितने दिनों में कितने महीनों में ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : १।। महीने में ।

श्री अध्यक्ष : Very shortly.

आयुर्वेद विभाग में प्रशासनिक संचालक के पद पर आर० ए० एस० की नियुक्ति

२६६. **श्री छोटूराम** (नीम का थाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की आयुर्वेद विभाग के लिये आर. ए. एस. व्यक्ति को प्रशासनिक संचालक नियुक्त करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक हो जावेगी ?

उप–मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) :

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

वैद्यों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने के अधिकार

२६७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ वैद्यों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट देने के अधिकार है ? यदि हां, तो ये अधिकार किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि राज्य में ऐसे भी योग्य व अनुभवी वैद्य हैं जिन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वैद्यों को भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार देना चाहती है जिनसे बहुत से लोग इलाज कराते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) राजस्थान के उन सभी वैद्यों को जो इन्डियन मेडिसियन्स एक्ट, १९५३ के अधीन इन्डियन मेडिसियन्स बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने के अधिकार दिये गये हैं ।

(२) जिन वैद्यों का राजस्थान इन्डियन मेडिसयेन्स एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे नियमानुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत नहीं हैं । सरकार नियम के विरुद्ध उनको सर्टिफिकेट देने के अधिकार नहीं दे सकती ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि ऐसे वैद्य और डाक्टर हैं जो सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं लेकिन दवाइयों के बिलों पर एटेस्टेशन नहीं कर सकते इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वे लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन दवाइयों के बिल पर एटेस्टेशन नहीं कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेडिकल सर्टिफिकेट कानून के अनुसार दे सकते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : क्या अनआथोराइज्ड लोग हैं वे प्रेक्टिस नहीं करते हैं और क्या आप यह बता सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम करने का उनको अधिकार है ?

श्री दौलतराम सारण : बगैर रजिस्ट्रेशन प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री अब्दुल जब्बार : अगर वे करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री जयनारायण सालोदियया: मेरा प्रश्न तो बिल्कुल साफ है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न तो सर्टिफिकेट के लिये है, वह तो वे देते ही हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: अध्यक्ष महोदय, सर्टिफिकेट तो वे दे सकते हैं, मगर बिलों को वेरीफाई नहीं कर सकते। इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष:—किसको दिक्कत होती है? वह तो सरकारी अधिकारियों को दिक्कत होती है। पब्लिक पर इसका क्या असर पडता है ?

श्री जयनारायण सालोदिया: वे लोग इलाज तो किसी से कराते हैं और बिल झूठे उनको दूसरों से बनवाने पडते हैं। इस प्रकार का प्रचलन है। किसी से झूठे बिल बनवा लेते हैं, वास्तव में दवाइयें नहीं लेते। मैं आपसे यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि उस बिल के बदले में उनसे वे लोग तौलियें खरीद लेते हैं, साबुन खरीद लेते हैं। इसलिये उन लोगों को भी अधिकार हो कि वे बिलों पर दस्तखत कर सकें ताकि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है वह बन्द हो।

श्री अध्यक्ष:—माननीय सदस्य को किसी खास बिल की जानकारी हो तो आप बतावें। गोलमाल चार्ज लगाना तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है और न आप इस तरह के चार्ज लगा सकते हैं।

राजस्थान पुलिस हेतु लोहे के पलंगों की खरीद

२६८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान पुलिस के लिये एक लाख रुपये के लोहे के पलंग खरीदने के लिए टेण्डर कॉल किये गए थे ?

(२) यदि हां, तो कितने और किस किस रेट के टेण्डर प्राप्त हुए और किस किस फर्म के टेण्डर्स आए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 6

(श्री अब्दुल जब्बार)

(३) ये लोहे के पलंग किस फर्म द्वारा सप्लाई किये जायेंगे और कब तक और डिलीवरी कहां दी जायगी ?

(४) क्या ऐसे ही पलंग पहले खरीदे गए हैं ? यदि हां, तो कौन से सन् में और किस भाव में खरीदे गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां ।

(२) कुल १४ टेन्डर प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं । सूची आप कहें तो पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष : सूची बहुत बडी है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : बडी है ।

श्री अध्यक्ष : बाद में दे दीजिये ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार : आप बाद में पढ लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : (३) सरकार को राजस्थान ट्रन्क कम्पनी, जयपुर का टैण्डर स्वीकार करने को विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ किन्तु उक्त फर्म के मुकर जाने से सरकार ने यह खरीद डी. जी. एस. एण्ड डी. न्यू. देहली के मार्फत स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड कलकत्ता से करने को आदेश दिया है । फर्म ने १६-६-६३ तक एफ. ओ. आर. कलकत्ता डिलीवरी देने को तथा सप्लाई १५-३-६३ से शुरू करने का वादा किया है ।

(४) जी हां, सूचना निम्न प्रकार है :

फर्म	अवधि व कीमत
(१) सत्य व्यवहारिक कम्पनी, जयपुर	रु० २६.७१ न० पैसे (३,७०६ पलंग) व बिक्री कर ।
(२) फरसिया ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	रु० २७.९४ न. पै. व बिक्री कर ।

श्री अब्दुल जब्बार : ये पलंग बाहर से खरीदे और यहां से टेण्डर इन्वाइट किये थे उन दोनों की कोस्ट में गवर्नमेन्ट को कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अब तो टेण्डर की क्या पोजिशन होगी ? अभी यह जो ट्रान्जेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में छानबीन करना जरूरी नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : एक फैक्ट्री के टेण्डर स्वीकार हो गये हैं और जयपुर से नहीं लिया गया है यह कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर की फर्म मुकर गई थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये पलंग पुलिस के किन कर्मचारियों को दिये जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सिपाहियों को दिये जाते हैं ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इनके स्पेसिफिकेशन क्या हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह टेण्डर में दिया हुआ है ।

श्री भैरोंसिह : जानकारी नहीं है, इसलिये पूछ रहे हैं ।

Page No 7

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सभी सिपाहियों को दिये जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ये पुलिस लाइन में रखे जाते हैं और जो लोग वहां रहते हैं उनके, लिये होते हैं । ये स्प्रिंगदार नहीं होते हैं पत्तियों के पलंग होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें पत्तियें नहीं लगी हुई हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वे लगेंगी और कम्पनी लगावेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

ग्राम बोरवा, तहसील भीम में घास, चारे एवं जल का अभाव

२६९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में बोरवा गांव के क्षेत्र में इस साल घास, चारे व पानी की बडी कमी है और मवेशियों को काफी कठिनाई हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांव म वन विभाग की ओर से पैडोक्स (Paddocks) कायम किये लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं और उनमें मीठे पानी का झरना भी है ?

(३) उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन पैंडोक्स में से एक में मवेशियों के चरने के लिये इजाजत देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, गांव बोरवा के निकटवर्ती रिजर्व फोरेस्ट में ३ पैंडोक्स हैं जो क्रमशः सन् १९५७, १९५८ व १९५९ में कायम किये गये थे । उसमें से एक में पानी का झरना है ।

(३) जी हां, घास कटाई तो हर वर्ष होती है । इस वर्ष वर्षा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए १९५७ के पैंडोक्स को १५ जून तक खोलने के आदेश दिये गये हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : धन्यवाद ।

जयपुर-कोटा रूट पर अव्यवस्था—स्टेट रोडवेज

२७०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से कोटा जाने वाली सडक पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की सारी व्यवस्था ठीक नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रूट पर रोडवेज की बस अक्सर समय पर सवारियों को निश्चित् स्थान पर नहीं पहुंचाती है, जिससे अन्य लाइनों पर जाने वाले मुसाफिरों को आवागमन के अन्य साधनों से मेल नहीं होने से परेशानी होती है ?

(३) क्या यह सही है कि गाडी नम्बर ८५८७ जो दिनांक २४-७-६२ को सुबह ८ बजे जयपुर से चलकर करीब १ बजे टोंक पहुंची जिससे सरकारी कर्मचारियों को जिनको कि ११ बजे दफ्तर पहुंचना था परेशानी हुई व अन्य सवारियों को भी पेशी आदि पर पहुंचने में माली नुकसान का खतरा रहा ?

Page No 8

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(४) क्या यह सही है कि मैं उक्त गाडी से टोंक तहसील की पंचायत नातडी को भूमि अलॉटमेन्ट की मीटिंग में भाग लेने जा रहा था पर गाडी निश्चित् समय पर नहीं पहुंचने से अन्य साधन न मिलने से बडी परेशानी हुई ?

(५) क्या यह सही है कि गाडी में लिखी हिदायत के आधार पर मैंने कन्डक्टर से शिकायत की पुस्तक मांगी तो उसनें देनें से लिखित में इन्कार किया ?

(६) क्या यह सही है कि रोडवेज का किराया भी रेल्वे से कहीं अधिक है, जब कि सरकार का कहना है कि रेल्वे व रोडवेज के किराये में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा ?

(७) क्या यह सही है कि निश्चित् स्टेन्ड पर से भी कन्डक्टर गाडी खाली ले जाते हैं व सवारियों को स्टेन्ड पर ही छोड देते हैं जिससे सरकारी आय में नुकसान होता है ?

(८) क्या सरकार उस व्यवस्था को ठीक करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक व कैसे ?

उप-मंत्री, स्टेट एन्टरप्राइज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी, यह सही नहीं है ।

(२) जी नहीं, रोडवेज की गाडियां निश्चित् समय पर ही सवारियों को यथा-स्थान पर पहुंचाती हैं ।

(३) जी नहीं, गाडी १२.०० बजे पहुंच गई थी जबकि उसे ११.१५ बजे पहुंच जाना चाहिये था ।

(४) जी हां, लिखित शिकायत में नाम लिखा अवश्य होगा, अतः याद का सवाल नहीं उठता ।

(५) जी, यह सही है कि गाडी में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण उसने इन्कार किया ।

(६) जी नहीं, संलग्न किराया सूची इस बात का प्रमाण है ।

(७) जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(८) सरकार प्रयत्नशील है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप फरमा रहे हैं कि गाडी बारह बजे पहुंची है, मैं उसी गाडी से रन कर रहा था, गाडी १.०० बजे पहुंची है ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आपकी घडी में फर्क होगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : घडी में फर्क नहीं, गाडी लेट १ बजे पहुंची है ।

श्री मथुरादास माथुर : दोनों ही बातें हो सकती हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कम्प्लेन्ट बुक मैंनें मांगी है, उसने इन्कार कर दिया, इसके लिये आपके पास क्या जवाब है, आपके पास इतल्ला पहुंचाने का क्या तरीका है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंजूर किया है कि आपने कम्प्लेन्ट बुक मांगी थी, उसने नहीं दी । कन्डक्टर के

Page No 9

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
पास कम्प्लेन्ट बुक नहीं थी, कई जगह कम्प्लेन्ट बुक्स पूरी होगई थी, वहां पहुंची नहीं थी, अब सब जगह पहुंचा दी गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कानून के माफिक कम्प्लेन्ट बुक रखना आवश्यक होता है, सरकार कानून में एक्सेप्शन कराये, कानून के माफिक जो कम्प्लेन्ट बुक रखनी चाहिये वह नहीं थी तो उसके लिये सरकार की मोटर का चालान हुआ है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: चालान हुआ या नहीं, यह तो अलग सवाल है। कुछ कम्प्लेन्ट बुक्स पूरी हो जाती हैं, देने में देर हो जाती है, यों कम्प्लेन्ट बुक रखना बहुत जरूरी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सवाल यह है कि यहां सरकार द्वारा एडमिट किया जा रहा है, सरकार एडमिट कर रही है कि कानून को तोडा, डिप्टी मिनिस्टर महोदया एडमिट कर रही हैं कि हमने कानून को तोडा है, तो कानून तोडने का आपको हक नही है चाहे दूसरों द्वारा अनजाने में टूट जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

न्यायाधीशों के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत मामले

जिला बीकानेर

२७१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले के न्यायाधीशों में से प्रत्येक के पास गत तीन वर्षों में कुल कितने-कितने मामले आये तथा उनमें से कितने-कितने निपटाये गये ?

(२) किन किन न्यायाधीशों के पास ऐसे कितने मामले हैं जो १ वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने पर भी अनिर्णीत पड़े हैं ?

उप-मन्त्री, विद्युत, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): बीकानेर जिले के न्यायाधीशो में से प्रत्येक के पास पिछले तीन वर्षों में कुल आए व निबटाये गये मुकदमों तथा एक वर्ष से अधिक के पेंडिग मुकदमों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास: क्रिमिनल मामलों की संख्या में बताया है, एक साल से अधिक का कोई मामला नहीं है तो क्या यह सही है······

गृह मन्त्री, श्री मथुरादास माथुर: किस कोर्ट का केस आप पहले साफ बता दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास: डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज दोनों का कोई केस लिखा ही नहीं······

श्री मथुरादास माथुर: नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा: लास्ट कालम है।

Over one year old cases.

इसमें जितने केसेज हैं, १३२, केसेज ऐसे हैं जो एक साल से अधिक अलग अलग जगह पेन्डिग हैं।

Page No 10

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इनमें मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के केसेज भी शामिल हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट दोनों के।

श्री मुरलीधर व्यास : ४४ केसेज एक से अधिक के पेंडिंग हैं, उसका क्या कारण है ?

प्रश्न संख्या २७२

श्री अध्यक्ष : (श्री गणपतिलाल वर्मा)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७३

श्री विजय सिंह झाला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७४

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७५

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७६

श्री देवीलाल

(अनुपस्थित)

पाइप लाइन, बीकानेर नगर

२७७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर शहर में अब तक कुल कितने फीट पाइप लाइन कहां कहां पर बिछाई गई, उसका एक नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(२) इस पाइप लाइन को बिछाने में कुल कितना खर्च हुआ ?

(३) यह पाइप लाइन किसके द्वारा बिछाई गई ?

(४) लाइन बिछाने के बाद लाइन कहां कहां से लीक हुई ? कहां कहां पाइप फटा तथा कितना नुकसान हुआ ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) बीकानेर नगर में अब तक कुल २,३२,१६८ आर. एफ. टी. पाइप लाइन बिछाई गई। नक्शा संलग्न है।

(२) इस पाइप लाइन को बिछाने में कुल १,१९,४९७) रुपया खर्च हुआ।

(३) यह पाइप लाइन विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा बिछाई गई।

(४) पाइप लाइन बिछाने के बाद कई स्थानों पर लीक हुई है और पाइप फटा। सूची संलग्न है। विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : नं० ३ में बताया गया है कि सरकार और ठेकेदार दोनों द्वारा पाइप लाइन बिछाई गई, तो सरकार द्वारा

Page No 11

(श्रीमुरलीधर व्यास)

कितनी और ठेकेदार द्वारा कितनी लाइन बिछाई गई ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : अधिक काम ठेकेदार द्वारा हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों का अलग अलग बतायें।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : ठेकेदार द्वारा २२१ हजार फुट।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार द्वारा ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : बाकी रही, वह सरकार द्वारा?

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो करीब करीब ठेकेदार द्वारा ही बिछाई गई है।

१२० जगह पर लीकेज का बताया गया है नम्बर भी दिया है जो मेरा दिया है उसमें दो वार्ड ऐसे हैं जिनमें लोगों के मकान गिरे थे तो इससे जाहिर होता है कि १२० से भी ज्यादा जगह पाइप लाइन फटी हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : २३२ हजार फीट की पाइप लाइन बिछाई जाती है तो वहां २० हजार जोड़ होते हैं, जोड़ों में लीकेज संभव है, जिन मकानों की शिकायत हुई उनकी मरम्मत करदी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर लाइन फटने के कारण क्या हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फटी कहीं नहीं, लीक हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मन्त्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि फटी है, २५ प्रतिशत जगह पर पाइप लाइन फटी है। फटने की परिभाषा क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): प्रेशर ज्यादा पडता है तो हेयर क्रैक्स होजाते हैं उनसे फट जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : पाइप लाइन फटती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हां, फटती है।

श्री मुरलीधर व्यास : टैस्ट नहीं किया जाता क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : टैस्ट में ही फटती है।

श्री मुरलीधर व्यास : १२० लीकेजेज में तो सारा शहर आगया सारे शहर में पाइप लाइन बिछाई है तो सब जगह फटी है तो यह लापरवाही इन्जीनियर और ठेकेदार दोनों की है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो स्वीपिंग बड़ा रिमार्क आपने दे दिया है। It is a usual thing ऐसी बात नहीं है प्रेशर पडता है तो वीक पाइप होता है वह फट जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : २० हजार जोइन्ट्स हैं तो जहां लीकेज हुआ वहां डिपार्टमेन्ट नें खुदनें जानकारी करके रिपेअर्स कर दिये या जनता द्वारा शिकायत करने पर कई दिनों की टालमटूल के बाद रिपेअर्स किये गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिपार्टमेन्ट की जानकारी में आया और रिपेअर्स करा दिये।

Page No 12

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो क्या डिपार्टमेन्ट ने जानकारी की, कि मशीनरी रखी थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि वाटर टैंक खोला गया था, उसके खोलते ही उसी दिन पाइप लाइन फट गई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसी दिन फटती है, आप सुन नहीं रहे हैं, टैस्टिंग में ही पाइप लाइन फटती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इसी कारण से उस एरिया में पानी नहीं दिया जाता है जहां उसी रोज पाइप लाइन फट गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : टैस्ट किया जाता है तो पाइप लाइन फट जाती है, यह सही है, गलत नहीं है। जहां फटती है, वहां रिपेअर्स करा देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : टैस्टिंग के बाद फटी हो तो इसको गलती स्वीकार कर सकते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : थोड़े दिन बाद फट सकती है, पर····

श्री मानिकचन्द सुराणा : पाइप लाइन के फटने से वहां गड्ढे पड जाते हैं और लोग सूचना देते हैं तो भी रिपेयर्स नहीं होती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह दूसरी बात है, जहां टूट गई है और रिपेयर्स नहीं होती है तो उसकी शिकायत की जानी चाहिये···· It is a usual thing which takes place.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह लाइन फटने की सम्भावना रहती है और यदि यह स्वाभाविक है तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि तुरन्त इन्तजाम कर दिया जावे या लोगों द्वारा सूचना देने के बाद भी पांच दस दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : उचित व्यवस्था सूचना आते ही करदी जाती है।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड, बीकानेर द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थाओं से चार्ज की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी

२७९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या, राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड, बीकानेर द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व सार्वजनिक उपासना स्थानों को बिजली के साधारण बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी चार्ज की गई है ? यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाएं राजस्थान विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की तहत विद्युत् शुल्क चार्ज किये जाने से एग्जेम्प्ट रखी गई है,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
यदि हां, तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बीकानेर द्वारा कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किये जाने की क्या वजह है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा रिप्रेजेन्टेशन करने के बावजूद उनको विद्युत् शुल्क जमा कराने के लिये बाध्य किया जारहा है ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) देवस्थान और शिक्षण विभाग से प्राप्त सूचित के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी धार्मिक संस्थाओं एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बिजली के बिलों में चार्ज नहीं की गई।

(२) जी हां, खंड (१) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जिन संस्थाओं से रिप्रेजेन्टेशन आये हैं उनका नाम शिक्षा विभाग व देवस्थान विभाग की भेजी हुई सूची में न होने के कारण उनसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की गई है और उनको शिक्षा विभाग, देवस्थान विभाग व एक्साइज एण्ड टैक्सेशन विभाग से सर्टिफिकेट लाने को कहा गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा कि उसमें चार्ज नहीं की गई। स्पेसिफिक इन्स्टान्स में कोट कर दूं "जैन कालेज"। यह संस्था रिकॉग्नाइजड है और गवर्नमेन्ट एडेड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में ड्यूटी चार्ज करके भेजी गई। सेक्शन का हवाला देकर भी जब बिल भेजा गया तो कहा गया कि ड्यूटी जमा कराइये वरना बिल जमा नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन के हवाला देने का सवाल नहीं है। एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट लाकर देना पडता है एजुकेशन से। वे चूंकि सर्टिफिकेट नहीं लाये इसलिये छूट नहीं दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब कि एक्ट में प्रावधान कर दिया गया है कि इन-इन संस्थाओं को माफ होगा और जब वे संस्थाऐं रिकॉग्नाइज्ड हैं, गवर्नमेन्ट-एडेड हैं तो फिर सर्टिफिकेट पेश करने का सवाल ही कहां रहता है। एक्ट में स्पेसिफिक प्रावधान रखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से इन संस्थाओं को एग्जेम्प्ट कर देंगे। इस प्रकार का कोई नियम हो तो यह बता दीजिये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इस प्रकार का नियम है और यह आवश्यक समझा गया है कि सर्टिफिकेट पेश करें।

श्री परसराम मदेरना : कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट यह सर्टिफिकेट न दे कि यह मेरे डिपार्टमेन्ट का है और एग्जेम्प्शन होना चाहिये तब तक कैसे काम चल सकता है। प्रिसिडेन्ट होना जरूरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का दफ्तर बीकानेर में है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के सम्बन्ध में क्या उन्होंने कोई डिपार्टमेन्ट को लिस्ट दे दी है ?

श्री परसराम मदेरना : लिस्ट दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसकी तारीख बता दीजिये कि कब दी ?

श्री परसराम मदेरना : तारीख नहीं बता सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तारीख नहीं बता सकते तो

Page No 14

श्री परसराम मदेरना: Please listen me first. Don't draw conclusions

श्री मानिकचन्द सुराणा: (On a point of order, Sir, मुझे आपकी मार्फत ही कहा जा सकता है कि Don't draw conclusions and he has directly said that......

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): मार्फत ही कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं इस तरह के रिमार्क सुनने का आदि नहीं हूं। मैं कोई कान्क्ल्यूजन ड्रा नहीं कर रहा हूं। आपकी मार्फत ही मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। असेम्बली में बैठ कर जब कानून पास कर दिया, फिर लिस्ट की तारीख बता दीजिये कि किस तारीख को दी गई।

श्री अध्यक्ष: उस लिस्ट को कन्वे करने के बाद में कुछ संस्थायें रह गई क्या जिनको इन्क्ल्यूड नहीं किया गया?

श्री परसराम मदेरना: यह बात सही है कि दो संस्थाओं के रिप्रेजेन्टेशनस आये थे। एक तो जैन कालेज का और दूसरा भैरों रत्न पाठशाला का। हमने इन संस्थाओं को लिख दिया है कि एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट ले आइये। २९ संस्थायें हैं। २ इन्स्टीट्यूशन्स के नहीं आये सर्टिफिकेट्स। हमारी मजबूरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इन दो संस्थाओं की सूची जो आपके ध्यान में आ गई है; प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में क्यों नहीं पेश की?

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन।

भरतपुर में चोरी के मामले

२८०. **श्री रामकिशन (बैर)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले में सन् १९६१-६२ में चोरी की कितनी घटनायें पुलिस में दर्ज हुई हैं?

(२) सन् ६१-६२ में चोरी के मामलों में पुलिस ने कितने चालान पेश किये हैं और कितने मामलों में अपराधियों को सजा हुई है?

(३) सन् ६१-६२ में पुलिस ने कितनी चोरियों का माल बरामद किया है?

(४) सन् ६१-६२ में पुलिस ने जुर्म दफा १०९ ता० हि० के कितने चालान पेश किये हैं और कितने अपराधियों की नेक-चलनी जमानत होना अभी शेष है?

(५) चोरी के कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट दी गई है?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह):

(१) ८२४ कुल।

(२) २७४ केसेज का चालान हुआ जिनमें से ११२ में अपराधियों को सजा हुई, १३ में अपराधी बरी हुए, ३५ में राजीनामा हुआ एवं ११४ जेर तहकीकात अदालत है।

(३) २८४ केसेज में।

(४) दफा १०९ सी. आर. पी. सी. में २६४ रिपोर्ट पेश की गई है, जिनमें १९० में नेक-चलनी की जमानत हुई, २४ खारिज हुए एवं ५० जेर तहकीकात अदालत है।

(५) ५३५ मामलों में एफ़. आर. दी गई।

Page No 15

श्री रामकिशन : प्रश्न संख्या १ के संबंध में बताया कि २८४ केसेज में । माल कितना मिल गया, कि उसकी कोई तादाद नहीं बतायी अब तादाद पूछी गई है कि माल कितना मिल गया ।

श्री भीमसिंह : आपने तो इतना ही पूछा है कि 'सन् ६१-६२ में पुलिस ने कितनी चोरियों का माल बरामद किया है ? तो आपको बताया गया कि २८४ केसेज में ।

श्री रामकिशन : कितना माल बरामद किया है यह मतलब है ।

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : बता दिया कि २८४ केसेज में ।

श्री रामकिशन : बरामदगी की बात है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपका उद्देश्य कुछ हो सकता है और प्रश्न का उद्देश्य कुछ रहता है ।

श्री रामकिशन : प्रश्न का उद्देश्य साफ है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने पूछा है कि 'सन् ६१-६२ में पुलिस ने कितनी चोरियों का माल बरामद किया है;' तो इसका उत्तर आपको दिया गया कि २८४ केसेज में । आपने माल की तादाद वगैरह नहीं पूछी है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं पूछा है तब भी बता दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : २८४ की डिटेल्स दे दी जायगी कि इतना माल बरामद हुआ; फिर पूछेंगे कि इनमें से सोना कितना, चांदी कितनी और फिर पूछेंगे कि ऊंट कितने, घोड़े कितने, गाय-भैंस कितने—यह तो बड़ा मुश्किल हो जायगा और संभव भी नहीं है २८४ केसेज में इस प्रकार से डिटेल्स देना ।

श्री अध्यक्ष : वे नहीं कहेंगे । आप बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : २८४ केसेज की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है । राजस्थान में चाहे भरतपुर हो, कोई हो २५ से ३० परसेंट है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : भरतपुर में ही ज्यादा है या और भी जगह है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान में है बता दिया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या कम्प्लेनेण्ट्स के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकिशन : पहली रिपोर्ट थानेदार ने दे दी और दुबारा सी. आई. वगैरह ने जांच की तो ऐसा कोई प्रोसीजर है कि फाइनल रिपोर्ट की दुबारा जांच कराई जाय ?

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि ऐसा कोई प्रोसीजर है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भी दुबारा जांच कराई जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ९९ परसेंट केसेज में दुबारा जांच नहीं होती है, फिर भी मेरे नोटिस में कोई ऐसा केस हो तो दुबारा उसकी जांच कराई जा सकती है ।

श्री रामकिशन : क्या दुबारा जांच कराई जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

Page No 16

श्री मथुरादास माथुर : डी. आई. जी. की जांच तक फाइनल स्टेज होती है ।

श्री अध्यक्ष : फाइनल स्टेज का मतलब यह है कि अदालत में जाकर बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : इनमें बाहर के निवासी कितने थे और भरतपुर के कितने थे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है ५३५ को उनमें कितने ऐसे केसेज हैं जिनमें कम्प्लेनेन्ट्स के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

प्रश्न संख्या २८१

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८२

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८३

श्री भैरवलाल 'काला बादल' ।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह

हत्या की घटनाएं (थाना पुलिस मादरा, जिला गंगानगर

२८४. श्री हरदत्तसिंह (नोहर): क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) १ सितम्बर, सन् ६२ से लेकर ३१ दिसम्बर, सन् ६२ तक थाना पुलिस मादरा (जिला गंगानगर) के क्षेत्र में हत्या (मर्डर) की कुल कितनी वारदात कहां हुई और उनमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कितने फरार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि थाना पुलिस मादरा के क्षेत्र में अनोप शहर ग्राम में चन्द माह पहले एक व्यक्ति किसी के द्वारा गोली से मार दिया गया और उसके कातिल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई ?

(३) अगर, हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या नोहर सर्किल इन्सपेक्टर की जगह कई माह से खाली पड़ी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) १ सितम्बर सन् ६२ से लेकर ३१ दिसम्बर, सन् ६२ तक थाना मादरा के हल्के में कुल ४ हत्याओं के केस दर्ज हुए, जिनमें से मादरा ग्राम का १, ओजाला के २ व अनोपशहर का १ । इनमें ४ अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं एवं केवल एक फरार है ।

(२) जी हां ।

(३) उसकी तलाश की जा रही है एवं उसे हाजिर होने को मजबूर करने के लिये दफा ८७ जा. फौ. की कार्यवाही भी की जा चुकी है ।

(४) जी नहीं ।

श्री हरदत्त सिंह : आपने प्रश्न संख्या ३ के लिए जो "जी नहीं" जवाब दिया है · · ·

श्री भीमसिंह: ४ का जवाब दिया है 'जी नहीं ।'

श्री हरवत्तसिंह: ३ का फिर फरमा दीजिये ।

श्री भीमसिंह: उसकी तलाश की जा रही है एवं उसे हाजिर होने को मजबूर करने के लिये दफा ८७ जा. फो. की कार्यवाही भी की जा चुकी है ।

श्री हरवत्तसिंह : आपने चार के लिये जो 'जी नहीं' फरमाया है । अब जो मौजूदा सर्किल इन्सपेक्टर है उनके चार्ज लेने से पहले क्या आपको यह मालूम नहीं है कि तीन महीने तक वह स्थान सर्किल इन्सपेक्टर का खाली रहा ?

श्री भीमसिंह: दो महीने खाली रहा । अब नहीं है, इसलिए जी नहीं कहा ।

श्री हरवत्तसिंह: दो महीने किसलिए खाली रखा गया ?

श्री भीमसिंह: देवली कैम्प में एमर्जेन्सी का काम था इसलिये वहां भेजा गया, दूसरों को भी इकट्ठा करके भेजा गया ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): दफा ८७ के अन्तर्गत क्या जायदाद अपने अन्तर्गत ले ली है ?

श्री अध्यक्ष: श्री मथुरेश बिहारी ।

बांदीकुई-गुढा कटला सड़क

२८५. श्री **मथुरेशबिहारी माथुर**: (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(१) क्या बांदीकुई से गुढा कटला तक कोई पक्की सड़क बनाई जा रही है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क के ठेके कब स्वीकार हुए और ठेकेदारों द्वारा कितने समय में सड़क पूरा कर देने की शर्त थी ?

(३) क्या ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय में सडक का कार्य पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही इस अर्से में की गई ?

(४) क्या सरकार द्वारा इस सड़क को पूरा कराने के लिये किसी दूसरे ठेकेदार को नियुक्त किया जा सकता है और नुकसान गलती करने वाले ठेकेदार से वसूल किया जा सकता है ?

(५) क्या सरकार अब इस सड़क को पूरा कराने की कोई अवधि निश्चित कर सकती है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक-निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां ।

(२) दिनांक ३-६-६० तथा १५-७-६० को ठेके स्वीकार किये गये थे और दिनांक २-३-६१ तथा १४-५-६१ तक सड़क पूरा करने की शर्त थी ।

(३) जी नहीं । चेतावनी दी गई और जुर्माना किया गया ।

(४) जी नहीं, अभी आवश्यक नहीं है ।

(५) आशा है आगामी वित्तीय वर्ष में ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: निर्धारित समय में काम न करने पर क्या पैनेल्टी, क्या जुर्माना आपने उन पर किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: एक ठेकेदार पर एक परसेन्ट, दूसरे पर आधा परसेन्ट ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: एक तो काम पूरा कर चुका था दूसरा दो-तीन साल से पड़ा हुआ है, डेट बतलाई जाय कि कब तक काम खत्म कर देने का था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: २-३-६१ तथा १४-५-६१ तक सड़क पूरा करने की शर्त थी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: यह ठेका कब दिया गया क्योंकि ६०-६१ में आधी सड़क पूरी हो चुकी थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: दिनांक ३-६-६० तथा १५-७-६० को ठेके स्वीकार किये गये थे ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: काम पूरा नहीं करने पर ठेकेदारों पर क्या जुर्माना किया गया ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: एक पर एक परसेन्ट और दूसरे पर आधा परसेन्ट । और यह काम आगामी साल पूरा हो जायगा ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां दो वर्ष से रोडी पडी हुई है रोडी पडे होने की वजह से रास्ता भी बन्द हो गया है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: ऐसी बात नहीं है काफी अर्थ वर्क हो चुका है । एक दो फर्लांग पर अर्थ वर्क बाकी रह गया है और रोड रोलर भी जल्दी ही भेजने वाले हैं ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर: वहां न तो रोड रोलर ही पहुंचा है और न किसी प्रकार की प्रोग्रेस ही है । आपको जो इत्तला मिली है वह गलत है । कल परसों ही वहां चीफ इन्जीनियर मौजूद थे, वहां पर किसी प्रकार का वर्क नहीं हो रहा है ।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: मैंने निवेदन किया कि रोड रोलर जल्दी भेजने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष: ठेकेदारों पर आपने जुर्माना करना बताया, लेकिन अब भी कोई निश्चित तारीख तय की गई है क्या कि फलां तारीख तक काम पूरा हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: कुछ जमीन का झगडा था और इस साल का तो अब एक ही महीना रह गया ।

श्री अध्यक्ष: चाहे साल भर लग जाय, डेढ साल लग जाय लेकिन तारीख तो निश्चित होनी चाहिये ।

(विराम)

नेक्स्ट

पाली जिले के पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध दर्ज नेक्स्ट मुकद्दमें

२८६. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में सन् १९६० से ३१-१२-६२ तक पंचायतों के सरपंचों व पंचों के विरुद्ध ४०९ आई. पी. सी. के मुकद्दमे कब कब दर्ज रजिस्टर हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No 19

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) उपरोक्त मुकद्मों में से कितनों का कोर्ट में चालान किया गया व कितनों की जांच अभी मुकम्मिल नहीं हुई हैं ?

(३) जिन मुकद्मों की जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं वे मुकद्में इतने लम्बे अर्से तक जांच पूर्ण न करके पुलिस में पड़े रहने का क्या कारण है ?

उप-गृह मंत्री (श्री भीमसिंह): (१) सन् १९६० से सन् १९६२ तक पाली जिले में ऐसे कुल चार केस दर्ज हुये, एक १९६० में तारीख १०-८-६० को तथा तीन १९६२ में क्रमशः दिनांक १९-३-६२, २२-७-६२ व १-८-६२ को ।

(२) सन् १९६० के प्रकरण का चालान हो चुका है १९६२ के दो प्रकरणों में अनुसंधान हो रहा है ।

(३) सन् १९६२ के तीन मुकद्मों में से एक मार्च, ६२ में अंकित किया गया था । इसकी जांच पूर्ण हो गई है व इसके न्यायालय में चालान किये जाने का विषय सरकार के विचाराधीन है । दूसरा मुकद्मा अक्तूबर, १९६२ का है इसमें भी अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है । तीसरा मुकद्मा सितम्बर ६२ का है जिसमें सम्बन्धित विभाग से रेकार्ड प्राप्त होने में देरी लगने के कारण अभी अनुसंधान जारी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सरकार की नीति है कि ५०० रुपये से कम का गबन हो तो उन पंचों और सरपंचों के खिलाफ केस रजिस्टर करने की इजाजत दी जाय ?

श्री भीमसिंह: जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने प्रश्न के भाग (२) का जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि अनुसंधान जारी है, यह कब से जारी है ?

श्री भीमसिंह: जब से रिपोर्ट पेश हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास: समय बतलाइये ?

श्री भीमसिंह : १-८-६२ को मुकद्मा दर्ज हुआ, संबंधित विभाग से रिपोर्ट नहीं मिली ।

श्री तेजाराम गहलोत : कौन सी रिपोर्ट किस विभाग से नहीं मिली ?

श्री भीमसिंह: यह पृथक प्रश्न है डिटेल्स बाद में दे सकता हूं ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या कारण है कि आपको रिपोर्ट नहीं मिली ? मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं, मैंने अपनी उपस्थिति में सारा रेकार्ड पुलिस के हवाले कर दिया था उसमें ओडिट रिपोर्ट थी, पंचायत का रेकार्ड था अब फिर कौन सी रिपोर्ट बाकी रह गई थी ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): कहां का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री तेजाराम गहलोत : सांडिया वाला मामला । मेरे हाथों से सारा रेकार्ड और रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : उसमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली । एम्बेजलमेन्ट के लिये टेक्निकल रिपोर्ट मिलना आवश्यक है इसलिये ऑडिट रिपोर्ट का मिलना बहुत आवश्यक है ।

Page No 20

श्री तेजाराम गहलोत : ऑडिट रिपोर्ट ब्लाक में और पंचायत समिति में थी दो महीने ब्लाक आफिस सी. आई. के हैड आफिस में वहां भी अवेलेबल हो सकती थी। पंचायत समिति में भी थी।

श्री मथुरादास माथुर : हमें तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली उसके बिना आगे कुछ नहीं कर सकते।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) : यह आपने कब से तरीका अख्तियार किया है कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिले तब तक एम्बेजलमेन्ट नहीं माना जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : इनवेस्टीगेशन चालू रहता है लेकिन एम्बेजलमेन्ट के लिये ऑडिट रिपोर्ट का होना आवश्यक होता है। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होने के कारण तो चालान नहीं हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी का ऑडिट नहीं हुआ हो तो ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका ऑडिट करवाते हैं। एम्बेजलमेन्ट का जहां मामला आता है वहां या तो ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं यदि ऑडिट नहीं हुआ होता है तो फौरन ऑडिट के लिये लिखते हैं। जब ऑडिटर बतायगा कि इसमें गबन हुआ है तभी तो माना जायगा।

श्री तेजाराम गहलोत : जब मैंने अपनी मौजूदगी में ऑडिट रिपोर्ट और सारे रेकार्ड को दिया है उसके बाद भी ऑडिट रिपोर्ट के लिये क्यों वेट किया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : रेकार्ड को तो हम सीज कर लेते हैं और जब ऑडिट नहीं हुआ मालूम होता है तो ऑडिट करवा लेते हैं, खास तौर से जब कि ये मामले पंचों या सरपंचों के खिलाफ हों तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा: ऑडिट रिपोर्ट के लिये एतराज हो सकता है, लेकिन इन आरोपों पर चालान तो कर सकते थे। आपने क्या चालान करने की स्वीकृति दे दी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : सरपंच के चालान के लिये गवर्नमेंट की स्वीकृति आवश्यक है।

श्री तेजाराम गहलोत : उस समय तो वे सरपंच के पद से हट चुके थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आडिट रिपोर्ट के लिये पुलिस ने लोकल फण्ड ऑडिट को लिखा या पंचायत विभाग को ?

श्री मथुरादास माथुर : वे तो पंचायत विभाग को लिखेंगे। डिपार्टमेंट का काम है कि वे सप्लाई करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तफतीश के दौरान पुलिस के अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट को प्राप्त करने के संबंध में कब-कब प्रयास किया और कितनी बार उन प्रयासों में विफल हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : १-८-६२ को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १-८-६२ को तो यह रिपोर्ट ही दर्ज हुई है क्या पुलिस विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट के लिये लिख कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझली तो फिर वे तफतीश क्या करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : एक बार लिखा, फिर रिमाइण्डर किया इस तरह से पुलिस जो भी कार्यवाही करती है रोजनामचे में दर्ज होती है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो पुलिस की बडी असफलता है कि यह एक ऑडिट रिपोर्ट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्राप्त नहीं कर सकी तो फिर उससे तफतीश की क्या आशा की जा सकती है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो विभाग की कारीगरी है ।

श्री भैरोंसिंह : वह भी तो सरकार आपकी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जावे ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों हेतु स्टेंडिग ऑर्डर्स का निर्माण

२८७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये स्टेंन्डिग ऑर्डर्स का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हो चुका है तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रक्खें ?

(२) क्या वाटर वर्क्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये स्टेंन्डिग ऑर्डर्स का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रक्खें।

(३) सार्वजनिक निर्माण विभाग के नीचे ऐसे कितने विभाग हैं जिनमें कानूनन स्टेंन्डिग ऑर्डर्स बन जाने चाहिये थे ? ऐसे विभागों की सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

(४) सरकार द्वारा कब तक इन विभागों के लिये स्टेंन्डिग ऑर्डर्स बनाने की योजना है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण-विभाग (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये स्टेंन्डिग ऑर्डर्स का निर्माण हो चुका है ।

(२) व (३) राज्य सरकार द्वारा निर्मित सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ) कर्मचारी सेवा नियम भवन व पथ तथा उद्यान विभाग द्वारा नियोजित वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों के लिये १९५९ से लागू किये जा चुके हैं । ये नियम राजस्थान राज-पत्र में भी प्रकाशित कर दिये गये थे । अतः इण्डस्ट्रियल एम्पलॉयमेंट (स्टेंन्डिग आर्डर्स) एक्ट, १९४६ की धारा १३ (बी) के अनुसार भवन व पथ उद्यान व जल विभागों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते । उपरोक्त कारण वश पृथक रूप से स्टेंन्डिग ऑर्डर्स निर्मित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये बिजली बोर्ड के ऑर्डर्स कब बने, तारीख बताइये ।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : २० फरवरी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सन् कौनसा; ६२ या ६३ ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : १९६३ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : और यह प्रश्न मेरा आपको कब मिल गया था, आपके विभाग को ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : यह तो मैं जानकारी करके बताऊंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब पिछले तीन साल से यह बिजली बोर्ड काम कर रहा है, बल्कि ज्यादा अर्से से कर रहा है, तीन साल से भी, उस अरसे से लेकर अब जब कि ये ऑर्डर्स बनाये तब तक बिना स्टेंडिंग ऑर्डर्स के काम किया जाना कानून के अनुसार है या उसके खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । स्टेन्डिग ऑर्डर्स कभी के बन जाने चाहियें थे । पर तीन साल तक नहीं बने और इस के बाद जब प्रश्न पूछा गया तो उसके बाद कह दिया कि २० फरवरी को बना लिये, तो फिर इतने दिन बिना इनके गैरकानूनी तौर से कैसे काम करता रहा यह बिजली बोर्ड ?

श्री अध्यक्ष : This is a great compliment to the Hon'ble Member.

प्रश्न संख्या २८८

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

चोरियां एवं बरामदगियां, जिला अलवर

२८९. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९५७ से १९६२ तक अलवर जिले में कितनी चोरियां हुई हैं और कितनी बरामद की गई हैं ? साल वार अलग-अलग बतावें ।

उप-गृह मंत्री (श्री भीमसिंह) : अलवर जिले में सन् १९५७ में कुल ५२९, ५८ में ५३८, ५९ में ५९२, ६० में ६१७, ६१ में ६१३, ६२ में ६०५ चोरियां हुई जिनमें से क्रमश: १४५, १८७, १८१, १८४, १९६ व १८८ बरामद हुई ।

श्री हरिराम चौहान : आम तौर पर चोरियां बढती गई; इसका क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : बढी नहीं, घटी हैं । ६१ में ६१३ थी और ६२ में ६०५ हो गई ।

श्री हरिराम चौहान : आपने आखिरी साल के आंकडे पकड लिये । आप पीछे सालों को देखिये ।

श्री भीमसिंह : यह भी आपका गलत फरमाना है ६० में ६१७ थीं, और ६१ में ६१३ ही हुई ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): पुलिस का खर्चा भी बढा है और चोरियां भी बढी हैं । तो फिर खर्चा बढाने से क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : चोरियां ज्यादा पकडी जाती हैं, इसलिये आंकडें ज्यादा बढ जाते हैं ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

Page No 23

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद

२९०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९६०-६१ से लेकर अब तक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा किस किस फर्म से १० हजार से अधिक का कितनी कितनी कीमत का सामान खरीदा गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसमें किस किस वर्ष में कितनी कीमत का सामान ऐसी प्रत्येक फर्म से खरीदा गया है, अंकित हो ।

(ख) इन फर्म्स में से किस किस ने माल सप्लाई करने में नियमों का पालन किया है और किसने नहीं ? कसूरवार फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

उप-मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न द्वारा बहुत विस्तृत जानकारी चाही है इसलिये इसका पूर्ण संतोषप्रद जवाब अगली टर्न पर दे सकूंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

वन-भूमि का सीमांकन :–

२९१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Forest Minister please state:-

(1) Is it a fact that the demarcation of forest lands is being done by the Forest Settlement Department without consultation with the Revenue Department or Panchayat Samiti is, causing great inconvenience to the village population in a number of places in Kota and Jhalawar districts ?

2. Is it a fact that the Forest Settlement Department has taken possession of about 300 bighas of land allotted to the Harijans in village Dabari of Tehsil Sangod, Distt. Kota, after it was cultivated by them for about 2 years ?

3. Is it a fact that this Land is still claimed as Revenue land by the Tehsil ?

4. What steps the Government propose to take to avoid such conflicts in future ?

उप-मंत्री वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): 1. No, Sir.

2.No. The claim is being heardr

श्री जुझारसिंह: Beg your pardon

निरन्जननाथ आचार्य: The claim is being heard—'heard'

श्री अध्यक्ष : Not hired'.

श्री निरंजननाथ आचार्य : 3. No
4. The question does not arise.

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो पहले सवाल का 'नो' जवाब दिया है यह सही नहीं है । अब भी कई तहसीलों में पाटन, बकानी आदि ऐसी तहसीलों में ऐसे केसेज हैं जिनमें फोरेस्ट सेटलमेंट वालों ने गांव वालों से बिना पूछे-ताछ फोरेस्ट की जमीनों पर कब्जा कर लिया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The answer has some height of truth, Sir, and so far as the truth is concerned, I am trying to settle the things right. Forest Department is expected to consult the Commissioner and the Collectors before the Notification is issued. I shall see that the problems are settled with their consultation.

श्री जुझारसिंह : No body has been consulted in the past.

श्री निरंजननाथ आचार्य : No, Sir, we have consulted. But if in practice there are some lapses I shall get them removed.

श्री जुझारसिंह : There is no question of 'some'. At no place, any boy has been consulted. Whenever there is a new settlement, villagers are taken into confidence but this practice has not been followed.

श्री निरंजननाथ आचार्य : My information is this. But if there are still some lapses, I shall get them removed.

श्री जुझारसिंह : There are not only some lapses ....

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में ही पूछलें।

श्री जुझारसिंह : डाबी गांव के कल्टीवेटर्स ने ज़मीनों को काश्त किया है। आपने फ़रमाया काश्त नहीं की।

श्री निरंजननाथ अचार्य : मैंने ऐसा नहीं कहा कि काश्त नहीं की।
Claim is being heard so the claim is there.

श्री जुझारसिंह : जब उन्होंने काश्त की दो साल तक तब दो साल के बाद में किन आधारों पर उनको काश्त करने से अलग कर दिया गया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हुआ ऐसा कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ग़लती से अलाटमेन्ट आफ़ लैण्ड कर दिया गया। ५६ में नोटिफिकेशन निकला और ५७-५८ में अलाटमेन्ट नहीं होना चाहिये था तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने फोरेस्ट विभाग के नोटिफिकेशन के बाद में भी अलॉटमेन्ट कर दिया। इसलिये यह मामला बना है और हम इसके क्लेम सुन रहे हैं और सुनकर उनको डिस्पोज ऑफ़ कर रहे हैं। इसमें हमारी ग़लती नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अब भी रेवन्यू डिपार्टमेन्ट उसे अपनी ज़मीन मानता है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is a question of Law and facts. This is to be decided by the Officer who is hearing the cases.

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : यह क्लेम हरिजनों के कितने अर्से में आप निपटाने का आश्वासन देते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितनी चिन्ता आपको है हमको भी उतनी ही है।

श्री मानिकचन्द सुराना : आखिर दो तीन, चार, पांच, दस, पन्द्रह, बीस, पच्चीस, तीस, महीनों की संख्या बतादें कि हम इन हरिजनों के क्लेम को इतने अर्से में सुनकर फैसला कर देंगे। कुछ ईस्टीमेट तो कहिये।

Page No 25

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप यह समझते हैं कि इनका निपटारा सरकार करती है। The officer has powers of the Judicial Department and he can only say about this. This is not the position for us to say anything about that. I cannot go into that affairs, Sir....

यह तो उनकी डिस्क्रीशन का सवाल है सेटलमेन्ट ग्रोफीसर क्लेम सुनते हैं। अब उनके लिये में कह दूं कि चार-छ महीनों में निपटा देंगे तो यह मैं कैसे कह सकता हूं, मैं कैसे उनके काम में इन्टरफ़ियर कर सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है कि इनके क्लेम एक लिमिटेड समय में वे सुनलें और उनका फैसला करदें और इसके लिये सरकार कोई डाइरेक्शन देकर इन्टरफियर नहीं कर सकती?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हर किसी केस के पीछे कुछ आधार होता है वाक़यात का। तो विना इन वाक़यात के आधार को जाने कोई आदेश कैसे दिया जा सकता है कि जल्दी से इसे निपटादो ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो प्रिंसिपल की बात पूछता हूं कि क्या इस तरह का इन्टरफियरेंस सरकार नहीं कर सकती?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार इन्टरफ़ियर नहीं करेगी। यह जुडिशियल नेचर का मामला है। इसमें एविडेन्सेज़ लेनी पड़ती हैं, उनको सुनना पड़ता है, बहस होती है, केस को सोचना समझना पड़ता है और फिर फ़ैसला देना होता है अब इसमें किसी समय का बन्धन कैसे लगाया जा सकता है? हां, यह हो सकता है कि शीघ्रातिशीघ्र उनको निपटाने का प्रयत्न करें स्पोट पर जाकर तय करें। इस प्रकार के डाइरेक्शन्स तो दिये जा सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि विस्थापित जिन हरिजनों को किया गया उनको दूसरी जमीन देने का आप प्रयत्न करेंगे?

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is a hypothetical question. I cannot say anything.

श्री मानिकचन्द सुराणा : This is not a hypothetical question.

श्री निरंजननाथ आचार्य : No Sir, I can not say anything.

श्री मानिकचन्द सुराणा : This is not a hyphothetical question. यह तो बिल्कुल ठोस प्रश्न है कि यदि आप उनको विस्थापित ही करते हैं तो क्या आप उनके लिए जमीन का प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे? वह तो प्रयत्न करने तक ही सीमित है आपका आश्वासन।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रयत्न करने के आधार पर सारी स्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है और वह अध्ययन करने की स्थिति मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर आप हरिजनों को जमीन नहीं दे सकेंगे यह कह दीजियेगा न।

वन मंत्री (श्री भीखा भाई) : फोरेस्ट सेटलमेन्ट अफसर जुडिशियल अफसर होते हैं वे उनके ओब्जेक्शन सुन सकते हैं, वे ही फैसला कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या दखल दे सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब जूडिशियल होते हैं। आप बेकार ही बहस करते हैं।

श्री भीखाभाई : अगर वे ठीक फैसला नहीं करते हैं तो अपील कलक्टर के यहां होती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विभाग उसे अपनी जमीन मानता है अपनी जमीन मान कर ही उसने हरिजनों को अलाट की और अब भी रेवेन्यू विभाग अपनी जमीन ही मान रहा है इसके बाद फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट को क्या अधिकार है कि इस पर बसे हरिजनों को हटाया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप प्रश्न को नहीं समझे हैं। मैंने यह निवेदन किया कि नोटिफिकेशन ५६ में निकला और इसके बाद भी ५८ में रेवेन्यू विभाग ने जमीन देदी तो रेवेन्यू विभाग अपनी जमीन मानता है या नहीं यह तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर सोचना पड़ेगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद वह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की हो जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अगर कोई बोनाफाइड्स भी हैं उसमें और उसने जमीन भी देदी है तो लीगल पजेशन उनको नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में किसी के कुछ मानने न मानने का प्रश्न नहीं पैदा होता और सेटलमेन्ट आफिसर अन्डर एक्ट इन्क्वायरी कर रहे हैं और सारे मामले को प्रोब कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अच्छा हरिजनों को जमीन मत दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो शूद्र कहते हैं उनको।

श्री रामकिशन (वैर) : इसलिये आप अंग्रेजी में बोले हैं कि तथ्य कोई समझ नहीं सके।

श्री निरन्जननाथ आचार्य ; आप दो-चार दफा और बोलेंगे तो अंग्रेजी समाप्त हो जावेगी।

(१२ मध्याह्न)

जन-सम्पर्क विभाग द्वारा पब्लिसिटी-वान्स हेतु खरीदे गए चेसिस

२९२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पब्लिसिटी वान्स के लिए जन-सम्पर्क विभाग द्वारा दो चेसिस खरीदे गये जो पड़े पड़े काफी खराब हो गये ? यदि हां, तो ये कब खरीदे गये थे और इन पर अब तक बॉडी क्यों नहीं बनवाई गई ?

(ख) चेसिस में जो खराबियां हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरा दास माथुर) : (क) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा खरीदे गये दो चेसिस जनवरी, १९६३ में आई. जी. पी. को मुख्य अधीक्षक, मोटर विभाग की देखरेख में चालू हालत में संभला दिये गये हैं; अतः उनमें काफी खराबी होने का प्रश्न नहीं उठता।

ये दोनों चेसिस मार्च, १९६० में खरीदे गये थे। बॉडी बनवाने का टैक्नीकल काम होने के कारण प्रथम डी. जी. एस. एण्ड डी. के मारफत बॉडी बनाने के लिये उनसे कहा गया, परन्तु उनके द्वारा यह कहने पर कि

(श्री मथुरादास माथुर)
पांच से कम संख्या पर बॉडी स्वयं इन्डेन्टर को ही बनानी चाहिए। यह काम राजस्थान कृषि विभाग के वर्कशॉप से कराने हेतु पत्र-व्यवहार किया गया। परन्तु उनके द्वारा भी असमर्थता प्रकट करने के बाद बॉडी बनवाने के टेन्डर आमन्त्रित किये गये। बॉडी बनवाने हेतु भिजवाने के पूर्व ही सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार इन चेसिसों को आपत्तकालीन स्थिति में आई. जी. पी. को संभला दिया गया।

(२) चेसिस मुख्य अधीक्षक, मोटर विभाग की देखरेख में चालू हालत में संभलाये गये हैं। अतः ज्यादा खराबी होने का सवाल नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : ये चेसिस कहां रखे हुए थे ?

श्री मथुरादास माथुर : चेसिस डिपार्ट-मेन्ट में कहां रखे होंगे आगे या पीछे; मुझे क्या पता ?

श्री भैरोंसिंह : सवाल केवल इतना सा है कि वे गैरेज में थे या खुले में पड़े थे ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा अन्दाजा है, जवाब तो नहीं आया है; लेकिन पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट के पीछे पडे थे खुले ही।

श्री भैरोंसिंह : अब आपने बताया कि डी. जी. एस. एन्ड डी. से आपकी कॉरस्पोन्डेन्स चली और उन्होंने कहा कि आप प्राईवेट बॉडीज ही बनवालें तो इस कोरस्पोन्डेन्स में कितना समय लगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें तो करीब-करीब डी. जी. एस. एण्ड डी. और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से कोरेस्पोन्डेन्स में २ वर्ष लग गये।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, इसमें ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें भी १२ महीने करीब लग गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : २ महीने लगे हैं केवल। आपका पहला लैटर गया है डी. जी. एस. एण्ड डी. के पास और उन्होंने कहा कि हम ५ से कम नहीं बनायेंगे और २ महीने के बाद ३ वर्ष तक यह इन्तजाम क्यों नहीं किया। चेसिस खरीद ली और बॉडी नहीं बनी और वह रुपया ब्लॉक हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : पहले यह बूंदी और जैसलमेर दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिये खरीदी गई। फिर क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट १८ कर दिये तो बॉडी सरप्लस हो गयी और नई बॉडीज बनवाने का उत्साह कम हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से कॉरस-पोन्डेन्स चलती रही कि तुम बॉडीज बनाओ। फिर बाद में इमरजैन्सी आगयी। जल्दी होती तो जल्दी करवा लेते। वह हमारे काम की नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : तो पहले ही आप किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट को दे सकते थे ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट में २६ डिस्ट्रिक्ट्स रखे गये फिर १८ डिस्ट्रिक्ट माने गये।

श्री भैरोंसिंह : तो उसके बाद में भी एक वर्ष का समय निकल गया वह क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो निकला है, फैक्ट है अब क्या करें ?

Page No 28

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं कहता कि करें। आखिर दो चेसिस खरीदली और बॉडी नहीं बनी और एक साल के बाद ट्रान्सफर किया तो पहले ही कर लेते तो चेसिस की हालत ज्यादा खराब नहीं होती।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो बाद में इमरजेन्सी आ गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द :

सूती मिल्स ब्यावर हेतु न्यूनतम मजदूरी समिति

२९३. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the **Labour Minister** be pleased to state :—

(1) Is it a fact that former Ajmer State has appointed a Minimum Wages Committee for the Textile Mills of Beawar with Shri Bagchi as Chairman, the report of which was published in 1956, and which was challenged by the Mill-owners of Beawar?

(2) Is it true that the Mill owners had won the case and the report was rejected by the High Court?

(3) If so, what prevented the Government to appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (1) Yes.

(2) Yes.

(3) The Government did not consider it worthwhile to prefer an appeal against the decision of the High Court before the Supreme Court, because the recommendation of the Central Wage Board for Cotton Textile Industry had been brought in force w.e.f. 1-1-1960.

श्री कुमारानन्द : My question is this "Why the Government did not appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court? Is it not a fact that by not going to the Supreme Court, the Government helped the Mill-ownersi"?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यह तो मैं आपको उत्तर दे चुका हूं कि हाईकोर्ट में अपील की थी और फैसला हुआ उस समय तक सेन्ट्रल बोर्ड बैठ चुका था इसलिये अपील करने की गवर्नमेन्ट ने आवश्यकता नहीं समझी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा नेशनल बुक बाइन्डर्स जयपुर को दिया गया कागज

२९४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा दिये गये ७३६ रिम सफेद कागज, १० रिम ब्राउन पेपर, ३ क्वायर, २३ शीट, १२२ गज बाइन्डिंग क्लाथ, २४१ स्ट्रो बोर्ड शीट्स का नेशनल बुक बाइन्डर्स जयपुर द्वारा गबन किये जाने के आरोप में उक्त प्रेस के मालिक श्री अयोध्या प्रसाद

(श्री भैरोंसिह)
आदि का चालान पुलिस द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि तारीख १९-६-६१ को न्यायालय ने मुलज़िमान को यह लिख कर बरी कर दिया कि उपरोक्त माल का मुलज़िमान को दिया जाना सिद्ध नहीं हो सका है ?

(ग) यदि हां, तो यह कागज़ कहां गया और इसके लिए कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सारे मामले की जांच जारी है। उसके बाद दोषी मुलज़िम पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायगी। लॉ विभाग की सलाह के अनुसार सम्बन्धित पार्टी पर ११,००० रु० की हानि का दावा करने के लिए श्री रमेशचन्द्र जैन को वकील नियुक्त किया गया जिसका केस फाइल जारी है।

श्री भैरोंसिह : आपने बताया कि यह जांच कौन कर रहा है और कब से हो रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : विभागीय जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिह : इसमें विभागीय अध्यक्ष खुद ज़िम्मेदार हैं तो कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : विभागीय अध्यक्ष खुद ज़िम्मेदार हैं यह तो उस जांच के उपरान्त ही पता चलेगा पहले कैसे कह सकते हैं ?

श्री भैरोंसिह : वे खुद जांच करेंगे तो अपने को तो दोषमुक्त करके लिखेंगे कि मेरा कोई दोष नहीं है। जिस आदमी के खिलाफ कम्प्लेन्ट है उसी से जांच करवा रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : तो फिर कौन कर रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो भी सम्बन्धित अधिकारी इसको कर सकते हैं उससे ऊंचे अधिकारी हैं जांच उनके द्वारा की जा रही है।

श्री भैरोंसिह : कौन हैं नाम बताइये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं नाम बताना आवश्यक नहीं समझती।

श्री भैरोंसिह : क्या डाइरेक्टर ऑफ प्रिन्टिंग ही इसकी जांच कर रहे हैं जो कि खुद दोषी हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं बताया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह तो आवश्यक है।

श्री भैरोंसिह : पब्लिक इन्टरेस्ट की बात नहीं है। मजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया। प्रेस से कागज निकले उसके बारे में जांच नहीं हो रही है, १९६१ में फैसला हो गया और आज

(श्री भैरोंसिंह)

तक जांच का परिणाम नहीं निकला और जांच ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं जिसके खुद के खिलाफ दोष है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बड़ा कॉम्प्लीकेटेड मामला है । जांच बराबर जारी है और जांच पूर्ण होने पर ही है और फैसला भी तुरन्त होने को है ।

श्री भैरोंसिंह : यही मैं पूछ रहा हूं कि जांच कौन कर रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि मैं इस बात को बताना उचित नहीं समझती इसलिए, नहीं बताती ।

श्री भैरोंसिंह : I claim the privilege.

श्री अध्यक्ष : जांच समाप्त कब हो जायेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या नाम पूछकर माननीय सदस्य किसी तरह का चाहते हैं जो इतना इन्सिस्ट कर रहे हैं नाम पूछने के लिये ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री थोड़ी सी पार्लियामेन्ट की बातों का मैं इस नीयत से नहीं पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं बल्कि मैं तो आपके ऊपर चाहता हूं । पार्टी २५ हजार रुपये लेकर खा गयी आज से दो वर्ष पहले और सरकार उसकी रोकथाम नहीं कर सकी ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जब तक जांच का कोई नतीजा नहीं निकले तब तक कैसे कह सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने कहा कि जांच करने वाले अधिकारी का नाम नहीं बता सकती । और उसके लिए यह कारण बताया कि मैं कोई xxx चाहता हूं; तो इन दोनों का निर्णय किया जाय कि पब्लिक इन्टरेस्ट इसकी वजह है या जो बात मेरे पर मोटिव करते हुए कहीं है वह सही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जब तक यह साबित न हो कि हम उसको दबाना चाहते हैं तब तक यह क्यों कहना चाहते हैं कि हम उसको बरी करना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं कहता कि आप उसको बरी करना चाहते हैं, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि जिसके ऊपर इसका दोष है उसके द्वारा ही आप जांच करवा रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, उससे नहीं करवा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर कौन है वह ?

श्री अध्यक्ष : अब मत पूछिये वह । जो आपको शंका थी उसका निराकरण हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : वही कह रहा हूं । उससे नीचे वाले जांच कर रहे हैं ।

श्री राधाकिशन गोयल (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह था कि जिस ऑफिसर के ऊपर दोष है उसी से जांच करवा रहे हैं । उन्होंने कहा कि 'नहीं' तो फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको दोषी ठहराया गया है ?

श्री अध्यक्ष : जांच कब तक समाप्त हो जायेगी ?

---

xxx अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगले महीने के आखिर तक।

श्री भैरोंसिंह : यह रेगुलर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है या क्या हो रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : रेगुलर और इर्रेगुलर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में मैं फर्क नहीं समझती।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जहां इन्क्वायरी का प्रोसीजर ले आउट किया है वह फर्क मैं समझता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी का जो प्रोसीजर है उसी के मुताबिक जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या चार्जशीट दे दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कुमारानन्द।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक परम्परा के आधार पर जो उप-मंत्री जी ने कहा है कि माननीय सदस्य उस पर की नीयत से इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं, इसको हाउस की प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करवाने की इजाजत दी जाये। अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो माननीय सदस्य ने जो प्रिविलेज किया है उसे लिया जाये। तो मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को हटा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो मंत्री महोदय को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

(विराम)

इन्हें हटा दिया जाये।

श्री कुमारानन्द।

बदली रूल्स

२९५. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भूतपूर्व अजमेर स्टेट ने सन् ५६ के आसपास ब्यावर के कपड़ा मिलों के लिए मजदूरों के साथ हो रहे पक्षपात और हुकमारी को ध्यान में रख कर बदली रूल बनाने का निश्चय किया था ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने अजमेर के मर्ज हो जाने के बाद उन बदली रूल्स को बनाना आवश्यक समझा था ?

(ग) क्या श्रमिक संगठन अभी भी बदली रूल्स बनाने के लिए जोर दे रहे हैं ?

(घ) ये बदली रूल्स सात वर्ष हुए अभी तक क्यों नहीं बने तथा सरकार कब तक इसे बनाकर लागू कर रही है ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।
(ग) जी हां।

(घ) आवश्यक कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही लागू करने की संभावना है।

श्री कुमारानन्द : सात साल हो गये, अब तक क्यों नहीं बने ? बार बार यही कहते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हो रही है, यह आवश्यक कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जल्दी ही लागू कर दिये जायेंगे। पहले अजमेर राजस्थान में विलीन हुआ, फिर आपसी समझौते की कार्यवाही चलती रही, इसमें समय लग गया। अब अन्तिम कार्यवाही चल रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अजमेर विलीन नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान अजमेर में विलीन हुआ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : दोनों एक दूसरे में विलीन हुए।

प्रश्न संख्या २९६

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

घाटा कनेरा कनेरा सड़क पर पुलियों का निर्माण

२९७. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या घाटा कनेरा से ग्राम कनेरा (निम्बाहेडा) तक सड़क बनाई गई है ?

(२) क्या उस सड़क पर तीन-चार नाले पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर पुलिया और रपटें न होने से सड़क का महत्व और धन खर्च करने का उद्देश्य कुछ नहीं रहा है ?

(३) क्या पुलिया और रपटों के निर्माण का पैसा स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो कितना ? इनका निर्माण कब शुरु होगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां, केवल वर्षा ऋतु में थोड़े समय के लिए यातायात में कठिनाई होती है।

(३) जी हां, कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री अब्दुल जब्बार : कौन काम कब तक खतम हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठेके आमंत्रित किये जा रहे हैं। कब तक खतम हो जायगा यह अभी कैसे कहा जा सकता है। ठेके आमंत्रित होने के बाद काम शुरू होगा तभी बता सकते हैं कि कब खतम होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि काम वर्षा प्रारम्भ होने से पहले ही खतम हो जायगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोशिश की जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : On a point of Order, Sir. मेरे प्रश्न संख्या २५७ के लिये कहा गया था कि गृह मंत्रीजी की बारी होगी तब इसका उत्तर दिया जायगा, इसलिये आज इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : किस तारीख का है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ८ तारीख का।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न वही लिये जाते हैं जिनका उल्लेख कर दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : 'अगली टर्न' का मतलब अगले सैशन से है।

श्री अध्यक्ष : 'अगली टर्न' का मतलब अगले सैशन से नहीं है।

(१२. १३. म. प.)

आय-व्ययक १९६३-६४ पर वाद-विवाद सम्बन्धी समय-निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था

आय-व्ययक १९६३-६४ पर सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहूंगा कि बजट पर सामान्य बहस के लिये ५ दिन का समय नियत किया गया है, जिसमें से ४ दिन अर्थात् १२, १३, १४ व १५ मार्च वाद-विवाद के लिये व १६ मार्च सरकार की ओर से बहस का उत्तर देने हेतु नियत हैं। इससे सम्बन्धित कार्य-सूची भी माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित कर दी गई है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, अब तक आयव्ययक पर चर्चा के लिये यथासम्भव सभी दलों एवं वर्गों के सदस्यों को समय दिया जाता रहा है; किन्तु फिर भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि बहस के लिये कार्य-सूची के अनुसार जितना समय उपलब्ध है, उसे विभिन्न दलों एवं वर्गों की सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए बांट दिया जाय। इस समय हमारे पास कुल मिलाकर करीब २० घन्टे का समय सामान्य वाद-विवाद के लिये है जिसे विभिन्न दलों एवं वर्गों में इस प्रकार बांटना चाहता हूं। सरकारी पक्ष की ओर से मंत्री महोदय जो उत्तर देंगे, वह इस बंटवारे में सम्मिलित नहीं है।

	घंटे मिनट
१. कांग्रेस दल	७.३०
२. स्वतन्त्र दल	३.४५
३. संयुक्त प्रजातांत्रिक दल	२.४५
४. जनसंघ दल	२.३०
५. समाजवादी एवं प्रजा समाजवादी दल	२.००
६. साम्यवादी दल	१.३०
कुल	२०.००

मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक दल या वर्ग के नेता एवं सदस्यों के भाषणों के लिये भी समय निर्धारित किया जाय। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि दल या वर्ग के नेता को आधे घंटे का समय एवं सदस्य को १५ मिनिट का समय दिया जाय। यदि कोई सदस्य या नेता उक्त निर्धारित सीमा से अधिक समय अपने भाषण में लेंगे तो जितना अधिक समय लिया जायगा वह उस सदस्य के दल या वर्ग के लिये नियत समय में से कम कर दिया जायगा। अतः मैं आशा करता हूं कि उपरोक्त समय के बंटवारे संबंधी सुझावों से सदन सहमत होगा ताकि सभी दलों एवं वर्गों के अधिक से अधिक सदस्यों को बजट पर की जाने वाली बहस में भाग लेने का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके।

आय-व्ययक १९६३-६४ सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न विषयक

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : On a point of orders sir, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आय-व्ययक के अनुमान के जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं उन आंकड़ों के संबंध में मैंने एक प्रिविलेज मोशन की सूचना आपको

(श्री माणिकचन्द सुराना)
भेजी थी और क्योंकि मैं समझता हूं कि उसको भेजे हुए करीब ५-६ रोज का अर्सा हो गया है और आज हाउस का बिजनेस उसी प्रश्न से संबंधित है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रिविलेज मोशन पर कोई रूलिंग देंगे तो उससे कोई योगदान मिलने की संभावना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने नये टैक्सेज के अनुमान, क्योंकि बजट में पेश नहीं किये और जो बजट माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है उसमें नये टैक्सेज का अनुमान शामिल नहीं किया गया है इसलिये माननीय सदस्यों को दिक्कत और परेशानी हो रही है, वे बहस किस प्रकार करें। इस प्रिविलेज मोशन को देने के बाद वित्त मंत्रीजी ने नये टैक्सेज के आय-व्यय के आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये हैं उसमें जो कुछ सदन के अधिकार हैं और जो मोशन आपके सामने प्रस्तुत ह उस पर आप रूलिंग दें उससे भविष्य में परम्परा कायम रहे। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के इस वर्ष के भाषण और पिछले भाषणों को देखने से स्पष्ट है कि नये टैक्सेज के आय-व्यय के अनुमान प्रत्येक टैक्स को प्लस करके बजट स्पीच में देते हैं और जो बजट बांटा जाता है पार्लियामेन्ट के सदस्यों में उसमें भी आंकड़े सम्मिलित रहते हैं; ये आंकड़े क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं और एक मुश्त राशि बता दी गई है इसलिये निवेदन है कि जो प्रिविलेज मोशन मैंने प्रस्तुत किया है उस पर और भविष्य के लिये निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव की सूचना भेजी थी विशेषाधिकार के सम्बन्ध में। उस विषय में शीघ्र ही निर्णय दिया जायगा और मैं समझता हूं निर्णय तक इस बहस को रोकने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और कल, यथासंभव या परसों इस बारे में व्यवस्था दे दी जायगी।

(१२.१८ म. प.)

आय-व्ययक १९६३-६४ पर सामान्य वाद-विवाद

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, सामान्य चर्चा हेतु बजट सन् १९६३-६४ सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। निरन्तर १० वर्षों से यह अनुभव सदन को है कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह बराबर घाटे का बजट होता है। सन् १९५१-५२ के बजट में घाटा १ करोड़ १८ लाख का था जब कि सन् १९६३-६४ के बजट का घाटा ४ करोड़ ५० लाख का अनुमान किया गया है यह घाटे का बजट स्थायी रूप धारण कर चुका है। एक परमानेन्ट फीचर ओफ बजेटिंग, मैं समझता हूं कि यह डेफिसिट बजट का हो गया है। डेफिसिट बजट-घाटे का बजट, डेफिसिट फाइनेन्सिग, घाटे की आर्थिक योजना, बोरोइंग-कर्जा लेना, इन तीनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टैक्सेशन या कर लगाना अनिवार्य हो जाता है। डेफिसिट बजट, डेफिसिट फाइनेन्सिग बोरोइंग और आवश्यक दृष्टि से टैक्स लगाने से इन्फ्लेशन होता है। आज की समस्या को देखते हुए संभवतः सरकार यह कहे कि इनफ्लेशन अनिवार्य है, उसका मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन सब बातों की सीमा होती है। इन्फ्लेशन एक सीमा के बाहर जाता है तो एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है।

माल की ओछत और नाणे की बहुतायत यदि इन्फ्लेशन की प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया से जनसाधारण उत्पीड़ित

Page No 35

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होता है, आवश्यकता की वस्तुओं के भाव बढते हैं और अगर इन्फलेशन एक मात्रा से अधिक होता है तो उस पर नियंत्रण करना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यदि सरकार आवश्यकता की वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं कर पाती तो जनता का सामान्य जीवन है, उस जीवन को शांतिमय और सुखमय बनाने में सरकार विवश रहती है। अध्यक्ष महोदय, बजट में मैंने देखा कि ओवर ड्राफ्ट और ओवर ड्राफ्टिंग की दूषित परम्परा को छोडकर केन्द्र से ३५ करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज का लिया गया है और ओवर ड्राफ्ट का हिसाब मुकम्मिल कर दिया गया है। ओवर ड्राफ्ट की परम्परा, मैं समझता हूं, अनसाइन्टीफिक है और अशोभनीय है, वह बन्द हुई है—इसका स्वागत है। लेकिन सरकार को मैं सचेत तथा सावधान करना चाहता हूं कि जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना आयोग के कहने के अनुसार हमने अन्धा-धुन्धी खर्च किया और जो संकट का सामना हमें करना पडा और हमारे दिवालियापन का पर्दा फाश हो गया—यदि उससे हम सबक नहीं लेंगे और सचेत नहीं होंगे और यथाशक्ति मितव्ययता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो सम्भव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं सरकार का इस ओर भी पुरजोर रूप से ध्यान दिलाऊंगा। इस सदन में तथा राजस्थान प्लानिंग बोर्ड में मैंने एक बार से अधिक बार यह कहा है कि हमारा प्लान हमारी शक्ति के उपरांत अथवा हमारा प्लान ओवर एम्बीशियस न हो। इस बात कोभी मैंने देखा कि प्लान का अनुमान २३६ करोड के बजाय अब कोर आफ दि प्लान २०९ करोड पर निर्धारित किया गया है। मैं इस सदन में यह भी कह देना चाहता हूं कि मेरी समझ के अनुसार आज की स्थिति को देखते हुए यह २०९ करोड भी एक ओवर एम्बीशियस प्लान का द्योतक है। इसमें भी आगे जाकर के सम्भवतः हमें कुछ कमी करना आवश्यक अनुभव हो। साथ ही नान-प्लान एक्सपेंडिचर के सम्बन्ध में मितव्ययता अगर सरकार नहीं करेगी और कठोर नियंत्रण इस सम्बन्ध में नहीं रखेगी तो सरकार भारी भूल करेगी और इसका दुष्परिणाम मैं समझता हूं कि भयंकर हो सकता है।

संकटकालीन स्थिति में राज्य ने केन्द्र का क्या सहयोग किया,इस सम्बन्ध में भी सूक्ष्म दृष्टि से हमें विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था, बजट को देखने से सुचारू रूपेण चलती हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता। आर्थिक परतंत्रता आज भी हमारे ऊपर मंडराये हुए है। राजस्थान गवर्नमेंट केन्द्र के ऊपर भार स्वरूप है, यदि यह कहा जाय तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी संकटकालीन स्थिति के अन्दर लोगों ने डोनेशन, दान रक्षा कोष के अन्दर यदि दिये तो उसका मैं स्वागत करता हूं, परन्तु यह जनता से सम्बन्धित है और इससे बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। बजट की आमदनी ६३ करोड १६ लाख के करीब अनुमानित है और खर्चा ६६ करोड १४ लाख के करीब आंका गया है। इस सम्बन्ध में जो नान-प्लान एक्सपेन्डीचर बताया गया है, उसमें भी दो करोड रुपये के करीब बेशी हुई है और ओवरआल डेफीसिट, जैसा मैंने कहा, साढे चार करोड रुपया है। यदि यह दो करोड रुपया, जो बेशी खर्च हुआ है उसे पूर्ण रूपेण अगर लापरवाही के रूप से खर्च किया हुआ नहीं माना जाय तो इसमें एक एक्सेप्शन सम्भवतः मैं मानने के लिये तैयार हूं और वह है पुलिस के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में पचास लाख रुपये का प्रावधान है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह प्रावधान अनावश्यक नहीं है। इस प्रावधान का बहुत हद तक हमारी दूषित विदेश नीति से सम्बन्ध है लेकिन उस विदेश नीति पर इस सरकार का कोई काबू नहीं है इसलिये इस पचास लाख रुपये के व्यय के सम्बन्ध में, जो पुलिस के हेतु खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, उसका मैं विरोध नहीं करूंगा। परन्तु साथ ही साथ करीब १ करोड से सवा करोड रुपये की जो फिजूल खर्ची हुई है, उस खर्च के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान पुरजोर रूप से आकर्षित करते हुए यह कहूंगा कि मितव्ययता हमारा सर्व प्रथम कन्सीडरेशन, सर्व प्रथम विचार होना चाहिये। अगर हम मितव्ययता से करोड़, डेढ करोड़, रुपया भी बचा सकते हैं तो सम्भवतः जनता के ऊपर इस हद तक हमको टैक्स भी कम लगाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, १९५१-५२ से लगाकर सन् १९६२-६३ तक अगर आय और व्यय देखा जाय तो आय और व्यय दोनों में करीब करीब चार गुनी बेशी हुई है, चार सौ परसेन्ट इन्क्रीज रेकार्ड की गई है। मैं मानता हूं कि जिस आर्थिक नीति, जिस योजना पर हम चल रहे हैं, उसके अनुसार सम्भवतः एक हद तक हमारी इस एक्सपेन्डिग इकोनोमी को कायम रखते हुए इस प्रकार इन्फ्लेशन भी आवश्यक है परन्तु एक्सपेन्डिग इकोनोमी की भी हद होती है। मैं समझता हूं कि यह तथाकथित एक्सपेंडिग इकोनोमी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और ऐसी योजना के सम्बन्ध में भी, जो एक हद के बियोन्ड लिमिट, एक हद के बाहर नहीं जा सकती। अगर आप उस हद का उल्लंघन करते हैं तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप विकास को ध्यान में भले ही रखें, विकास भले ही करना चाहें, चाहे जितनी भी शुद्ध आपकी नीति हो परन्तु इस दूषित नीति के साथ आपकी शुद्ध भावना कभी विकास को आगे नहीं बढा सकती अवश्यमेव आपका मार्ग विनाश की ओर जायेगा।

यह केवल मेरा ही मत नहीं है परन्तु कई देशों के अर्थशास्त्रियों का भी यही अभिमत है और इन अर्थशास्त्रियों में सी. डी. देशमुख जो भारतवर्ष के भूतपूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका भी यही स्पष्ट अभिमत है। यह चार गुणा बढावा फोर फोल्ड इन्क्रीज, से मैं अनुभव करता हूं कि राजस्थान के किसानों पर कोई कमबोझ नहीं पडा। लैन्ड रेवेन्यू, भू-राजस्व जो १९५१-५२ में तीन करोड १८ लाख थी (३,१८,००,०००) वह ६२-६३ तक ८,८०,००,००० तक पहुंच चुकी है और इस ८,८०,००,००० में सेस कर अलग है यह उसमें शुमार नहीं है, जो किसानों पर पडता है। इसके अलावा सेल्स आफ एग्रीकल्चरल लैंड भी इसमें शुमार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ३,१८,००,००० से बढकर १० वर्षों में ८,८०,००,००० भू-राजस्व को पहुंचा देना किसानों पर एक इतना बोझ डालना है कि जिसे वे बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। यह नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में अब भविष्य में, कम से कम निकट भविष्य में किसानों पर बोझा डालने के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्थगित करें नहीं तो यह कर एक अत्याचार का स्वरूप धारण करेगा। इसके अलावा यह बुकलेट राजस्थान बजट स्टडी ६३-३४ के नाम से वितरित किया गया है उसके पेज ५ पर मेजर हैड बी के अन्तर्गत अदर टैक्सेज एण्ड ड्यूटीज का सब हैड है उसके अन्दर ५१-५२ में ०.९८ औसत ९८ हजार रुपये की आमदनी बताई है और ६३-६४ में इसी सब-हैड के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्तर्गत आमदनी २००.७२ लेक्स बताई गई है। मैंने कोशिश की कि मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूं परन्तु स्पष्टतया मुझे कोई अनुमान नहीं हो सका कि यह ९८ हजार से २ करोड रुपये किस तरह से किस कारण से १० वर्षों में बढे। मैं जानना चाहूंगा यदि इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे।

मितव्ययता के संबंध में, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सेवक समाज, खादी भंडार, सेवा संघ आदि संस्थाओं में लाखों रुपयों का फिजूल खर्चा हो रहा है। सरकार संभवतः अपनी हठ-नीति के अनुसार इन विभागों को समाप्त करना पसन्द नहीं करे, लेकिन संकटकालीन स्थिति को देखते हुए, मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ हमारी जनता की गाढी कमाई का यह टैक्सों द्वारा पैसा वसूल हुवा है इस कारण मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन विभागों में भी पर्याप्त रूप से मितव्ययता को ध्यान में रखकर कमी की जाना परम आवश्यक है।

नोन फूड ग्रूप के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, उदाहरणार्थ गन्ना, मिर्च, सरसों, तमाखू आदि जो केश क्रोप्स हैं उनके उत्पादन में कमी होना बताया गया है। इस सम्बन्ध में पेज ४६ पर मैं रेलेवेन्ट एब्सट्रेक्ट को कोट भी करूं, इसके बाद यह लिखा गया है :

"Decline in production of these crops shall, however, be compensa'ed by the rise in the producloin of other crops."

दूसरी अन्य फूड क्रोप्स के सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। मैं समझता हूं कि यह बात गलत है, ठीक नहीं लिखी गई है। मेरा तात्पर्य यह है कि केश क्रोप्स पर टैक्स लगाने के कारण किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिला कि केश क्रोप्स की ज्यादा खेती करें। इसके साथ साथ फूड क्रोप्स के भाव गिर जाने से काश्तकार को नुकसान हुआ है। इधर केश क्रोप्स पर टैक्स उधर फूड क्रोप के भाव गिरे। गरीब आश्तकारों को दुतरफी मार भुगतनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह सरकार की नीति है वह दुरुस्त नहीं है और दूषित है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार सामन्जस्य उत्पन्न करने का विचार करे।

डिजिल के सम्बन्ध में बताया गया कि बढिया डिजिल पर ६ नये पैसे पर लीटर और घटिया पर ४ नये पैसे पर लीटर बढाने का बजट में उल्लेख है। इसके साथ साथ ट्रेक्टरों पर भी टैक्स लगाने का उल्लेख है। उदाहरणार्थ गंगा नगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा गेहूं का भण्डार है वहां पर सारे राजस्थान के मुकाबले में ८० परसेन्ट ट्रेक्टर हैं। इसलिये इन ट्रेक्टरों और डिजिल पर टेक्स लगाने से वहां के किसानों को खेती के काम में ठेस पहुंच सकती है। हमारी फूड सफिसियन्सी, हमारा खाद्य स्वावलम्बन बहुत करके गंगानगर जिले पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि गंगानगर जिला अकेला सारे राजस्थान को १२ महीने तक गेहूं दे सकता है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक रूप से अदूरदर्शिता के कारण सरकार ने डिजिल पर और ट्रेक्टरो पर टैक्स लगाने की योजना की है।

अध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स ओन सीरीयल्स के सम्बन्ध में एक बड़ी भारी समस्या मैं समझता हूं कि राजस्थान में उत्पन्न हो गई है। जौ, गेहूं, चना आदि पर दो प्रतिशत तथा एक प्रतिशत बाजरा, जवार, मक्की पर सेल्स टेक्स

(महारावल श्रीं लक्ष्मणसिंह)

लगाया गया है। जो, बाजरा, ज्वार, मक्का एक ऐसे अशियाय हैं कि जो ९५ प्रतिशत राजस्थान की पब्लिक के लिये आवश्यक हैं उनके काम की यह वस्तुएं हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन एयर फोर्स के द्वारा इंग्लैंड के ऊपर बमबारी हुई और लंदन में हजारों मकान खंडहर पड़े रहे उस समय भी यूनाइटेड किंगडम में अन्न के ऊपर, आने जाने के संबंध में या अन्यथा रूप से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। संकटकालीन स्थिति के अन्दर सरकार का यह सर्व प्रथम कर्तव्य है कि जनता के मोरल को कायम रखने के लिये उन्हें अन्न पर्याप्त रूप से दिया जाना चाहिये। जनता यह अनुभव करती है, अभी तो सीज फायर ही है, युद्ध का नाम भी नहीं है, ऐसी स्थिति में ९५ प्रतिशत जनता की रोटी के ऊपर टैक्स लगाना मेरे ख्याल से सरकार के लिये शर्मनाक बात है, इसकी मैं कटु आलोचना और निन्दा करता हूं और सरकार का इस ओर पुरजोर ध्यान दिलाता हूं कि कम से कम जो, बाजरा, जवार और मक्का के ऊपर यह अवांछनीय टैक्स लगाया गया है, उसके ऊपर आदरणीय वित्त मंत्रीजी पुनः विचार करें और इस कर को न लगावें। इसको पूर्णरूपेण हटा दें और हटा कर थोडा बहुत अपने कंजूसी के हिसाब को छोड कर उदारता का प्रदर्शन करें।

अध्यक्ष महोदय, जॉर्ज बर्नार्ड शा ने कहा है:

"The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them but to be indifferent to them. That is the essence of humanity."

यह अमानुषिक कर जनता पर, उनकी रोटी पर लगाया गया है यह सर्वथा अवांछनीय है।

जनरल सेस, १५.५१८ एकड तक के खातेदार पर २५ प्रतिशत लगान बढ़ाया है, ३१.२१८ एकड के खातेदार पर ३३ प्रतिशत बेशी की गयी और इससे अधिक रकबे के खाते पर ५० परसेंट बेशी का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कितने ही जिलों के अन्दर अभी ही बन्दोबस्त हुआ है और बन्दोबस्त में भी पर्याप्त रूप से लगान की दरें बढाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बेटरमेन्ट लेवी इरिगेशन के रूप में किसान के ऊपर, हजारों रुपया सरकार ले रही है और इसके अलावा जो अन्य टैक्स जनसाधारण देते हैं, उन्हें भी किसानों को देना पड रहा है। मैं समझता हूं कि किसान के ऊपर इतना टैक्स मनु के समय से आज दिन तक कभी भी नहीं लगा होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों की शत्रु है, उनकी रीढ की हड्डी तोड, उनको निसहाय बना कर, पशु के समान उन पर सहकारी खेती का हल लादना चाहती है। सरकार को इस संबंध में मैं निवेदन करता हूं कि किसानों पर रियायत करना परमावश्यक है और यह जो नीति जिसका परिवर्तन बजट में हुआ है, यह सर्वथा अनुचित और दूषित है।

इस जनरल सेस का ४० परसेंट पंचायतों को देने का सरकार विचार करती है, इसका अर्थ यह है कि विकेन्द्रीकरण राजस्थान में सफल नहीं हुआ इसलिये यह लगाना सरकार को परमावश्यक अनुभव हुआ। पंचायत समितियों को सिद्धांततः ग्राम राज्य, ग्राम स्वतन्त्रता के सिद्धांत को देखते हुए यह परमावश्यक है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनको छूट दी जाय कि यह कर उनकी इच्छा हो तो लगायें, अगर लगाएं तो जो सरकार की निर्धारित दर है उससे अधिक नहीं लगा सकते, चाहें तो कम लगायें, चाहें तो सर्वथा इस टैक्स को नहीं लगाये यदि यह सिद्धांत भी सरकार मानती तो विकेन्द्रीकरण की योजना के अनुसार एक शोभनीय वस्तु होती और नहीं तो मेरे ख्याल से एक स्टीम रोड रोलर को अपनी अधिनयत नीति के अनुसार विकेन्द्रीकरण की योजना के ऊपर चलाना है। सरकार का यह हस्तक्षेप, बालाबाला दखल करना अवांछनीय रूप से उन पर थोपा जायगा। यदि यह हुआ तो मैं स्पष्टतया कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में जह विकेन्द्रीकरण का प्रारंभ हुआ, उसका संभवत अन्त भी यही हो क्योंकि इस अत्याचारी और कठोर प्रस्ताव को सरकार यदि नहीं उठाती है तो मैं इस संबंध में और कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यदि यह योजना पंचायतों पर लागू होगी तो बहुत कुछ हद तक कन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्ज के अन्दर भी इसके विपरीत परिणाम होने की संभावना है। लोग चोरी छुपे जमीनों को उत्पादन के नाम से इधर उधर इंतकाल करेंगे और कन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के विपरीत भी कई तरह की प्रक्रियायें उत्पन्न होंगी जिससे पटवारियों को भ्रष्टाचार करने का प्रोत्साहन मिलेगा और यह भूमि संबंधी नीति जो सरकार के विचार से सुन्दर है, इसके विपरीत परिणाम होंगे, भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलेगा और लाभ की बनिस्वत हानि अधिक होगी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, एक कहावत जो प्रसिद्ध है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। कहावत है :

Corruption becomes co-existent when it is allowed by those who can stop it.

सरकार इस सिद्धांत को जानती है परन्तु तब भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है। किसानों के संबंध में राजस्थान में पर-कैपिटा टैक्स ओन लैंड रेवेन्यू ४.३६ रुपया है। मैंने देखा, इससे यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में कोई अन्य राज्य ऐसा नहीं है जहां पर पर-कैपिटा लैंड रेवेन्यू किसान के ऊपर राजस्थान से अधिक हो।

यह आश्चर्य और खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सरकार के द्वारा किसानों को यहां इनायत फरमाई गई है।

स्टेम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में २० प्रतिशत बढोतरी करने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि न्याय व्यवस्था और भी मंहगी होगी। न्याय व्यवस्था पहले से ही एक हद से अधिक मंहगी हो चुकी है और उसको और भी मंहगा करना सर्वथा अवांछनीय है। इसका भी मैं विरोध करता हूं। जैसे स्वर्ण की योजना असफल हुई उसी तरह से यह स्टैम्प ड्यूटी की योजना भी, मुझे भय है, सफल नहीं हो सकेगी। जमीन की ठीक कीमत नहीं आंकी जावेगी और दस्तावेजात ऐसे बनाये जावेंगे कि जिसके द्वारा ऐसा मान होगा कि सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि लोग झूठ बोलें और भ्रष्टाचार को बढ़ायें।

इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि उद्योगीकरण के लिये यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय कलकता, बम्बई में मारवाड़ी उद्योगपति महानुभावों से चन्दा लेने जाते हैं परन्तु यह आम तौर से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कहा जाता है कि यदि वे यहां पर उद्योगीकरण की कोई समस्या लेकर आते हैं तो महीनों तक सरकार के दरवाजे खटखटाने के पश्चात भी उनकी कोई संतोषजनक सुनवाई नहीं होती। मैंने यह सुना है विश्वस्त रूप से कि मध्य प्रदेश में उद्योगीकरण के संबंध में योजना सुचारु रूप से, संतोषजनक ढंग से चलायी जाती है और कोई भी उद्योगीकरण के हेतु व्यवसायी जाते हैं तो उन्हें १०, १२, १५ दिन में कुछ न कुछ उत्तर हां या ना का मिल जाता है। इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर भी विचार करे और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी सुव्यवस्था की जाय कि जिससे राजस्थान में प्रोत्साहन मिले।

कौनसे खनिज पर कब से कितना टैक्स लिया जायेगा, बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मेरे ख्याल से यह भी एक खामी है और जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने इस संबंध में आपत्ति उठायी थी: मेरे ख्याल में बजटिंग के सिद्धांत के विपरीत है हालांकि सरकार को यह अधिकार है कि टैक्स के संबंध में संकेत करें और पूर्णरूपेण योजना न बतायें। मैं सरकार का इस हद तक दोष मानता हूं और कहूंगा कि अनिवार्य रूप से बजट में खामी है और सदन को कांफीडेन्स में लेना सरकार का कर्तव्य है और हम सब आशा करते हैं कि इस संबंध में भी माननीय वित्त मंत्री यथोचित प्रकाश डालेंगे।

प्राइस इंडैक्स के संबंध में मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। होल सेल बिजनिस (थोक व्यापार) पर पाया गया है ०.६ प्रतिशत इन्क्रीज (वृद्धि) हुई तब रिटेल बिजनेस (फुटकर व्यापार) पर १.५० प्रतिशत वृद्धि हुई। यह आंकड़े राजस्थान इकोनोमिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स विभाग ने अजमेर और जयपुर शहरों में जांच करने के पश्चात् प्रकाशित किये हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि सरकार कीमतों पर भी काबू नहीं पा सकी है। मैं अपने अनुमान से यह अवश्य कहूंगा कि यदि रिटेल पर ०.९ प्रतिशत या १.० प्रतिशत भी बढ़ती तब भी एक बात थी परन्तु १.५० प्रतिशत की वृद्धि बहुत ज्यादा है। सरकार को इस तरफ भी सतर्क रहना चाहिये क्योंकि मेरा यह अनुमान है कि केन्द्रीय बजट के पश्चात् और राजस्थान बजट के पश्चात् एक गरीब आदमी के घर के बजट में कम से कम २० प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जावेगी।

मैं राजस्थान सरकार को यह निवेदन करूंगा कि क्यों नहीं वह केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे कि हल्की से हल्की साल्ट ड्यूटी रिवाइव की जाय। अगर सरकार की यह हठधर्मी है कि रिवाइव ही न हो, साल्ट पर कोई टैक्स ही न लगे उनका अधिकार है इस हठधर्मी को चलाने का क्योंकि बहुमत आपका है परन्तु यह पेनीवाइज पाउण्ड फुलिश पोलिसी penny wise pound foolish policy है। आप सोचिये जो, जवार, बाजरा, मक्का ज्यादा मिकदार में लोगों के काम आता है या नमक? नमक पर टैक्स न लगाया जाय और जौ आदि पर टैक्स लगाया जाय, मेरी समझ के तो यह कतई बाहर है।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना हो, यदि वह योजना खाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्था न करे, पहनने के लिये सस्ता अच्छा कपडा पर्याप्ति रूप से उपलब्ध न हो, रहने लिये मकान की व्यवस्था न हो वह प्लानिंग

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कोई योजना नहीं। वह, मेरे, ख्याल से तो, जैसा हम देख रहे हैं, अंधाधुंध की साहिबी है। इस संबंध में एक इकोनोमिस्ट, जिसका नाम मैं नहीं कहना चाहूंगा, का लिखना है:

"The first priority in all planning provision of every household in the country for its basic needs of food, clothing and shleter within a few years and that the entire pattern of taxation should be reshaped to assure the right to work and to right to live. The greater the quantum of taxation, the larger the proportion that would fall on the shoulders of the poor".

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी बढ रही है। मध्यम श्रेणी का वर्ग और गरीब किसान टैक्सों से परेशान है। सरकार शनैः शनैः लोगों का विश्वास खो रही है। देश की स्थिति, मैं समझता हूं, अस्त-व्यस्त है। सरकार धीरे धीरे जनता के प्रति अपराधों की ठेकेदार बनती जा रही है। सरकार को अपनी विदेश नीति तथा स्वर्ण के फलस्वरूप एक दिन अवश्य पछताना पडेगा। आज भ्रष्टाचार का बोल बाला है। सोस्लिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी केवल एक धोका है। यदि सरकार को लायसैन्स परमिट मोनोपोली राज्य तथा १४ कैरेट सरकार की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(१ म. प.)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय वित्त मत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उनको राज्य का बजट इस सदन में प्रस्तुत करने का यह दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ इस बात के लिये भी बधाई दूंगा कि उनकी सरकार अब तक इस बात का प्रयत्न करती आ रही थी कि राज्य में वह कौनसा दिन आयगा जिस दिन पूर्ण रूप से समाजवादी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया जायगा। यह सौभाग्य भी उन्हीं को प्राप्त हुआ है कि उन्होंने एक समाजवादी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। साथही मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने राज्य के इतिहास में अपना नाम भी अमर कर लिया है जिससे अब तक हमने जो प्रयास किये थे उन सबको चौपट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम विकास की बातें करते हैं, इस समय हमारी रोटी रोजी पर और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सब प्रकार के कर भार लगा कर हमें उनका मोहताज कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर वित्तीय स्थिति के प्रश्न को लेकर हमारे वित्त मंत्री इस बात के लिये बडे प्रवीण हैं, कहने में संकोच नहीं करते कि इस समय जो भी घाटा है, इस समय जो वित्तीय दशा सोचनीय है उसका कारण वर्तमान सरकार नहीं लेकिन इसका कारण पहले वाली सरकार है। उन्होंने यह भी कहने में संकोच नहीं किया कि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में यथाशक्ति इस बात की चेष्टा की कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को काबू में रखें लेकिन उस पर भी हम अपना काबू नहीं रख पाये। उन्होंने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि दूसरी पंच वर्षीय योजना का काफी कुछ खर्चा करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में बाकी और कुछ क्षेत्रों में हम भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत नीचे रह गये। अब इन सारी कमियों का अगर केवल अर्थ यह लगाया जाय कि

(श्री भैरोंसिंह)

कमियां केवल पिछली सरकार के कारनामों के कारण रही हैं तो वित्त मंत्री महोदय भी उस दशा से अपने आपको सुबकदोष नहीं रख सकते जिस दोष के लिये वे पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे मैं पिछली वाली सरकार को इस जिम्मेदारी से दूर नहीं करना चाहता लेकिन मैं स्वयं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिछले वर्ष के बजट में बताया था कि हमारे सामने तृतीय योजना काल का प्रथम वर्ष वित्तीय दृष्टि से संकट का वर्ष था उस वर्ष के अन्दर हमें पिछले वर्षों के डेफीसिट फाइनैन्सिग के कारण सात करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पडा था। तीसरी योजना के पहले वर्ष के लिये ११ करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने थे इस कारण हमारी कुछ आर्थिक स्थिति बिगड़ी। अब मैं यह समझ कर भी चलूं कि दूसरी योजना का डेफीसिट फाइनैंसिग के कारण ७ करोड़ रुपया और तीसरी योजना के पहले वर्ष का ११ करोड रुपया इन दोनों को मिलाकर देखें तो १८ करोड रूपया होता है। इन १८ करोड रुपयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो मेरे सामने प्रश्नवाचक के रूप में एक प्रश्न खडा होता है कि आखिर दूसरी योजना में हमारी सरकार ने जो अतिरिक्त आय का लक्ष्य निर्धारित किया था वह आठ करोड के बाद में ९ करोड हो गया और उसके बाद में १२ करोड हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने अपनी अतिरिक्त आय के साधन जुटाने में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई हो। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के बाद भारत सरकार से मिलने वाली सहायता भी पूर्ण अंशों में प्राप्त हुई है तो यह डेफीसिट बजट किस प्रकार से प्रस्तुत कर पाये उसके लिये हम किस प्रकार से जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा समझता हूं इस विषय में इस समय वाद विवाद न किया जाकर वर्तमान स्थिति को लेवें जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के घाटे की पूर्ति के लिये हमने भारत सरकार से कुल मिलाकर ३५ करोड रुपये का कर्ज लिया है। उस कर्ज के संबंध में १८ करोड रुपये का तो हिसाब मिलता है। बाकी का हिसाब नहीं है यह मैं नहीं कहता बाकी का भी कई मदों पर खर्च किया गया है। वह भी हिसाब मिलता है वित्तीय मजबूरियों के कारण हमें भारत सरकार से ओवर ड्राफ्ट लेना पडा। लेकिन मैं यह पूछ सकता हूं यह १७ करोड रुपया आपने किन मदों पर खर्च किया। आप बता सकते हैं कि हमने यह रुपया अलग अलग मदों पर खर्च किया है। १७ करोड रुपया अपने घर पर ले गये हो, यह इल्जाम मैं नहीं लगाता लेकिन यह इल्जाम अवश्य लगा सकता हूं कि आपने अपनी आय की सीमा के बाहर १७ करोड रुपये का खर्च किया। इसलिये ३५ करोड रुपये की देनदारी हमारे ऊपर आ गई। जिस देनदारी के भुगतान के लिये अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के लिये मजबूर होना पडता है। सरकार इस प्रकार से सुबकदोष हो सकती है कि हमने अपने खर्चे के ऊपर कन्ट्रोल रखा है आमदनी से अधिक खर्च करने की चेष्टा की है। इस वर्ष का बजट भी जिसके अन्दर ६३ करोड रुपये की आमदनी है और एक्सपैन्डीचर है ६६ करोड रुपये का। ६३ करोड रुपये की आमदनी और ६६ करोड रुपये का खर्चा यह इस बात का सबूत है कि आज की स्थिति के अन्दर भी हम अपने खर्च पर कन्ट्रोल नहीं करना चाहते। अगर

Page No 43

(श्री भैरोंसिंह)

खर्चे पर हमारे कन्ट्रोल की स्थिति होती तो ६३ करोड की आमदनी पर ६६ करोड का खर्च नहीं करते । सन् ६२-६३ के बजट में रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स के आधार पर ५९ करोड का खर्च था उसी के आधार पर इस वर्ष ६६ करोड का एक्सपेंडीचर रखा है। एक वर्ष के अन्दर जो ७ करोड रुपये का अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं क्या उसके लिये कोई योजना बनायी है सात करोड रुपये का अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं उस हालत में जब कि किसी भी खर्चे को जायज बनाने के लिये एमरजेंसी का नाम लेते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो एमरजेंसी की मद बतायी है उस पर जो खर्चा करना चाहते हैं वे कुल आंकडे ५३ लाख से बढ कर नहीं होते हैं । सात करोड में से ५३ लाख निकाल दिये जांय तो ६॥ करोड रुपये आपने अतिरिक्त खर्च क्यों किये ?

जिस बात का दोष आप पिछले वित्त मन्त्रियों पर लगाना चाहते हैं कि उनके डेफीसिट फाइनेन्स के कारण और एक्सपेन्डीचर बढता होने के कारण हमारे सामने यह खराब वित्तीय स्थिति पैदा हुई है, तो उस प्रकार का दोष आप पर भी आयद होता है । आप भी अपनी आमदनी के बूते के बाहर खर्चा बढाते जा रहे हैं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हमारी राज्य सरकार जो कहती है कि हम अपने खर्चे पर काबू करते जा रहे हैं वह उसके आंकडों को देखने से बेकार की बात लगती है । सबसे अच्छी बात तो यह होती कि हमारी जितनी आमदनी होती उसी आधार पर खर्चा होता । पर बदकिस्मती से हम चाहे ६०-६१ का सन् ले लें तो भी देखेंगे कि आमदनी हमारी ४३ करोड की थी और खर्चा ४५ करोड के लगभग हो गया । ६१-६२ में आमदनी हमारी ४६ करोड रही और खर्चा ५२ करोड तक चला गया

६२–६३ में आमदनी हमारी रही ६० करोड उसमें वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दे सकता हूं कि आमदनी से खर्चा कम हुआ पर उसकी कसर अगले वर्ष में ७ करोड का अधिक खर्चा बढाकर उस धन्यवाद को भी वापिस लेने की स्थिति पैदा कर दी है ।

मैं कहना चाहूंगा कि जब सरकार अपने बजट पर और एक्सपेन्डीचर पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती, जो अपने साधनों के ऊपर कन्ट्रोल नहीं कर पाती वह इस बात का सबूत है कि हमारी राज्य सरकार हमारी वित्तीय स्थिति को कन्ट्रोल में रखने में बिलकुल पूर्णतया अयोग्य साबित हुई है ।

पिछले वर्ष हमारे वित्त मन्त्रीजी ने कहा था कि ६१-६२ में संकट पैदा हो गया था वित्तीय साधनों को जुटाने में, पर वह साथ में यह नहीं बता पाये कि क्यों यह स्थिति पैदा हुई । पर मैंने आंकडे निकाले अलग-अलग से तो उनके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका कारण सन् ६१-६२ में अतिरिक्त खर्चा करना था । वह चुनाव का वर्ष था । किसी प्रकार से अधिक खर्चा करके दुनिया को आकर्षित करना था और उनसे वोट लेने थे । तो इस प्रकार की चेष्टा की गई इसलिये वह संकट की स्थिति बकौल वित्त मन्त्रीजी के, पैदा हो गई थी और इस कारण से हो गई थी कि चुनाव जीतने के लिये सरकार को ११ करोड का अतिरिक्त खर्चा करना पडा । इस घाटे की पूर्ति के लिये राजस्थान सरकार को भारत सरकार

(श्री भैरोंसिह)
से कर्जा लेना पडा और अब उस कर्जे की किश्तों को चुकाने के लिये राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाया जा रहा है यह कहां तक वाजिब हो सकता हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह आपका अन्दाज है न ?

श्री भैरोंसिह: आपके कागजों में लिखा हैं, यह मेरा अन्दाज नहीं हैं, वह वित्त मंत्री जी का अन्दाज है । वित्त मंत्रीजी ने कागजों में जो लिख दिया है मैं उसी को दोहरा रहा हूं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: मैं सिर्फ इतने मामले पर कह रहा हूं, फिगर्स ठीक हो सकते है, पर यह केवल आपका ख्याल है कि चुनावों में खर्चा किया और इसलिये घाटा हुआ ।

श्री भैरोंसिह: मैं कहता हूं कि मेरे क्यास का भी कारण है कि पर कैपिटा इन्कम लोगों की नहीं बढी जिससे सरकार की बढी हो । ६१-६२ में प्लान एक्सपेन्डीचर इतना नहीं बढा जिसके आधार पर कहा जा सके कि ११ करोड का खर्चा इसके कारण हुआ । यह सारा खर्चा जो हुआ है उसके लिये और कोई कारण नहीं हो सकता सिवाय चुनाव जीतने के लिये अमुक स्थान पर अमुक काम के लिये खर्चा करना था वह कर दिया । अब इसकी पूर्ति के लिये टैक्स लगाने की स्थिति सरकार के सामने आई है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर और नानडेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर का परसेन्टेज निकालें तो इसके आधार पर भी हमारा खर्चे का परसेन्टेज हर साल बढता गया है । ६०-६१ में ४१ परसेन्ट था, तो वह ६१-६२ में ४२ हो गया । ६२-६३ में ४४ हो गया, और ६३-६४ में ४३.४ हुआ । उस हालत में भी हमारा नान-प्लान्ड एक्सपेन्डीचर हर साल बढता गया । हमारे जितने नान-प्लान्ड आइटम्स हैं उनमें अधिक खर्चा होता गया और इस प्रकार से हमारा इन्डेक्स जो है प्लान का और नान-प्लान एक्सपेन्डीचर का वह भी २६४ से बढकर, ६०-६१ में २६४ होता है तो आज का ३८४ होता है । तो जिस सरकार के नानप्लान और प्लान एक्सपेन्डीचर में नानप्लान एक्सपेन्डीचर इस भांति बढता जावे तो उस सरकार के लिये मैं कडे शब्दों का भी प्रयोग करूं तो कह सकता हूं कि आज नहीं हो, कुछ दिनों के बाद इस सरकार का दिवाला निकलने वाला है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती । आपका दिवाला निकलना आपके ही लिये बुरा नहीं होगा, चार करोड राजस्थान की जनता को भी प्रभावित करेगा । तो उसको प्रभावित करने वाले . . . .

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : आंकडों में इस तरह का इन्फलेशन न लावें ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (ग्रासीन्द): आप इसी तरह के आंकडे प्रयोग में लेते हैं क्या ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: यह जो नोटिस में लाये है उसके लिये कांग्रेचुलेशन देता हूं ।

श्री भैरोंसिह: दो करोड की जनसंख्या को सारी की सारी को यह प्रभावित करेगा । दो करोड राजस्थान की जनता इससे प्रभावित होगी । और दो करोड जनता प्रभावित होती

(श्री भैरोंसिंह)

हैं तो उस हालत में हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है कि हम अपने खर्चे पर किस प्रकार से कन्ट्रोल करें। खर्चे पर हम किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस हालत में हमारे सामने चारा नहीं रहता कि हम जनता पर टैक्स लगावें और ज्यादा से ज्यादा रुपया उससे वसूल करें। नान-टैक्स रेवेन्यू घटती जावे और टैक्स रेवेन्यू बढती जावे। जो अच्छी सरकार होगी, वित्तीय स्थिति काबू में है जिसके, वह चेष्टा यह करेगी कि खर्चे को काबू में रखें। अगर खर्चा काबू में उसके नहीं रहता तो दूसरा तरीका वह सरकार अपनाती है कि नान–टैक्स रेवेन्यू को बढाऐं और टैक्स रेवेन्यू को घटाएं। पर दुर्भाग्य से जो बजट हमारी सरकार का हमारे वित्त-मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसमें न जनता के लिये किसी प्रकार का कोई रिलीफ है, न उसके अनुसार सरकार के नौकरों को रिलीफ मिलने वाला है, न सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का और भत्तों आदि का रिलीफ मिलने वाला है, न नीचे के कर्मचारियों को अलाउन्स वगैरह का रिलीफ मिलने वाला है, अगर इस रिलीफ को भी एक तरफ रख दें कि न मिला तो न सही, एक्स्ट्रा बरडन तो कोई नहीं है, तो यह देखें तो एक्स्ट्रा टैक्स बरडन भी बहुत है, रिलीफ न हो और एक्स्ट्रा बरडन भी न हो तो बात समझ में आ सकती है।

पर इस मौके पर एक्स्ट्रा टैक्स बरडन डाला गया है जिससे निश्चित रूप से मानकर चला जा सकता है कि हमारी आज जो स्थिति है उसमें सिवाय इसके कि जनता पर टैक्स लगें और ज्यादा से ज्यादा धन इस प्रकार से उससे खैंच किया जावे और कोई तरीका हमारे पास नहीं है।

सरकार कहती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढा है, इन्डस्ट्रीयल प्रोडेक्शन बढा है, जो आंकडे इसके दिये हैं उनके आधार पर यदि थोडा भी दृष्टिपात किया जावे तो सरकार की कथन की सच्चाई हमारे सामने आ जावेगी। हमारी सरकार का कहना है कि ६०-६१, ६१-६२ की स्टेट की इन्कम इन्डस्ट्रीज के बेसिस पर बढी है और एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के बेसिस पर भी बढी है। जब दोनों आधारों पर स्टेट की आमदनी बढती है तो निश्चित् है कि जनता की भी आमदनी बढी है और जनता की आमदनी बढती है तो उस हालत में यह अहसास करके चला जा सकता है कि जितनी आमदनी बढी है उस पर हम किस प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं।

दुर्भाग्य से सरकारी आंकडों के आधार पर इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढा, पर इसके आधार पर प्राइस इन्डेक्स का लैवल देखना चाहें तो ५४ से लेकर अब तक वह बढता गया है। अब यह समझ में नहीं आया कि एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन हमारा बढा, इन्डस्ट्रियल प्रोडेक्शन बढा पर भाव रुक न पाये। तो आखिर भावों के रुकने का कौनसा तरीका है? आप जब कहते हैं कि जितनी डिमान्ड है उसके अनुसार प्रोडेक्शन नहीं है। पर एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के नाम पर तो आप दम्भ भरकर कहते हैं कि जो हमारे टारगेट्स थे उनको राजस्थान सरकार ने पूरे किये हैं। मैं इसके लिये कोई राजस्थान सरकार की आलोचना नहीं करता, तारीफ करूंगा। पर दोनों प्रोडेक्शन के बढने के साथ प्राइस इन्डेक्स को देखते हैं तो दोनों बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि या तो आपके एग्रीकल्चरल और इन्डस्ट्रियल प्रोडेक्शन के आंकडे सही नहीं हैं, अगर यह प्रोडेक्शन बढता होता तो भावों

(श्री भैरोंसिंह)

में निश्चित् रूप से गिरावट आती पर देखने से पता लगता है कि भावों में गिरावट नहीं आई। अब चीजों में गिरावट आने के स्थान पर कन्जूमर्स गुड्स के भाव बढते जावें तो उस हालत में अध्यक्ष महोदय, हमारा और हमारी सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इन भावों को रोकने की चेष्टा करें। पर भाव रुकते नजर नहीं आते बावजूद इसके कि कहते यह जा रहे हैं कि प्रोडेक्शन बढता जा रहा है।

इस आधार पर एमर्जेंसी में, सारे हिन्दुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमारी सरकार ने कहा और हमारे वित्त मंत्रीजी भी कहते हैं कि लडाई केवल मोर्चे पर ही नहीं लडी जाती, किन्तु कल-कारखानों में और खेतों में भी लडी जाती है। यह कहने से पहले अगर वे आंकडे देख लेते तो उनको भी मालूम हो जाता कि इस इमर्जेन्सी पीरियड में हमारा प्रोडेक्शन गिरा है या बढा है। आप बाकी के लोगों से उम्मीद करते हैं, जनता से उम्मीद करते हैं कि इमर्जेंसी के नाम पर वे प्रोडेक्शन हर क्षेत्र में बढावें, पर आपके राजकीय क्षेत्रों में और अन्य बडे क्षेत्रों में आप उम्मीद नहीं करते यह बडी विचित्र बात है। आपका सीमेन्ट का प्रोडेक्शन ६१ के मुकाबले में ६२ में गिरा है। कोटन का २८३३ गज गिरा है। शूगर का ३८०१ टन गिरा है। तो इस इमर्जेन्सी के पीरियड में जहां आम जनता से यह अपेक्षा रखकर चला जाता है कि वे कारखानों में प्रोडेक्शन बढाने में जुट जावें, मालिक और मजदूर सहयोग रखकर चलें। सरकार की तरफ से उनको पूर्ण सहयोग दिया जावे। उस हालत में आपका प्रोडेक्शन गिरता है। यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान का प्रोडेक्शन किस प्रकार से बढा इसकी जानकारी या तो सरकार को नहीं है और यदि है तो गिरते हुए इस प्रोडेक्शन को रोकने की सामर्थ्य हमारी सरकार में नहीं है। इसलिये इस गिरावट को रोकने के लिये वह प्रयत्न नही कर सकी है। इस हालत में हमारा प्रोडेक्शन, सरकारी आंकडों के आधार पर गिरे भी बढे भी एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढा, हालांकि यह भी विवाद का विषय है, पर अगर बढा भी तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वह इस कारण से नहीं बढा कि हमारा पर एकरेज प्रोडेक्शन बढा है।

इन वर्षों के अन्दर कुछ मेजर कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स के कारण हमारी ज्यादा भूमि इरिगेशन के अन्दर आई है, हमने ज्यादा भूमि को हल के नीचे लिया है और उस कारण से जमीन की तादाद बढी है और उस बढी हुई तादाद के कारण हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढा है। सरकार चाहे इसको स्वीकार करे या नहीं और आंकडों के आधार पर वह इस जगलरी में किसी को किसी प्रकार का मुगालता दे सकती है लेकिन आंकडों को देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने गांव की ही बात कहता हूं दूसरी जगह की नहीं कि एक कच्चा बीघा में ३० मन कच्चे तौल के गेहूं होते थे। आज उसी गांव के अन्दर वही काश्तकार हैं वे खेत हैं उसके बावजूद भी वहां का उत्पादन एक कच्चा बीघा के अन्दर ३० से २० मन के ऊपर आ गया है। किन्तु जो प्रत्यक्ष की स्थिति है उसको स्वीकार करके चलना पडेगा। । मैं कह सकता हूं कि प्रति एकड के हिसाब से हमारी यील्ड गिरी है लेकिन फिर भी हमने ज्यादा जमीन को काश्त के नीचे लिया है और उस आधार पर

Page No 47

(श्री भैरोंसिंह)
हमारा टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढा है। तो यह स्वागत योग्य है लेकिन उसमें भी हमें सावधानी इस बात की बरतनी पडेगी कि हमारी एकड की यील्ड किस प्रकार से घटती जा रही है जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार करके उसमें किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं उसके लिए तैयारी करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार का यह पर कैपिटा इन्कम का विषय भी इस प्रकार का गूढ विषय है कि जिसको मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब भी इस सदन के अन्दर भाषण होता है तो नये प्रकार की पर कैपिटा इन्कम बताई जाती है। आज के एक साल पहले राज्यपाल महोदय ने इस सदन में भाषण दिया था। उस समय उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इन्कम २४५ से बढकर ३१५ हो गयी और वह ३१५ हो गयी १९५४-५५ के भावों के आधार पर। अब १९५४-५५ के भावों पर तो पर कैपिटा इन्कम होती है ३१५ और १९५४-५५ से लेकर आज १९६३-६४ तक इसमें यदि भावों के इन्डेक्स को देखें तो मालूम होगा कि भाव लगातार गिरते जा रहे हैं उसको यदि आज के इस ३१५ पर कैपिटा इन्कम के हिसाब को आज के भावों पर याने ६२-६३ के भाव इन्डेक्स को देखें तो हमारी इन्कम ३१५ से गिरकर २३२ के ऊपर पहुंच गयी। आप इसका हिसाब लगायें भावों के आधार पर। अब जो बजट स्टेडी का मेमोरेन्डम है उसमें लिखा है कि हमारी इन्कम २४५ से बढकर २४६ हुई है तो यह दोनों बातें समझ में नहीं आती। पिछली बार जो मुख्य मंत्री महोदय ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी इन्कम पर कैपिटा ३१५ हुई है १९५४-५५ के भावों के आधार पर। तो मैं उन्हीं की बात को सही मानकर पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य की इन्कम पर कैपिटा ३१५ होती है और १९६३-६४ के भावों के आधार पर उस राज्य की इन्कम २३२ रुपये आती है वह इस बात का सुबूत है कि हमारे राज्य की इन्कम पर कैपिटा गिरी है....

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह किसने कहा है कि आज के भावों के आधार पर परकैपिटा इन्कम २३२ हो जाती है ?

श्री भैरोंसिंह : यह कहा नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि १९५४-५५ के भावों के आधार पर पर-कैपिटा इन्कम ३१५ होती है तो आज के भावों पर २३२ रुपया हो जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं कि पर कैपिटा इन्कम अलग बात है। पर कैपिटा इन्कम को जब आप वर्कआउट करते हैं तो या तो उसको आप करेन्ट प्राइज पर वर्कआउट कीजिए तो आज के प्राइज इन्डेक्स को ले सकते हैं परन्तु प्राइज इन्डेक्स तो आज का लें और पर कैपिटा इन्कम पिछले वर्ष का लिया जाये तो वह कान्ट्रेडिक्शन है।

श्री भैरोंसिंह : आप जो अब तक हिसाब बताते आ रहे हैं शुरू से पर कैपिटा इन्कम का वह १९५४-५५ के भावों के आधार पर ही करते आये हैं। यदि आज के दिन उसको निकालते हैं तो कम होता है। तो उस हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ जब आप कहते हैं कि हमारा इन्डस्ट्रियल प्रोडेक्शन बढा है, एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढा है, लेकिन भाव यों के यों रहे और पर कैपिटा इनकम नहीं बढी तो इसका

Page No 48

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब यह होता है कि या तो आपके इन्ड-स्ट्रियल प्रोडेक्शन के आंकडे सही नहीं है या फिर एग्रीकल्चरल के आंकडे आपके सही नहीं है । अगर हमारा प्रोडेक्शन बढा है तो फिर निश्चित रूप से भावों पर असर पडता और उसके कारण हमारी पर कैपिटा इन्कम में भी फर्क आता लेकिन वह फर्क भी नजर नहीं आता । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार कर्जा जो आगे बढाती जा रही है उसके आधार पर हमारी सरकार को चाहिए कि इस समय जो कुछ खर्चा कर रखा है उसको किस प्रकार से कन्सोलीडेट कर पायें । जो कुछ खर्चा कर पाये हैं उसकी आमदनी किस प्रकार से बढ पाये, हमने किस प्रकार से जो कुछ खर्चा किया है उसकी आम-दनी ले सकें इस प्रकार की चेष्टा हम करें । लेकिन दुर्भाग्य से वह स्थिति मुझे नजर नहीं आती ।

हमारी सरकार की इस वित्तीय स्थिति को देखने के लिये हमें इस बात को ध्यान में रखना पडेगा कि हमारे अब तक के इन्वेसटमेन्ट जो सारे कन्सर्न्स में हैं वह ४ करोड २१ लाख रुपयों के हैं । इसी प्रकार से हमारी सरकार के ऊपर १ अरब ४० करोड रुपये का कर्जा है, इसी तरह से हमने बाकी के लगभग १५ करोड रुपये की गारन्टीज ले रखी हैं । तो जहां हमारे इन्वेस्टमेन्ट ४ करोड २१ लाख के हैं, १ अरब ४० करोड रुपये का कर्जा है और १५ करोड की गारन्टी हमने ले रखी है उस हालत में सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय यह सरकार कम से कम यह तो बताये कि हमने ४ करोड २१ लाख का इन्वेस्टमेन्ट तो कर रखा है लेकिन उसका रिटर्न क्या है ? आप अपने बजट के अन्दर घाटा बताते हैं ४ करोड रुपये का और उस घाटे की पूर्ति के लिये आपने अपना साधन टैक्सों को बनाया है । तो सरकार कम से कम यह तो विचार करे कि हमारा जो कुछ अब तक का इन्वेस्टमेन्ट है उसका रिटर्न कितना आता है । उसके आधार पर जो टैक्स के द्वारा आमदनी की जाये उसके मुद्दे पर हम सारे इन्वेस्टमेन्ट की आमदनी को जोडकर किस प्रकार घाटे की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इन्वेस्टमेन्ट करती है पर उसके रिटर्न की चिन्ता नहीं करती है । मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी प्राईवेट पार्टी ४ करोड का इन्वे-स्टमेन्ट करती है तो वह इस प्रकार की गुंजाइश हमेशा रखकर चलती है कि ४ करोड रुपयों पर कम से कम एक साल का मुनाफा हो तो १० लाख से कम नहीं होना चाहिये, ४० लाख से कम नहीं होना चाहिये और उससे कम का मुनाफा यदि किसी प्राइवेट पार्टी को ध्यान में आता है तो वह इन्वेस्टमेन्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी ।

यह अध्यक्ष महोदय, बिजनेस का सिस्टम है कि १० परसेन्ट कम से कम रिटर्न के रूप में मिलना चाहिये । आपने ४ करोड रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट किया है उसके खाते में आपकी आमदनी क्या है ? उस आमदनी को देखें तो ज्यादा रोडवेज में २७ लाख रुपयों की आमदनी बताई है, थोडा सा गंगानगर शूगर मिल में फायदा है । बाकी के मद ऐसे हैं कि जिनकी गिनती किसी प्रकार की आमदनी में नहीं की जा सकती और रोडवेज ने भी जो २७ लाख की आमदनी का जिक्र किया है वह भी किस इन्वेस्टमेन्ट के ऊपर है और इसके साथ ही साथ कितना भाडा बढा कर इस प्रकार की आमदनी की है और लोगों की सहूलियतें छीनकर जो आमदनी बढाई है वह सरकार के लिए शोभा

Page No 49

(श्री भैरोंसिंह)

की बात नहीं है। प्राईवेट बसेज कम किराया लेती थी और रोडवेज ने किराया बढाकर जो यह आमदनी बताई यह आमदनी जनता की लूट के बराबर है। जो इन्डस्ट्रियल इन्सेन्टिव होना चाहिये वह भी उसके आधार पर नहीं है। मैं इस संबंध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो गारन्टीज ली हैं उनके बारे में आपका बजट मेमोरेन्डम देखा और उसके अन्दर आपकी गारन्टीज सारी की सारी कंडीशनल है। इस गारन्टी की मैंने पिछले बजट मेमोरेन्डम से तुलना की मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आया। हालांकि बुलियन के मार्केट को देखें तो कई कम्पनियों के जिनके शेयर्स गिरवी रखे हैं उनके भाव १० परसेन्ट से ज्यादा गिर गये हैं। उनमें जो आपको एक्स्ट्रा गारन्टी लेनी चाहिये थी वह नहीं ली। बुलियन एसोसियेशन के आधार पर जो इस तरह का मार्केट गिरता जा रहा है और अपने शेयर्स की जो गारन्टी ली है उसमें आज के दिन परिवर्तन की आवश्यकता है लेकिन उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। इससे हमारी सरकार की ऐसी दयनीय स्थिति बन गयी है कि पिछली साल हमारी सरकार ने लोन फ्लोट किये थे और घोषणा की कि हमने जो समय निर्धारित किया था उस समय में जितना लोन मिलना चाहिए था वह लोन मिल गया लेकिन मेरी जानकारी तो यह है कि वह लोन केवल प्राइवेट कंसर्न का ही लिया हो ऐसी बात नहीं है। हमारे इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट में जो पी. एफ. के रुपये हैं वे भी इसमें जमा कर दिये। आज पी. एफ. के रुपये ले लिये, हायर सेकेन्ड्री का जो लोन फलोट किया है वह भी लेलें और यह स्थिति हो कि जब इन्शोरेंस डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को लोन देने की आवश्यकता पड़े तो उसके पास रुपये न होने के कारण उसके अगेन्स्ट में जो सरकार की सिक्योरिटि है उसे बैंक को देकर बैंक से रुपये लिये गये और लोगों को पी.एफ. के रुपये चुकाये गये। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि हमारी हालत ऐसी है कि इस पर हमको निश्चित रूप से कन्ट्रोल करना होगा और वह तभी हो सकता है कि एक बात साहस पूर्वक कह सकें कि तीसरी योजना चाहे वह कितनी ही लंबी चौडी हो, उसमें आवश्यक कटौती करे। जिस प्रकार सरकार ने पिछले प्लान के दो भाग किये, एक प्रोडक्टिव और दूसरा नोन-प्रोडक्टिव। उसी प्रकार से जो नोन-प्रोडक्टिव है उसके बारे में आज सरकार सख्ती से कदम उठावें। आज तक राज्य सरकार ने जो खर्चा किया है उसके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स क्या हो सकते हैं उसके टार्गेट्स मुकर्रर करके उनकी पूर्ती करने की कोशिश करें और हिम्मत करके कह सकें कि जो माइनर और मीडियम इन्वेस्टमेन्ट किये हैं उनसे रिटर्न हर हालत में लेंगे और वास्तविक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी यह दशा है कि जो कमी रही है वह इसी में रही है।

सबसे बडा एम्फेसिस हमने इस बात पर दिया कि ३६ करोड रुपये मिले थे वहां हमने ३७ करोड खर्च कर दिये। दुर्भाग्य से यह होता है कि ३६ करोड रुपये खर्च करने के बाद जो रिटर्न्स मिलने चाहियें थे वे किस सीमा तक मिले इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये थी। यदि जो इन्वेस्टमेन्ट किया है वह वाजिब तौर से किया है और उसका रिटर्न अच्छा मिल रहा है ऐसा पता इन्क्वायरी के बाद चलता तो स्वागत करने योग्य होता लेकिन हम तो दूसरी तरह से ही चल रहे हैं। हमारा टारगेट जो

(श्री भैरोंसिंह)

खर्चे का मुकर्रर था उसका ९८.५ परसेंट हमने खर्च कर दिया और उससे पहले हमने ९८.२ परसेंट खर्च कर दिया। खर्च तो एक अन्धा आदमी भी कर देगा, उसको अगर सौ रुपये देते हैं तो वह जौहरी बाजार में जाकर खर्च कर देगा, लेकिन कोई भला आदमी बाजार में रुपये लेकर निकलेगा तो वह इस तरह से खर्च करेगा चक्कर लगाकर कि वह सौ के बजाय सवा सौ वसूल कर सके। इस पर भी राज्य सरकार अगर इस बात का धन्यवाद लेना चाहे कि उसने टार्गेट्स के अनुसार खर्चा कर दिया इसलिये उसको धन्यवाद देना चाहिये तो दे देता हूं, लेकिन सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो कुछ खर्चा हुआ है उसका रिटर्न कितना मिला है इसकी जानकारी करनी चाहिये।

इस वर्ष ४ करोड रुपये के टैक्स लगाने की घोषणा वित्त मंत्रीजी ने की है। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि हम किसी प्रकार टैक्स नहीं लगावें और आगे खर्चा नहीं करें। यह हमारे इम्तहान का समय था। हम हमारे रिसोर्सेज को टेक ओवर करने की कोशिश करते सभी रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करके ४ करोड रुपये किस प्रकार एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं इसकी कोशिश करते। इसकी चेष्टा न करके हमने अपना खर्चा बढाया है। भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज बढा रहे हैं और आगे बढाने की चेष्टा कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी ने बताया था कि पहले ३२ करोड की टैक्स के रूप में रिसोर्सेज में कमी है वही अब २४ करोड पर ला रहे हैं। २४ करोड के रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। पिछले वर्ष हमने टैक्स लगाये थे वे १ करोड २८ लाख रुपयों के थे। उससे पहले १ करोड ३५ लाख के टैक्सेज लगाये गये थे। इस बार हम ४ करोड के टैक्स लगा रहे हैं। ये टैक्स लगाने से पहले हम यह तो जांच करते कि हमारे राजस्थान की जनता की टैक्स देने की हिम्मत कितनी है, हमारे यहां की टैक्स रेवेन्यू कितनी है और नोन-टैक्स रेवेन्यू कितनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यू ६०-६१ के मुकाबिले में इस वक्त गिरी है इसका अंदाज लगावें। लेकिन नोन टैक्स रेवेन्यू गिरती है और टैक्स रेवेन्यू बढती है तो वह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार इन्वेस्टमेन्ट पर कंट्रोल नहीं रख सकती और उसका रिटर्न्स लेने की चिन्ता नहीं है। हमारी सरकार जिस काम में, जिस धंधे में पड जाती है उसमें राजस्थान के करोडों रुपये फेंक देती है और उसकी जानकारी करने का प्रयत्न नहीं करती कि नोन टैक्स रेवन्यू बढ रही या घट रही है। नोन टैक्स रेवेन्यू ३४.६ से घटते घटते कितनी रह गई है और टैक्स रेवेन्यू २८.२ से बढती बढती ६१-६२ में ६३ हो गई, ६२-६३ में ५७ थी और ६३-६४ में ५८ हो जाती है। टैक्स रेवेन्यू बढाना तो आपके हाथ में है, जितना चाहें जनता पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन हम कितना टैक्स लगावें कम से कम इस बात की जानकारी करने की जो कोशिश करते। हमारी नोन टैक्स रेवेन्यू भी उसी तरह से बढनी चाहिये जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू बढा रहे हैं।

आपकी फोरेस्ट की इन्कम घट रही है, इर्रिगेशन की इन्कम घट रही है। फोरेस्ट और इर्रिगेशन की इन्कम घट रही है तो और किस में बढेगी। माइन्स को देख लीजिये। मिनरल रिसोर्सेज इतने नहीं बढ पाये हैं जितने की कि अपेक्षा की जाती थी। हमारी सरकार को सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि जनता पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगावें। नोन टैक्स रेवेन्यू किस बात से बढे, इसकी उसे कोई

(श्री भैरोंसिंह)

चिन्ता नहीं है। नोन टैक्स रेवेन्यू ओर बढने के कितने उपाय हो सकते हैं उनको करने की कोशिश नहीं करते । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार टैक्सेशन पर विचार करने से पहले जितने नोन टैक्स रेवेन्यु को बढाने के साधन हैं उनको काबू में लाने की कोशिश करें।

वित्त मंत्रीजी ने जनता पर ४ करोड रुपयों के टैक्सेज लगाये हैं और यह कहा कि समाजवादी समाज में लोगों की इन-इक्वेलिटी को दूर करने के लिये हमे टैक्सज का सहारा लेना पडता है। अब इससे इन-इक्वेलिटी दूर होगी या बढेगी यह तो मंत्री महोदय स्वयं विचार करें । मैं ऐसा समझता हूं कि एक तरफ तो भारत सरकार ने १७५ करोड रुपयों के टैक्स लगाये हैं और राजस्थान सरकार ४ करोड रुपयों के टैक्स और लगाती है और अपना घाटा इससे पूरा करना चाहती है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के बढे हुए टैक्सों में से आपको हिस्सा कितना मिलेगा और बढे हुए हिस्से को आपने बजट में नहीं बताया। इसलिये नहीं बताया कि राजस्थान की जनता को मुगालते में रखना चाहते हैं। भारत सरकार को जो आमदनी नये टैक्सों से होने वाली है उससे हमको हिस्सा नहीं मिलेगा इस मुगालते में रखना चाहते हैं। आपने जान बूझकर लोगों को मुगालते में रखने के लिये वहां से मिलने वाले हिस्से की आमदनी नहीं बताई है और ४ करोड के टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है।

अध्यक्ष महोदय, बडे दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार ने लैंड रेवेन्यू पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की है। अब हमारे यहां लैंड टैक्स की हालत क्या है इस पर विचार करें। मुख्य मंत्रीजी जानते होंगे कि राजस्थान के किसानों को हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देना पडता है। आज यदि हिन्दुस्तान में किसी किसान को अधिक टैक्स देना पडता है तो वह राजस्थान के किसान को देना पडता है। अब हमारी सरकार यह कहती है कि हम किसानों पर तो टैक्स लगायेंगे ही। अब जो टैक्स सरकार लगाती है वह जमीन और आमदनी के आधार पर न लगाकर लैंड रेवेन्यू के आधार पर टैक्स लगाती है। अब इस स्थिति को भी जरा देखलें। चाही जमीन पर राजस्थान में अधिक से अधिक लगान ३५ रु० है और कम से कम ३ रु० प्रति बीघा लगान है। नहरी जमीन पर अधिक से अधिक २१ रु० प्रति बीघा लगान है और कम से कम १रु. १४आ० प्रति बीघा है और बारानी जमीन पर अधिक से अधिक लगान की दर ८रु० ९ आ०६ पा०है और कम से कम १ आ० ३ पा० है। इस आधार पर आप लैंड रेवेन्यू पर टैक्स लगाते हैं तो यह मानकर चलें कि यह कितना घातक है इसका जिक्र केवल मैंने ही नहीं किया है बल्कि अधिकांश सदस्यों ने किया । जागीरदारी ने जमींदारों के समय, जिस समय लैंड सेटलमेन्ट हुआ था उस समय उन्होंने तीसरे बांटे पर सेटलमेन्ट करा लिया, कहीं चौथे बांटे पर सेटलमेन्ट करा लिया और कहीं पांचवे बांटे पर सेटलमेन्ट करा लिया। राजस्थान सरकार ने जब देखा कि तीसरे बांटे पर, चौथे बांटे पर और पांचवे बांटे पर भी सेटलमेन्ट हुआ है तो सरकार ने छटा बांटा स्टेन्डर्डाइज कर दिया। तो आज राजस्थान में चोथे बांटे पर सेटलमेन्ट हुआ है, तीसरें बांटे पर पांचवे बांटे पर और छटे बांटे पर भी सेटलमेन्ट हुआ है। एक ही प्रकार की जमीन का अलग अलग समय में सेटलमेन्ट हुआ है इसलिये किसानों को अलग अलग रेवेन्यू देनी पडती है। कोई किसान किसी बांटे से प्रभावित

Page No 52

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ और कोई किससे । साइन्टिफिक-वे में लगान नहीं लगाया गया हमारे यहां फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन बैठा था जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री और वर्तमान राजस्व मंत्री उसके सदस्य थे । उन्होंने रिपोर्ट में कहा था :

"When the basic rates are uneven, the levy of a surcharge would only accentauate the inequalities of incidence already existing."

मैं यह इसलिये बता रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि इस प्रकार के टैक्सेशन के कारण इनइक्वेलिटी दूर कर देंगे । यह इनइक्वेलिटी दूर नहीं होगी बल्कि जो एग्जिस्टिंग इनइक्वेलिटी है वह ज्यादा बढ़ेगी । उस रिपोर्ट के अन्दर यह भी कहा गया है :—

"In Rajasthan a levy of a surcharge on land revenue at a flat rate per every rupee of assessment would not be appropriate in the existing conditions. There is no uniformity in the level of assessments or in the mode of determining them"

उसी रिपोर्ट में यह कहा है । फिर वह रिपोर्ट कहती है:

"It would be awakard if the Government, by imposing a surcharge on the rent ra'e, exceeded the limits of rent that it has set for private land owners."

आपने प्राइवेट लैंड ओनर के लिये कहा हुं कि एक बटा छः से ज्यादा कोई लगान नहीं ले सकता । उसके आधार पर आप जो सर्चार्ज लगा रहे हैं, उसके संबंध में माननीय रामप्रसादजी लड्ढा, जो उप मंत्री हैं, और जो एमीनेन्ट एकोनोमिस्ट हैं हमारे हिन्दुस्तान के और राजस्थान के उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो टैक्स लगाये है, वे ऑकवर्ड हैं । मैं नहीं कहता कि 'ऑकवर्ड' पालियामैन्टरी है या अनपालियामैन्टरी शब्द है, लेकिन इस रिपोर्ट के अन्दर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है । समझता हूं इसका माननीय मंत्रीजी पर असर होगा । टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी यही बात कही है । उसने यह कहा है :

"The Taxation Commission have poined out the inadvisability of super-imposing surcharges on the existing rates of land revenue assesments until these rates are standardised and placed on a common basis of commutation rates as have been done in Madras and Andhra Pradesh."

उस हालत के अन्दर, मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के टैक्स से आप चाहे आमदनी बढालें उस टैक्स से आपकी आमदनी अवश्य बढेगी लेकिन इस टैक्स का कोई साइन्टिफिक मैथड नहीं है और जब तक नहीं है, उस हालत में आप नहरी और चाही, जिसमें आसमान और जमीन का अन्तर है, पर टैक्स का जो डवलपमैन्ट हुआ है, वह साइन्टिफिक बेसिस पर, आमदनी के आधार पर नहीं हुआ है बल्कि अलग अलग प्रकार से हुआ है, उस लैंड रेवेन्यू के ऊपर अगर सर्चार्ज लगाने की चेष्टा करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि कुछ किसान शायद यह टैक्स दे सकें लेकिन अधिक किसान

(श्री भैरों सिंह)

ऐसे होंगे जो इस टैक्स का चुकारा किसी प्रकार नहीं कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सर्चार्ज लगाना चाहें तो सर्चार्ज लगाने से पहले सरकार को यह स्टैप उठाना चाहिये कि राजस्थान का कम्प्लीट सैटिलमैन्ट होकर सारी रेट्स का स्टैन्डर्डाइ-जेशन किया जाय और जब तक रेट्स का स्टैन्डर्डाइजेशन नहीं होगा, उस समय तक राज्य सरकार को किसी प्रकार के टैक्स लगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अगर सरकार चेष्टा करती है तो किसान के लिए यह एक बहुत भारी दिक्कत होती है।

अब मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि हमारी राज्य सरकार टैक्स लगाने से, पहले कम से कम इस बात पर विचार करती कि भारत सरकार ने किसानों के ऊपर क्या टैक्स लगाये हैं। भारत सरकार ने कम्पल्सरी सेविंग्स के लिये लैंड रेवेन्यू का पचास प्रतिशत का प्रोवीजन रखा है, और हमारी सरकार ने लैंड रेवेन्यू पर पचास प्रतिशत का प्रोवीजन रखा है। उस हालत में गरीब किसान के ऊपर १०० परसैन्ट का टैक्स लगा दिया है। यह राज्य सरकार दावा कर सकती है कि हम किसानों की सरकार हैं, हम किसानों के भले के लिये विचार कर रहे हैं, हमने किसानों के लिए सिंचाई के साधन जुटाये हैं, हमने किसानों के लिए बीज मुहैय्या किये हैं, हमने किसानों के लिये खाद मुहैय्या की है लेकिन सब कुछ मुहैय्या करने के बाद यह आपकी सरकार को ही शोभा देने वाली बात है कि किसान के पेट पर छुरा लगा दिया है और यह कहा है कि हम किसान से १०० परसैन्ट टैक्स लेंगे। आपने कहा है कि भारत सरकार ने पचास प्रतिशत की सेविंग की व्यवस्था की है। उस सेविंग का किसान से जिक्र करना चाहते हैं।

आज मुझे दो वर्ष पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण याद आता है, जिसमें उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा था कि इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी मैंने जयपुर में मकान नहीं बनाया है, मेरे पास बच्चों की शिक्षा शुल्क देने के लिए पैसा नहीं बचता है। यह किसने कहा, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जिनको पन्द्रह सौ रुपया माहवार तनख्वाह मिलती है, उनके पास बच्चों की शिक्षा शुल्क के लिए पैसा नहीं बच पाता है, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी वे जयपुर में मकान नहीं बना पाते हैं फिर आप किसान से कैसे उम्मीद करते हैं कि वह किस प्रकार सेविंग करेगा? वह सेविंग नहीं कर सकता। आपने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया है कि सेविंग खाते में हमारे कुछ कमी हुई है। सेविंग खाते में, अल्प बचत योजना में जितनी मद रखी थी उसमें कमी आई है। आपने कहा है, अल्प बचत योजना की आदत अभी तक जनता को नहीं हुई है। आप जिस प्रकार जनता की आदत बनाना चाहते हैं? जनता के पास कुछ नहीं है। उसके पास खाने को बचता है, उसमें से आप बचत करवाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास कोई दृष्टिकोण सिवाय इसके नहीं है कि गरीब से ज्यादा से ज्यादा धन किस प्रकार आप खींच सके, उसकी चेष्टा करना चाहते हैं। ठीक है, आप खींचिये, आपके हाथ में आज अधिकार है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? आप किसान के ऊपर ज्यादा टैक्स लगायेंगे, इसका नतीजा यह होगा कि भाव बढ़ेंगे और

(श्री भैरोंसिंह)

अनाज के भाव बढ़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा ? उसके दो नतीजे हो सकते हैं--एक तो यह है कि किसान की पैदावार गिरे और दूसरा यह हो सकता है कि भावों के कारण किसान के सामने समस्या पैदा हो जाय। और इन दोनों नतीजों से अन्ततोगत्वा यह असर होने वाला है कि आप राजस्थान के जिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमारे पास इतनी एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसमें किसान सिंचाई नहीं करते और एग्रीकल्चरल पोटेन्शियलिटी को पूरी तरह युटीलाइज नहीं करते-- यह सब ठप्प हो जायगा और राजस्थान का विकास रुक जायगा। राजस्थान के प्रोडक्शन की जो कल्पना करके चलते हैं वह नहीं होगा।

आपने दूसरा टैक्स लगाया है, अध्यक्ष महोदय, वह है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। पिछले सेशन के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमारे माननीय निर्माण मंत्री ने लगाई। उसके आधार पर आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा रहे हैं और वह ड्यूटी लगा रहे हैं--एक नया पैसा पर यूनिट। अभी विरोधी दल के नेता ने कहा था कि हम जितना भी राजस्थान में यह समझ कर चलते हैं कि राजस्थान में हम इन्डस्ट्रीलाइजेशन करके चल रहे हैं लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि वास्तव में राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बाकी के प्रदेशों से पीछे रहा है। आप इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट में पीछे रहे हैं क्योंकि इन्डस्ट्रीज लगाने वालों के लिए कोई अट्रैक्शन आप पैदा नहीं करते। आप यह कहें कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का हमने समर्थन किया है, तो मैं समझता हूं कि हमने थोड़ा समर्थन किया है तो इसकी आलोचना भी हुई है। और आलोचना हुई है इस विषय पर कि आप डिस्क्रिमिनेशन कन्सेशन देने में करते हैं, किसी को कम कन्सेशन दे दिया, किसी को ज्यादा कन्सेशन दे दिया। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, वह आलोचना का विषय हो सकता है। लेकिन मैं राजस्थान के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन दो वर्षों में अभी तक कोई इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट नहीं किया है। राजस्थान की कॉटेज इन्डस्ट्रीज खत्म हो गयी, राजस्थान की मीडियम इन्डस्ट्रीज खत्म हो गयी। ये खत्म होने के बाद जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें कितना अपेक्षित प्रोडक्शन होना चाहिये, उतना नहीं होता है। उस हालत में हमारा कम्पीटीशन होता है और कम्पीटीशन होता है हमारा पंजाब से। पंजाब के अन्दर कॉटेज इन्डस्ट्रीज और मीडियम इन्डस्ट्रीज डवलप हो रही हैं, यू. पी. में कॉटेज इन्डस्ट्रीज और मीडियम इन्डस्ट्रीज डवलप हो रही हैं। मद्रास में कॉटेज इन्डस्ट्रीज और मीडियम इन्डस्ट्रीज डवलप हो रही हैं और इन्होंने हिन्दुस्तान का सारा मार्केट, कॉटेज और मीडियम इन्डस्ट्रीज का काबू कर रखा है। और जैसे भी जो कॉटेज और मीडियम इन्डस्ट्रीज में पहले मार्केट में आ जायगा, उस स्टेट को और उस स्टेट की इन्डस्ट्रीज को कम्पीटीशन में मारना साधारण काम नहीं होगा। दुर्भाग्य से न तो कॉटेज इन्डस्ट्रीज और न मीडियम इन्डस्ट्रीज राजस्थान में डवलप हुई हैं। तो राजस्थान का मार्केट नहीं बना और उस हालत में जो इन्डस्ट्रीज का डवलपमेन्ट हो रहा है, उस पर टैक्सेशन धीरे धीरे करते हैं तो यह राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं होगी। आपने रॉ मैटिरियल पर टैक्स लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगा दिया तो इन्डस्ट्रीज पनप कैसे पायेंगी ?

(श्री भैरोंसिंह)

आप कहेंगे कि आमदनी होने वाली है। मैं कहता हूं कि आपको आमदनी नहीं होगी किस लिए नहीं होगी वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपने रॉ मैटीरियल पर टैक्स लगाया है। लेकिन अगर कोई दिल्ली जाकर खरीदे तो दिल्ली में चार परसेंट टैक्स है। आपके यहां रॉ मैटीरियल पर आठ परसेंट टैक्स आता है। उसमें यह फर्क होगा कि लोग यहां रॉ मैटीरियल पर्चेज नहीं करेंगे, वे दिल्ली से जाकर लायें। अब अगर दिल्ली में भारत सरकार की एक दो परसेंट एक्साइज ड्यूटी भी वह चुकादे तो भी छः परसेंट टैक्स होगा। फिर भी वह फायदे में रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट खत्म होगा और राजस्थान को जो सेल्स टैक्स के द्वारा आमदनी बढनी चाहिये वह भी नहीं बढेगी।

अब इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, लग्जरी गुड्स पर हमारी सरकार का कहर पडा। उसके अन्दर यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि लग्जरी गुड्स में शामिल किया गया है:

"Dyes, Paints, Varnishes, Soap. Combs, Tooth Paste, Manjan, Murabba, Chatni, Sanitary goods, Pipe fittings, Radio sets Watches, Electric goods, Wooden furniture and hydrogenated oil.

इस संबंध में जब हमारी सरकार कई बार कहती है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास इस प्रकार कर रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर किसी से पीछे नहीं रहने वाले हैं। इसके लिये आंकडे भी बताते हैं कि इतनी पर केपिटा इन्कम बढ गई, इतने लोगों के मकान बन गये, लोगों का रहन सहन बढ गया। लेकिन आज दस वर्ष से जो लग्जरी गुड्स की संज्ञा दी है, उसमें भी आपको आज के दिन परिवर्तन करना पडेगा। इस सदन के माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें एक या दो सदस्य ऐसे होंगे, और मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होंगे जो कंघा और तेल इस्तेमाल नहीं करते हों। आज सरकार से यह पूछें कि यह कंघा और तेल इस्तेमाल करते हैं ये लग्जरी गुड्स हैं? अगर यह लग्जरी गुड्स हैं तो हम विकास की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि विनाश की ओर जा रहे हैं। हम उन्नति की ओर नहीं बल्कि अवनति की ओर जा रहे हैं। रेडियो के लिये कह दिया गया कि यह लग्जरी गुड्स में है, कपडे धोने के साबुन के लिये कह दिया कि यह लग्जरी गुड्स में है। अगर यह लग्जरी गुड्स हैं तो फिर कपडे धोयें किससे? क्या खाद से धोयें फिर कौनसी चीज है जो लग्जरी गुड्स में शामिल नहीं होगी।

कंघा, रेडियो, घडी आदि को आपने बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से दस वर्ष पहले जो हमारे लिये लग्जरी की चीजें कहलाती थीं उन्हें आज लग्जरी नहीं कह सकते। आज घडी एक आवश्यक चीज है। अगर इन आवश्यकताओं की चीजों पर हम यह टैक्स लगाते हैं और इनको लग्जरी मानते हैं तो यह उचित नहीं है। हमने आखिर दस वर्षों में कुछ उन्नति भी की है। इसलिये अगर घडी और रेडियो आदि को हम लग्जरी की संज्ञा देते हैं इस जमाने में तो यह कोई उचित बात नहीं हो सकती। आपने १० प्रतिशत टैक्स बढा दिया। जब आपने यहां पर टैक्स बढा दिया तो फिर लोग यहां से क्यों लेंगे वे बाहर से मंगावेंगे। इस-

(श्री भैरोंसिंह)

लिए कम से कम इस प्रकार का सेल्स टैक्स लगाने से पहले आपको यह मालूम करना चाहिये था कि पंजाब में क्या टैक्स लगता है, दिल्ली में क्या टैक्स लगता है, और उत्तर प्रदेश और. यू.पी. में किस मद पर क्या टैक्स है। यदि हमने टैक्स बढा दिया तो सेल्स टैक्स पर कितना असर पडेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने रंग पर भी टैक्स लगा दिया। औरतें दिन भर कपडे रंगती रहती हैं। यहां छींपे रंगाई का काम करते हैं। खादी बोर्ड में भी रंगाई का काम होता है। मैं समझता हूं कि खादी तो लग्जरी गुड्स में शामिल नहीं होगी। अगर खादी में रंग का छापा लगा दिया गया तो क्या वह लग्जरी हो गई? तो यह होगा कि आज के युग में खादी लग्जरी है। मैं यह कहूंगा कि खादी पहिनने वाले लग्जुरियस हो सकते हैं लेकिन खादी लग्जरी गुड्स में नहीं मानते हैं। आज हम देखते हैं कि छींपे, नीलगर आदि कई लोग हैं जो रंगाई का काम करते हैं और गांवों में सभी जगह आपको कपडे रंगने वाले मिलेंगे, कहीं नीलगर नहीं हैं तो छींपे मिलेंगे। मगर आज हमने इस पर भी टैक्स लगा दिया है।

आज वुडन फर्नीचर पर भी आपने टैक्स बढा दिया है। आप कहते हैं कि मकान बनायें, जिस समय मकान बनायेंगे उस समय फर्नीचर भी रखना होगा। मेरे ख्याल से वह भी लग्जरी गुड्स होगा। आप यह बतादें कि कमरे में जो जरूरी फर्नीचर है वह लग्जरी गुड्स है या नैसेसिटी है। आप तो एक बात देखते हैं कि तेल पर, फर्नीचर पर और जिस चीज पर टैक्स लगाना चाहते हैं लगावें। आपकी पुलिस का खर्चा बढ गया। अगर कोई आंदोलन करेगा तो आर. ए. सी. आपके पास बहुत हैं। पुलिस फोर्स आपके पास बहुत है, आंदोलन को दबा देंगे। आपने टैक्स लगा दिये। जब आप कहते हैं कि अनाज को भी हम नहीं छोडेंगे। क्या आपका घाटा अनाज पर टैक्स से पूरा हो जायेगा। आप कहेंगे कि निश्चित रूप से होगा। आप लोगों को सस्ता अनाज नहीं देते और उन पर फिर भी टैक्स लगाते हैं। आपने जब कहा कि केवल मक्का, ज्वार और बाजरा को छोड कर बाकी पर है। जब यह बात कही तो हमने यह सोचा कि इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा मगर उसके तुरन्त बाद यह कह दिया कि इस पर एक प्रतिशत टैक्स लगेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री से कहूंगा कि आप कीमतों को बढने से नहीं रोक सके और अब आपने यह पाप भी कमा लिया कि रोटी पर भी टैक्स लगा दिया। आप लोगों को कपडा भी नहीं दे सके। राजस्थान में ज्यादा लोग मक्की, बाजरा, जौ आदि खाते हैं। कौनसा ऐसा मद है जिसको आपने छोडना चाहा। रोजी देने के लिये आपके पास है नहीं। आपके यहां इन्डस्ट्रीज नहीं हैं इसलिये लोगों को धन्धा मिलता नहीं। आप इस बात को मान कर चलिये कि जितना हैवी टैक्सेशन होगा उससे जो आमदनी होगी वह कम होगी और आपका इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा। इस वजह से आप राजस्थान में बेकारी को नहीं मिटा सकेंगे। इसलिये टैक्स इतने होने चाहियें जिनको हम वसूल कर सकें। आपने बाजरा और ज्वार पर भी टैक्स लगा दिया है और राजस्थान में गरीब लोगों की कमी नहीं है जो ज्यादातर बाजरा और ज्वार ही खाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें।

(१.५५ म. प.)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में जो राजस्थान सरकार के आमदनी के मद हैं उन में हमारी सरकार किस प्रकार से उदासीन बनती जा रही है। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पलाना की खान है। यह खान १४ तारीख से बन्द करदी गई है। इससे जितनी आमदनी होती थी वह सब बन्द हो गई है। हमने इसको १४ फरवरी तक जारी रखा इसके बाद इसको बन्द कर दिया। मुझे याद है कि बीकानेर हिज-हाईनेस ने एक बार हमारे मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने संकेत किया था कि यदि इस पलाना की खान के लिये दूसरे पिट्स तैयार नहीं किये जायेंगे तो इसको बन्द करना होगा। उन्होंने पत्र लिखा। १४ फरवरी को पत्र लिखा कि इसमें काम करना खतरनाक है। हालांकि इसमें अजमेर के रीजनल डाइरेक्टर की राय इसमें नहीं ली गई और इसको बन्द कर दिया। मैं यह कहूंगा कि सरकार को इसका संकेत एक साल पहले मिल रहा है मगर एक वर्ष पहले काम नहीं किया गया। उस समय सरकार यह कह रही थी कि पिट्स तैयार हो रहे हैं और वे तैयार नहीं किये गये। और इससे सरकार को १० लाख का घाटा हुआ। इस घाटे की पूर्ति किस तरह से होगी। क्या पब्लिक से टैक्स वसूल करके इस घाटे की पूर्ति की जावेगी और राजस्थान से १० लाख रुपयों की आमदनी का राजस्थान को घाटे में रखा। मैं सरकार और विभाग के मन्त्रियों से प्रश्न करना चाहूंगा कि आप १० लाख की आमदनी नहीं कर सकते और टैक्सेशन लगा कर आमदनी करते हैं तो यह आपको किसी भी प्रकार से शोभाजनक नहीं होगा।

इसी प्रकार उद्योगों के बारे में हमारी सरकार और उप मन्त्री, उद्योग जो इस विभाग में दिलचस्पी रखते हैं उनको इस बारे में मैं बतादूं कि सरकार ने काफी रुपया लगा कर इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम की और उस समय हमारी सरकार के लोग कहने लगे कि इससे राजस्थान का नक्शा क्या का क्या बनेगा। हमारी सरकार यह कहने लगी कि राजस्थान में इतने उद्योग खुलेंगे और हमारे यहां इतना औद्योगिक विकास होगा कि राजस्थान में बेकारी की समस्या नहीं रहेगी वह दूर हो जायगी और इसके लिये हमारे नेताओं ने बडे बडे लंबे चौडे आंकडे बताये थे कि इससे इतने लोगों को फायदा होगा।

आपके राज्य में ३५३ इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। सेकिन्ड प्लान में भी शामिल किये जिसमें २६६ नीयरिंग कम्प्लीशन हैं। २८७ आपने क्रिएट किये हैं। ३६३ तो पूरे हैं। जब ये पूरे हैं तो फिर आपने २५३ को ही एलाटमेन्ट क्यों किया है। लोग एलोटमेन्ट के लिये कलकत्ते, बम्बई आदि से आपके पास बडे बडे लोगों की चिट्ठियां लेकर आते हैं और शिफारिशें लेकर आये हैं और आपसे बहुत गर्ज की लेकिन इसके बावजूद भी आपने उनको एलाटमेन्ट नहीं किया। अगर एलोटमेन्ट हो जाता तो हमारे यहां, प्रोडक्शन बढ़ता। जिनको आपने एलोटमेन्ट किया है उनमें से भी १४९ ने आक्युपाई किया है। जिन लोगों ने आक्युपाई नहीं किया और जो आक्युपाई नहीं करना चाहते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे लोगों ने जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन्स दे रखी हैं इनको उनके स्थान पर एलोटमेन्ट क्यों नहीं किया जाता।

१४९ ने आक्युपाई कर लिये उनमें से भी कितने में प्रोडक्शन चल रहा है। आपको

(श्री भैरोंसिंह)

मालूम होगा कि केवल उनमें से ९० हैं जिनमें, प्रोडक्शन चल रहा है। ये तो यहां के कारखाने हैं। कहने के लिये तो यहां ३५३ एन्टर-प्राइजेज खड़े कर दिये मगर उनमें प्रोडक्शन होता है केवल ९० में।

इसके अलावा आप देखेंगे कि ३५३ इन्ड-स्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनमें से काम कितनों को मिला है। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ७५८ आदमियों को काम मिला है। यानि दो आदमियों को एक एन्टरप्राइज के पीछे काम मिला है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये आंकडे सरकार की तरफ से हैं या आपकी तरफ के हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मैंने तैयार किये हैं।

श्री चन्दन मल बैद (उप मंत्री, उद्योग विभाग) : जैसे आपने तैयार किये हैं वैसे ये आंकडे सही हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तैयार किये हैं वे गलत नहीं हैं गलत के खयाल से कहीं गलत जवाब न देना।

श्री चन्दनमल बैद : सही एक भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अगर सही एक भी नहीं है तो मैं अपना स्टेटमेन्ट मंत्री महोदय को देता हूं आप इसको देखलें और मैं आपना भाषण बन्द करता हूं। वे बतावें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह आपस में तय करलें हमें गडबडी में क्यों डालते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: जितने इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उतने ही लोगों को काम मिला। इससे पता चलता है कि सरकार को उसके रिटर्न की कोई चिन्ता नहीं है। मैं उप मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन ९० एन्टरप्राइजेज में प्रोडक्शन होता है उनमें कोटा परमानेन्ट एन्टिटि का कितना दिया गया है।

(२ म.प.)

क्या आपने कभी इस बात की जांच की है कि जितने एसेन्सियेलिटी के सर्टिफिकेट दिये हैं उनसे जितनी मशीनरी इम्पोर्ट हुई है, उनसे जितने माल का प्रोडक्शन होना चाहिये उतना हुआ है या नहीं ? आपने क्या कभी कोटा और परमिट के हिसाब से जितना प्रोडक्शन होना चाहिये उतना प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, इसकी जांच की है ? इम्पोर्टेड माल से जितना हम प्रोडक्शन कर सकते थे उस पर क्या कभी आपने निगरानी रखी है ? इस पर निगरानी रखते तो प्रोडक्शन बढ सकता था पर आपने इसकी कभी कोई चिन्ता नहीं की। इन्डस्ट्रियल शैड्स का ही सवाल नहीं, राजस्थान के बडे बडे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जिनको आपने लाइसेन्स दे रखे हैं, जिनके साथ एग्रीमेन्ट कर रखे हैं उनके सम्बन्ध में क्या कभी सरकार ने जांच की है कि जो एग्रीमेन्ट में शर्तें हैं उनका पालन किया गया है, जिस समय प्रोडक्शन चालू करने की शर्त रखी गई है उस समय प्रोडक्शन चालू किया गया है ? जिस सीमा तक प्रोडक्शन होना चाहिये उतना प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, जितना प्रोडक्शन करने का एग्रीमेन्ट किया गया है उतना प्रोडक्शन किया है या नहीं, क्या सरकार ने कभी इन बातों की जांच की है? कभी नहीं क्या ये सारी की सारी इन्डस्ट्रीज एग्रीमेन्ट के अनुसार काम करती हैं? नहीं करती। जब जब प्रोडक्शन को चालू करना चाहिये था चालू नहीं किया गया, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिय

(श्री भैरोंसिंह)

गया। यह इस बात को सबूत है कि जितने बडे बडे इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे सरकार डरती है। लाइसेन्स, कोटा, पासपोर्ट के नाम पर जो सुविधाएं मिलती हैं, उनका सदुपयोग कर सकें इसके लिये हमारी सरकार उन पर अंकुश नहीं डाल सकती, इसलिये हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज इस प्रकार की भी मिसालें हैं जिनमें यदि सख्ती से काम ले लें तो हमें काफी आमदनी हो सकती है। जहां आज राजस्थान के विभागों में खरीद-फरोख्त होती है उसके बारे में इस सदन में कई बार कहता आया हूं, राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि विभागीय खरीद के लिये सेन्ट्रल पर्चेज ओर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाय, अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स को पर्चेज के पॉवर्स नहीं दिये जायें। यदि उनकी राय लेना जरूरी हो तो उनको भी इस प्रकार के आर्गेनाइजेशन में मेम्बर बनादें। पर ऐसा नहीं किया गया। या तो सरकार को भय है कि इस प्रकार का आर्गेनाइजेशन बनाने से लोगों को जो छूट है इस प्रकार की अनियमितताएं करने की, घोटाले करने की, उस पर रोक लग जायगी।

इस सदन में एक साल पहले मैं ने इस प्रकार के आइटम्स रखे थे दो-दो रुपयों के आइटम्स २२५ (दो सो पच्चीस) रुपयों में खरीदे गये थे। उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि ऐसे मसलों पर सरकार को पहले जानकारी दे दी जाय तो सरकार इस पर समय पर ध्यान देकर कार्यवाही कर सकती है। मैंने उनके बताये हुए तरीकों को भी काम में लिया। मैंने स्वास्थ्य मन्त्रीजी को लैटर लिखा कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट की पर्चेजेज में सावधानी नहीं बरती गई तो सरकार को दो लाख का घाटा होगा। पर सावधानी नहीं बरती गई। टेन्डर इन्वाइट किये, मैंने दुबारा पत्र लिखा कि टेन्डर इन्वाइट करने के बाद जिन जिन के टेन्डर्स एक्सेप्ट करके आइटम सेंक्शन किये हैं उससे सरकार को ढाई लाख का घाटा होता है। जो आइटम सेंक्शन किये उनके टेन्डर नोटिस के स्पेसिफिकेशन में ५ रुपया कीमत थी, पर खरीद के वक्त उनके १२ रुपये दिये गये। दो लाख रुपयों की खरीद हुई और इसमें सरकार को एक लाख का घाटा हुआ।

मुख्य मंत्रीजी देखना चाहें तो अभी तक वे लटर स्वायत्त शासन मंत्रीजी के पास, स्वास्थ्य मंत्रीजी के पास पडे हुए हैं। डाइरेक्टर मैडिकल एण्ड हैल्थ को तार दिये पर कोई सावधानी नहीं बरती गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इसकी इन्डिपेन्डेन्ट जांच कराई जाय तो घाटे की पूर्ति होगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता पर जिन्होंने सरकार को घाटा पहुंचाया है उनको दण्ड अवश्य मिल सकेगा। इसके सम्बन्ध में जब इस डिपार्टमेन्ट की डिमान्ड आयेगी तब सब बातें डिटेल्स में रखूंगा।

आमदनी के जो सरकार के जरिये हैं उनमें किस प्रकार के घोटाले होते हैं इनमें से एक का जिक्र करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

कोटा में खण्ड गांवडी नाम की पंचायत है, उसे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट को सन् ५८ में ट्रान्सफर कर दिया गया। वहां का सरपंच चार्ज देने गया तो गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी जो आर. ए. एस. हैं, उन्होंने सरपंच को कहा कि तू पागल है जो सारा चार्ज देने आया है, इन सब कागजात को

(श्री भैरोंसिह)
वापिस ले जा और जितने पट्टे तू इश्यू कर सकता है कर दे, रेकॉर्ड मुरत्तिब कर दे; कुछ पैसे खाले और कुछ मुझे खिलादे, जो जमा कराना है पंचायत में जमा करादे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): क्या नाम है पंचायत का ?

श्री भैरोंसिह : खण्ड गांवडी, कोटा में है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : दुबारा कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, पहले कह चुके हैं ।

श्री भैरोंसिह : इस पंचायत का चार्ज ५८ में दे दिया गया । ५८ में चार्ज मिल गया । आडिट ५८ में हो गया, ऑडिटर के दस्तखत हो गये, नई आमदनी जोडी नहीं जा सकती पर सारे के सारे प्लोट्स दो पैसे पर फीट के भाव से बेच दिये गये जो कि ३ रुपया पर फीट के भाव के थे । १९५८ में चार्ज दे दिया गया, ५९ में लोगों से एप्लीकेशन्स ले कर लिखा देते हैं कि मुझे इस जमीन का पट्टा कर दिया जाय, पट्टा इश्यू किया जाता है ५८ में जब कि पट्टे के कागज नहीं थे कागज खरीदे गये सन् ५९ में प्रेस में पट्टे छपाये गये सन् ५९ में, छापेखाने का बिल चुकाया सन् ५९ में, पट्टा देने की एन्ट्री होती है सन् ५८, में यह है राजस्थान की सरकार सुखाडिया साहब आपकी सरकार । डी . एस. मेहता है उसको सरकार बचाना चाहती है । उसने अपने नाम से अपने लडके के नाम से पट्टे लिये · · · ·

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन मेहता है ?

श्री भैरोंसिह : डी. एस. मेहता, दौलत सिंह मेहता ।

आज इस मुकदमें का कोर्ट में चालान हो रहा है, मुकदमे का कोर्ट में चालान होता है तो जजमेन्ट के दो पैराग्राफ पढ कर सुनाता हूं । यह जमीन ५ लाख की है, २ हजार में बिक गई । लेने वाला मेरे जैसा आदमी नहीं, यह मेरे पास पूरी लिस्ट है । कोई चोटी का कांग्रेस का आदमी बचा हुआ नहीं है, जिसने वहां जमीन नहीं ली हो · · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिर कांग्रेस की बात की, जो बेईमान हैं उनको सजा दिलाने की बात कहो ।

श्री भैरोंसिह : मैं कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा कांग्रेस के नाम से लोगों को इतनी चिड हो गई है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मेरे को आपसे चिड हो गई है जो इसका नाम लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ सरकारी अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं ।

अब नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता । आप देखना चाहें तो आपको मालूम होगा कि इसमें कई बडे बडे नेता हैं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : रहम क्यों कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह : रामेश्वरदयाल, नाथूलाल, जयप्रसाद, हरवंशलालजी, उम्मेदीलाल, मदनलाल, हरिश्चन्द्रजी आदि इस प्रकार लम्बी चौडी लिस्ट है । मेरा समय जायगा इसलिए अधिक इस ओर समय नहीं लेना चाहूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : On a point of order, Sir.

Page No 61

(श्री हरिश्चन्द्र)
हरिश्चन्द्रजी कौनसे हैं? मैं भी हरिश्चन्द्र यहां बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : और तो ठीक है?, एतराज तो नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र । मुझे नहीं मालूम।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट में मामले का चालान होता है।

In the Court of Jagbir Singh R.A.S Addl. Munsif Magistrate 1st Class Court No. 1, Kota. u/s.406/४२० की। उसमें पुलिस ने चालान किया है फैसला दिया गया हैं। उसको पढ़ कर सुनाता हूं।

"Be des with the sale of the Patta, the forgery was extended also to the file upon which an order-sheet was attached and an order written by Bhanwar lal and drafted by Shri D.S. Mehta and M. M. Vijay, was put up and....

फोर्ज्ड पट्टे हैं। उसका जो ड्राफ्ट किया हुआ है वह ड्राफ्ट किया हुआ है डी. एस. मेहता द्वारा,

"and signatures of other Panchas including Ghasi, Ghanesh Ram, Madan Lal were forged on the order sheet, all in the back dates."

एक पंच मर गया है लेकिन उस मरे हुए पच का भी अंगठा लगा दिया।

"There was no meeting of the Panchayat held on 26-7-58 when this Patta was issued, or a resolution ordering the sale of the land passed. There was no entry of this date 26-7-58 of the deposit of any money that must have been paid to the accused as a result of the sale of the land."

अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इसका पार्ट है जो पढने लायक है :

"A fact which requires to be stated is the influence and acquintance of the accused. People like Shri D.S. Mehta, holding an important and responsible office. and his accountant were in league with the accused and prepared the entries or the order sheets &advised &supervised the forgery of entries into the Pattas and other record. One reason was that the entire record was probably to go to the office of Shri Mehta and since Shri Mehta had also participated in the Criminal forgery by puchasing the land through these forged Pattas although he was in the full knowledge that these Pattas were forged and most irregular, the accused easily won over Shri D.S. Mehta who obliged the accused by giving technical and other advice. The accused in return issued pattas of Land in the name of the children of Shri D.S. Mehta. I am surprised to note that why the Police has not taken any action against Shri D.S. Mehta whose acts if proved, are equally serious and grave and his accountant Shri M.M. Vijay both of

(श्री भैरोंसिंह)

whom participated in the Criminal forgery against the interests of the Government."

यह जजमेन्ट मुख्य मन्त्री की जानकारी के लिए बतादूं कि अभी का नहीं है। यह जजमेन्ट दो साल पहले का है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार दो वर्ष तक, आज तक सोती रही है? आप यह कह सकते हैं कि सरकार की नोलेज में नहीं था या सरकार की नोलेज में अब आया, फर्जी पट्टे बन गये, पांच लाख का सरकार को घाटा हुआ इस फोर्जरी के कारण घाटा हुआ हो, इस मामले के दब जाने के कारण और सरकार यह मान कर चलती हो कि उसको इसका पता ही नहीं, यह उसकी नोलेज में नहीं था और ये सब चीजें सेक्रेटेरियेट में नहीं थी तो यह उनकी भूल है, सेक्रेटेरियेट की फाइल्स में यह मौजूद है, आप फाइल देख लें, लोगों की कम्प्लेन्ट्स हैं, म्युनिसिपैलिटी की शिकायतें हैं, कलैक्टर की कम्प्लैन्ट्स पडी हुई हैं, लेकिन वे सब बस्ते खामोशी में रखी हुई हैं क्योंकि इसके साथ नाम जुडा हुआ है डी. एस. मेहता का। यदि आप यह मान कर चलें कि डी. एस. मेहता ने जो ज्यादतियें की हैं, उसके कारण उनको नुक्सान नहीं पहुंचायें तो बात दूसरी है। इस तरह के लोग बहुत हो सकते हैं, पांच लाख का घाटा होने पर भी कागजों को दबाते रहें; किन्तु जनता से कहें कि टैक्स दो। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। पहले आप अपने को शुद्ध करिये। अपने को शुद्ध करने के पश्चात्, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के पश्चात् आप को कोई दिक्कत आती है, तो फिर जनता के सामने जाकर कहो कि पैसा दो। अपने आप तो पहले शुद्ध नहीं होते हैं और आप जनता से कहें कि हमें टैक्स दो, हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं कर सकते। आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में हुकुमत है, जिस प्रकार के टैक्स लगाना चाहो लगाओ लेकिन पहले अपने शासन को भी सुधारो। पहले आप शासन को सुधारो और आपके शासन के अन्दर भ्रष्टाचार के नमूने पेश करने लगूं तो मुझे काफी समय लगेगा।

मैं एक नमूना पेश करूंगा माननीय श्री मानसिंहजी महार ने एक नजीर दी थी अपने भाषण के दौरान कि दो लाख के पर्चेजेज के, गबन के मामले हैं उनको पकडा जाय। नमूना देखिये भ्रष्टाचार का कि एक खूंटी की कीमत ४५)रु.। दो आने की खूटी ४५)में खरीदी गई। राज्य सरकार जांच कर रही है। कागजात की जांच कर रही है। किस बात की जांच हो रही है? क्यों नहीं जांच जल्दी होती है? आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एन्टी करप्शन विभाग है। उसको दे दिया तो सर्टिफिकेट मिल गया कि डिले करते जाओ। कोई इसकी रोक थाम नहीं। मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही करे ताकि लोगों को एक्जाम्पल मिले। अरबन इम्प्रूवमेन्ट का अमेन्डिंग बिल लाये और एक सेक्शन उसमें जोडा गया। मन्त्री महोदय ने फरमाया कि क्लाज एड कर दिया कि अरबन इम्प्रूमेन्ट में इर्रेगुलेरिटी करने के कारण यू. आई. बी. को जो नुक्सान होगा तो उसके लिए अधिकारी लाएबिल फोर पनिशमेन्ट होगा।

आज भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैल गया है। सरकार इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। सरकार इसको रोक नहीं पाती और यह भ्रष्टाचार दिन दूना और रात चौगुना बढता ही जा रहा है। आप कहेंगे कि

(श्री भैरोंसिंह)

रोज भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं। परेशान होकर लोग बात करते हैं। राजस्थान की जनता के धन का अपव्यय होता है तो लोगों को बड़ा दुःख होता है और इसलिए बात की जाती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सख्त कदम उठाना चाहिये और हमारे रूल्स में जो भी परिवर्तन करना आवश्यक हो परिवर्तन करके इसको रोकना चाहिये। यदि राजस्थान सर्विस रूल्स में यह नहीं आता है तो इसके लिए अलग से कोई एक्ट बना कर लाया जाय और इसकी रोकथाम की जाय और उस एक्ट में प्रावधान कर दीजिये कि करप्शन के काम हैं वे एक प्रकार से नेशनल क्राइम हैं। उनमें यह हो कि जो भी सरकार की फाइनेन्सेज को नुकसान पहुंचाये उसके लिये सरकार का अधिकारी जिम्मेदार होगा और उससे वसूल किया जायगा। अगर आपने इस प्रकार से लाएबिलिटी इम्पोज की तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई अधिकारी जो भ्रष्टाचार में पहूंचा हुआ है, मार्ग में आगे बढने की कोशिश करता है वह कुछ समय के लिये रुकेगा और यदि आप स्ट्रिक्ट हुए तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार रुकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी के नाम पर आपने दुनियां भर को पाठ पढाया है। लेकिन आज तक किसी मन्त्री ने इस बात के लिये नहीं कहा, किसी मन्त्री का भाषण नहीं सुना कि भ्रष्टाचार अधिकारियों को बन्द कर देना चाहिये। आपने भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं कहा। आप के भाषण अखबारों में छपते हैं, आप बोल रहे थे मैंने सुना था आपके भाषण को आपके अखबारों में छपने वाले भाषणों को मैंने न पढा हो ऐसी बात नहीं है, मैं हर अखबार को पढता हूं और आप के भाषण को भी पढता हूं लेकिन आज तक एमर्जेन्सी के टाइम में अपने भाषण में भ्रष्टाचार के लिये एक भी शब्द नहीं कहा। शासन में सुधार करना चाहिये। सुधार हुआ हो वैसा नजर नहीं आता। हमने इस ओर प्रयास नहीं किया। वरना करप्शन हर एक डिपार्टमेन्ट से धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन यह तो बढ रहा है। ७-८ डिपार्टमेन्ट्स के केसेज मैं आपके सामने लाया। प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोओपरेटिव के लिए मैं जिक्र करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट का समय लेना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी का ही समय कट जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि सुखाडियाजी जिनको अपना राजनैतिक गुरू समझते हैं वे स्वयम् यह कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार इतना बढ गया है कि मैं लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। चितौड में उन्होंने भाषण दिया, और भी जगह भाषण दिये, कि राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार बढ गया है कि मैं लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोक सभा के मेम्बर वे सन् ५२ से हैं, ग्यारह वर्षों से है। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में, कम से कम मेरे खयाल से तो सन् ४७ के पश्चात् इससे पूर्व कभी इस प्रकार का भाषण नहीं दिया होगा कि मैं अब लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा इसलिये कि राजस्थान में भ्रष्टाचार काफी बढ गया है। पहले उन्होंने कभी इस प्रकार का भाषण नहीं दिया। आपके जमाने में, मुख्य मंत्रीजी आपके जमाने में यह भ्रष्टाचार बढ गया है और उन्होंने भी इस प्रकार का भाषण दिया है। केवल वैसे ही कहा हो, यह बात भी नहीं है। आपके समय में भ्रष्टाचार फैला है इसमें उनको कोई शंका नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

या तो आप कहिये कि उन्होंने अपने मन से कह दिया, वे झूंठे हैं। वे झूंठे नहीं हो सकते। उन्होंने राजस्थान के गांव-गांव में घूम-घूम कर सारी स्थिति को देखा होगा और यह महसूस किया होगा कि भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारियों में ही नहीं जनता में भी फैल गया होगा। पंचायतों और पंचायत समितियों में ये चीजें धीरे-धीरे डेवलप होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाडा में चर्म उद्योग सहकारी समिति है जिससे मुख्य मंत्री महोदय भी बहुत परिचित होंगे। वहां सेक्रेटरी महोदय रुपये लेकर पार हो गये। यदि इस प्रकार कोई दूसरा सेक्रेटरी पार हो जाता तो कभी का जेलखाने में रख दिया जाता। वहां के चमारों के दस्तखत करवाकर रुपया ले लिया, सरकार से ले लिया और हिसाब में दिखा दिया कि वह सब बांट दिया गया। कुछ चमडा खरीदने के नाम से बता दिया गया और बांट दिया गया और बाकी का रुपया लेकर पार हो गये। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई चमार लोग रोज चिल्लाते हैं चर्म उत्पादन सहकारी समिति के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं और वाउचर्स की नकल भेजी है, मिनट्स की कापीज भेजी है, केश बुक्स की कापी भेजी है लेकिन उस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वह भी एक नेता के जामाता है। इस हालत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जनता के अन्दर सरकारी अधिकारियों की इस बीमारी के कारण भ्रष्टाचार न फैले इस को रोकें। यह न रुका तो आप डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की कितनी ही बातें करते रहें उससे किसी प्रकार भी जनता को राहत मिलने वाली नहीं है, यह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के कारण पोलिटिकल कान्शयसनेस आयी है, लेकिन उसके साथ गावों में भ्रष्टाचार भी बढा है गावों की शांति भंग हुई है, लोगों में विद्वेष की भावना बढी है, कैरेक्टर में कमी आयी है। जैसा हम आचरण करते हैं उसी प्रकार की नकल वे करते हैं। जिस प्रकार का हमारा आचरण है उसका असर हमारे पीछे समाज पर पडता है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन से जिस प्रकार की चीजों की हम आशा करते थे वे चीजें इस हालत में पूरी नहीं होंगी जब तक कि हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने आपको नहीं सुधारेंगे, हमारे नीचे चलने वाली पचायतें और पंचायत समितियों में सुधार की आशा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मद जो हमारे खर्चे की ओर बतायी गई है उसका भी जिक्र किये बगैर नहीं रह सकता। हमने पिछले साल भी एअर इन्डिया कार्पोरेशन को आठ लाख रुपये की सबसिडी दी है और इस साल भी आठ लाख रुपये की सबसिडी दे रहे हैं, आखिर यह किस बात की है। हम इस बात को देखें कि हमारे यहां पर एअर लाइंस हों इसलिये हमने घाटे की गारन्टी ले रखी है। उदयपुर से अहमदाबाद जो हवाई सर्विस चलती है उसके अन्दर हमें घाटा होता है वह राज्य सरकार को पूरा करना होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां एअर लाइन्स लाना चाहते हैं यह राजस्थान के लिये गौरव की चीज है; जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद यानी इन बडे-बडे शहरों में होती हुई हवाई सर्विस गुजरे। आप देखेंगे इन हवाई जहाजों में ज्यादातर सेठ

(श्री भैरोंसिंह)

साहूकार या मन्त्री लोग सफर करते हैं, गरीब जनता नहीं बैठती। आप कहें कि फोरिन टूरिस्ट्स इसमें आते हैं वह भी बात नहीं, अधिकांश नहीं आते हैं। राजस्थान की जनता को डाइरेक्टली इससे कोई लाभ नहीं है वैसी हालत में ८ लाख रुपये का जो भार जनता पर पडता है वह कहां के न्याय की बात है। हवाई जहाज जयपुर आना बन्द हो जाय या उदयपुर जाना बन्द हो जाय तो इससे जनता का किसी प्रकार भी नुकसान होने वाला नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि जयपुर से दिल्ली जो सर्विस चलती है उसमें कोई घाटा नहीं लेकिन जो उदयपुर अहमदाबाद होती हुई सर्विस चलती है उससे लाखों रुपयों का घाटा हमारे यहां होता है। इस घाटे की पूर्ति के लिये जो आठ लाख का प्रावधान किया गया है उसके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम इस इश्यू पर सावधान होकर काम करे।

दूसरा इश्यू आमदनी की दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा हमने फौजियों के लिये १ लाख एकड जमीन रिजर्व की है। इस बारे में मैं मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि नेशनल एमर्जेन्सी के अन्दर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में फौज में भर्ती होने के लिये आकर्षित करने के लिये यह जो कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है वह सराहनीय है। इसके लिये हमारी सरकार ने एक लाख एकड तो पंजाब के लिये और १ लाख एकड राजस्थान के लिये रिजर्व की है। इसमें स्पष्ट नहीं कर पाये कि पंजाब का पौंग डैम और राजस्थान कैनाल में जितनी भूमि आती है, उसमें क्या पंजाब का क्लेम मीट कर लिया गया या उनका क्लेम बाकी है। पंजाब के परिवारों की संख्या देखते हुए २५ हजार एकड भूमि और चाहते हैं उनको और भूमि देना है। आपने पंजाब के लिये एक लाख एकड भूमि दी है वह प्रशंसा की चीज है। लेकिन इसके साथ साथ हम भारत सरकार से डिमान्ड कर सकते हैं हमारे पर ३५ करोड का कर्जा है हमारी जनता की टैक्स देने की केपेसिटी नहीं है, जितनी केपेसिटी है उससे हम अधिक टैक्स वसूल कर रहे हैं। वैसी हालत में हम भारत सरकार पर दबाव डालें नेशनल एमर्जेन्सी के इस मौके पर राजस्थान ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिये कम से कम जो सहायता भारत सरकार जो ग्रान्ट-इन-एड के रूप में हमें देती है उसमें कुछ बढोतरी करें।

बंगाल के वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट भाषण दिया उसमें उन्होंने उन मदों पर जोर लगाया जो भारत सरकार के लिये देनदार थीं। जिनमें भारत सरकार को देना था। इसलिये हमें भी भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये कि हमने १ लाख एकड भूमि देश रक्षा हेतु मरने वालों जवानों के लिये रिजर्व की है उसके एवज में भारत सरकार भी हमें कुछ अनुदान दे।

आर. ए. सी. पर भी काफी खर्चा किया जा रहा है इस इमर्जेन्सी के कारण कुछ बटालियन्स भी हमें बढाने पडे। इसलिये हमारी राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर यह दबाव डालना चाहिये कि रेगूलर आर. ए. सी. हम मेन्टेन करेंगे लेकिन इमर्जेन्सी के कारण जो संख्या आर. ए. सी. की हमें बढानी पडी है और बोर्डर प्रोटेक्शन के लिये जो हमें खर्चा करना पडता है वह भारत सरकार दे। इसलिये मैं सरकार से

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करूंगा, हमारी सरकार जो आर. ए. सी. पर खर्च कर रही है उसका पूरा का पूरा खर्चा भारत सरकार पर डाले। इन प्रयत्नों में मेरा और मेरी पार्टी का आपको सहयोग रहेगा।

ये सब बातें मैंने बजट के संबंध में रखी और साथ में यह निवेदन करता हुआ कि आप अपने खर्चे में कटौती करें और लोगों की जिस प्रकार कर देने की शक्ति है उस प्रकार कर लें। प्लान में कटौती की जाकर अगर कुछ बचत हो सकती है तो वह करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले महानुभाव ने अभी राजस्थान के ६३-६४ के बजट पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। मैं कुछ ऐसे मुद्दे उसके उपरान्त रह गये थे उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि अब तक जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किये गये थे उन बजटों में क्या क्या चीज की कमी थी और उसमें क्यों खामियां रहीं उसका नतीजा क्या निकला उस पर भी इस बजट में रोशनी मिली है। इस बारे में खास तौर से मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय जो बजट के आंकडे हमारे सामने हैं उस बजट में एक बात जरूर है हमारी वित्तीय स्थिति के साथ हमारी अव्यवस्थित योजनाबद्ध खर्चा हो रहा है उस स्थिति का पर्दा फाश भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में किया है। एक लम्बे समय से मैं यह महसूस कर रहा था हमारे यहां पर आज इस प्रकार की परम्परा चली आ रही है कि हम वस्तुस्थिति को छिपाकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं सही तथ्य नहीं रखते थे। इस समय जो वित्त मंत्री महोदय ने सारी स्थिति रखी है उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है उसको किस प्रकार सन्तुलित करने की कोशिश की है। दूसरा हमारा जो अभी दो योजनाओं के अन्तर्गत विकास हुआ है वह बिल्कुल अयोजनाबद्ध चल रहा था या अव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, उस बात को भी स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का इशारा किया कि जो टार्गेट्स हमने निर्धारित किये थे उनको एचीव करने में हम कामयाब नहीं हो सके। ये दो बडी महत्व की चीजें उन्होंने कह दीं। मैं देखता था कि हमेशा हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते थे कि पहली योजना ठीक ढंग से नहीं चली, लोगों का विकास नहीं हो पाया और भी कई बातें कही जाती थीं तो उससे मालूम पडता था कि पहले जो काम हो रहा था वह ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, वे अब उसे ठीक कर रहे हैं, पर अब जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया कि हमारी ये दो योजनाएं भी जिनमें लोगों से अधिक से अधिक टैक्स लिया गया, भारत सरकार से भी कर्जा लिया गया, ठीक नहीं चलीं और इसमें कामयाबी ठीक ढंग से हमको नहीं हुई। तो इससे बाहरी स्थिति तो हमारे सामने आई।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बजट में जिस प्रकार से वे बाहरी स्थिति को स्पष्ट करने में कामयाब हुए हैं उसी प्रकार से बजट का आन्तरिक जो इकोनोमिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिये अलग अलग कि किस मद में वेतन में कितना खर्चा हो रहा है या ग्रान्ट्स में कितना खर्चा हो रहा है, उसको भी वे रख दें। तो इससे अधिक लाभ मिलेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इकोनोमिकल क्लासिफिकेशन से क्या मतलब रखते हैं। जो चीजें रखीं उनको और अधिक विस्तार से रक्खूं ? यह चीज तो दी हुई है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा हुआ। आपका मतलब नहीं समझा मैं, थोडा तफसील में बताने की कृपा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : तनख्वाह पर, वेतन पर, सब पर अलग अलग खर्चा बताएं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो है इसमें।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसी कि अभी एक आल इण्डिया रिपोर्ट आई। उसके सम्बन्ध में भी लोगों की राय है कि थोडी स्पष्ट होनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामने भी बात आई है। वह अगर स्पष्ट रख देते हैं तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट सामने आ जाती है।

श्री बालकृष्ण कौल : आपका यह मकसद तो नहीं है कि जो कर्मशियल अन्डरटेकिंग हैं सरकार के उनके और प्रोफिट के आंकडे विस्तार से रख दें ?

श्री मुरलीधर व्यास: इसमें बैलेन्स-शीट्स, बजट्स, तनख्वाह, अन्य खर्चे आदि बिगतें होनी चाहिये। इससे बहुत कुछ नक्शा स्पष्ट हो जाता।

आपके आंकडों के सम्बन्ध में भी गलत-फहमियां पैदा होती हैं। आज के योजनाबद्ध विकास के युग में आंकडे स्पष्ट होने चाहिये। हमारी पर कैपिटा इन्कम किस आधार पर लगाई गई और वह किस आधार पर बढी। वे आधार स्पष्ट करने चाहिये हमें। इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कुछ बातों पर प्रकाश डाला है। पर कैपिटा इन्कम के सम्बन्ध में बडी विचित्र बात है। हमारी बजट स्टडी में दिया है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय २४६) रुपया है ६०-६१ की आमदनी के आधार पर। मैं बताऊं आपको कि ६२ में सदन में जो गुरुमुख निहालसिंहजी का भाषण हुआ उसके पेज ३ पर दिया है कि ६०-६१ के मूल्यों के आधार पर पर-कैपिटा इन्कम लोगों की ३१५ रु० हो जाने का अनुमान है। अब आपकी बातों में परस्पर मेल नहीं बैठता। उन्होंने अनुमान लगाया है ३१५)रु० होने का और आप कहते हैं २४६) ही हुआ। कितना अन्तर है। तो यह एक जबर्दस्त खामी है और इससे अन्दाज लगा सकते हैं आपके इन आंकडों के संबंध में। हमें ऐसे आंकडों द्वारा कितना भुलावे में रखा जाता है। इसे देखने से लगा कि राजस्थान का आर्थिक विकास पीछे हो गया। हम पीछे चले गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आंकडे तो भुलावे में डालने के लिये ही होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पर कैपिटा इन्कम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जान सकते हैं कि हमने समाजवाद लाने में कितनी प्रगति की है। यह तरीका हर देश में है। तो जब समाजवाद हमारी मंजिल है, लक्ष्य है तो हमें अपने हर कदम के उठाते वक्त यह देखना होगा कि इस कदम से हम समाजवाद के अपने लक्ष्य की ओर कितने जा रहे हैं और कब तक अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आज हमें इसके लिये टैक्स को ही बडा तरीका नहीं मानना चाहिये। विकसित देशों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और उसके द्वारा ही अविकसित देश विकास की ओर जा सकते हैं। हमारा राजस्थान पिछडा हुआ है, हमें भी इस दृष्टिकोण से आगे बढना है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज राजस्थान हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों के मुकाबले बहुत पीछे है तो हमें विकास करने का तरीका सोचना होगा। आप दुनियां को देख लीजिये यूरोप के ८ देश ऐसे हैं जिनमें स्वीडन, इंगलैंड, आस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि देश हैं, जिनकी आय कुल मिलाकर दुनियां की आय की ६५ प्रतिशत बनती है और इन आठ देशों की आबादी कुल दुनिया की आबादी का २० प्रतिशत है। जब २० प्रतिशत आबादी वाले देश ६५ प्रतिशत आय का हिस्सा ले जाते हैं क्योंकि वे बाकी दुनिया से औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं, तो इसी तरह से हिन्दुस्तान में भी जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेश हैं उनकी पर कैपिटा इन्कम दूसरों से ज्यादा चली जाती है और जो पिछड़े हैं उन में कम रह जाती है। तो इस लिहाज से राजस्थान पिछड़ा हुआ गिना जाता है। हिन्दुस्तान में ६ करोड़ किसान इस प्रकार के हैं कि जिनमें से चार करोड़ की दैनिक आय २५ नये पैसे हैं और दो करोड़ ऐसे हैं जिनकी आय १३ पैसे है और १० करोड़ ऐसे हैं जिनकी औसत आय ३१ नये पैसे है। यह नेशनल सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। हिन्दुस्तान की यह हालत है, तो उसमें भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है इस आधार पर अगर हिसाब लगावें तो यहां किसान वर्ग की आमदनी ९ नये पैसे प्रति दिन से अधिक नहीं हो सकती तो राजस्थान के ६० लाख किसान परिवारों में से कम से कम १० लाख की हालत ऐसी है।

उनमें से बहुतसों के पास जमीन नहीं है, दो बीघा जमीन भी नहीं है, वह आप देख लीजिये। आज ऐसे परिवार भी हैं कि जब हम समाजवाद के आधार पर विकास करने की बात सोचते हैं तो जो टैक्सेज लग रहे हैं यह टैक्स उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी आमदनी ९ न. पै. है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर हम राजस्थान की स्थिति में उस तरीके से नहीं सोचते और कहते हैं कि हम समाजवादी दृष्टिकोण से विचार करना चाहते हैं तो वित्त मंत्री महोदय को जब समाजवाद की मंजिल तक पहुंचाने की बात को कहने का दावा है तो उनकी वस्तुस्थिति को भी ध्यान में रखना है और किस तरह से वहां तक पहुंच सकेंगे उसका ख्याल नहीं करते और टैक्स लगाने में जिसकी आमदनी ९ न. पै. है जो अपनी जिन्दगी ठीक तरह से नहीं बिता सकते उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगता है, आप उसके ऊपर अनाज का टैक्स लगाते हैं दूसरी तरह का टैक्स लगाते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे वह कितना ही कहे कि हमने तरक्की की है हम समाजवाद तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उस समाजवाद को जला कर खाक कर देना चाहिये। आपको समाजवाद के रास्ते में सोचना पड़ेगा कि आपने जो टैक्स लगाये हैं किसानों के ऊपर--यह गरीब आप तक नहीं पहुंच सकते। आपने जितने भी साधन दिये हैं आप कहेंगे कि हमने उन्नति की है और गरीबों की हालत को ठीक किया है।

मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आंकड़ों को देखें कि जो राजस्थान की आय है उसके जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे मालूम पड़ता है कि ६० परसेंट आय तो हमारी किसानों से होती है और फिर उसमें से जो पैसा हमारे पास आता है उससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है वह कम से कम दस परसेंट लोगों के पास जाती है जो कि बहुत बड़े हैं। आपने जो साधन दिये हैं जो आप वहां तक पहुंचाना चाहते हैं वह किसान चाहे जैसलमेर का हो, चाहे बाड़मेर का हो, रेगिस्तान के टीलों में

(श्री मुरलीधर व्यास)

बैठा हुआ हो आपके कोई साधन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम अपनी योजनाओं का लाभ तो वहां तक पहुंचा नहीं सकते और कुछ न कुछ उनसे लेते ही हैं। अभी अभी श्री गुलजारीलालजी नन्दा जोकि हमारे योजना मंत्री हैं उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था टैक्सेज के बारे में कि किसी भी राज्य को टैक्स लगाने का अधिकार उस समय होता है जब कि वह राज्य वहां की जनता को एक रुपया तो देता है और उस रुपये में से एक आना लेता हो। परन्तु जब आप कुछ दे नहीं पाते हैं तो उससे ले कैसे सकते हैं? तो टैक्सों के सिद्धांत पर आपको भी ख्याल रखना है। राजस्थान में किसानों की हालत को या तो वित्त मंत्री महोदय ने देखा नहीं या जो राजस्थान में गांव हैं उनको नहीं देखा। जहां तीन साल में एक बार अकाल पड़ता है, अगर आप उन्हीं किसानों के लिये इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं, सैस लगाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसानों की हालत क्या है? तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिये। यह तो दोहरा टैक्स है एक ओर जबकि केन्द्रीय सरकार ने लगा दिया और फिर आपने भी लगा दिया। हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी दूसरे राज्य ने इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जैसा कि आपने लगाया है। यह किसानों के ऊपर बहुप बड़ा अन्याय है। किसानों की हालत बहुत खराब है। यह ठीक है आप कहते हैं कि हमारे देश में संकट-कालीन स्थिति है। आपकी इस बात को मान भी लें लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि किसान दब जाये। आज इमर्जेन्सी के कारण या जन सुरक्षा कानून के अन्दर आप जनता को दबा भी सकते हैं लेकिन इन परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है आप इनको दबा दें। यदि किसी और प्रकार की स्थिति होती तो लोगों के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती कि लोग बगावत करते और सरकार को उलटने की कोशिश करते। यह तो किसानों की हालत है। आज किसानों के साथ म क्या होता है कि एक किसान इन हालात के अन्दर बाहर निकलता है, राजस्थान के अन्दर किसान अकाल पड़ने पर जानवरों को लेकर बाहर जाते हैं। तो आपने कहा है कि जो आदमी बिक्री के लिए जानवर बाहर ले जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आज हमारे राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ने पर किसान अपने जानवरों को लेकर बाहर जाता है तो आप कहेंगे कि लाइए टैक्स ....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सिर्फ बिक्री के लिये है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब उसका हिसाब कैसे करेंगे? राजस्थान के अन्दर आये दिन लोग अपनी सीमाओं से जानवरों के साथ बाहर चले जाते हैं आप कहेंगे कि यह तो बिक्री के लिए जा रहा है इसलिये टैक्स दो। एक ओर तो किसान पानी न बरसने के कारण न तो अपने आप को खाना दे सकता है न जानवरों को चारा आप वहां पर यह कहेंगे कि तुम बाहर ले जा रहे हो, इसलिये टैक्स दो...

श्री बालकृष्ण कौल: इसका मतलब आप टैक्स के खिलाफ नहीं हैं। केवल उसके प्रोसीजर के खिलाफ हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बाहर भेजने की नीति के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसके विरुद्ध हूं। यह किन परिस्थितियों में होता है? आज एक आदमी अपने जानवर बेचता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, हमारी नसल आती है, जाती है तो इस मामले में किसान बहुत ज्यादा परेशान होगा, इसमें कामयाबी नहीं हो सकेगी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो परिस्थिति आये साल पैदा होती है और हमारे किसान बाहर जाते हैं उन पर आप रोक लगा देंगे।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं माननीय सदस्य से अर्ज कर दूं कि किसान को जानवरों को चराने के लिये बाहर ले जाने में मुझे उम्मीद है कि कोई तकलीफ नहीं होगी। यह तो व्यापारियों के लिये है।

श्री मुरलीधर व्यास:—वह आप किस प्रकार से हल करेंगे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह परिस्थिति राजस्थान में प्रति वर्ष पैदा होती है कि अकाल पड़ने के कारण लोग अपने जानवरों सहित बाहर चले जाते हैं और फिर लाते हैं उसमें कुछ मरते हैं आप खुद ही हिसाब नहीं लगा सकेंगे। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत आपने इस प्रकार की करदी अब मैं मध्यम वर्ग के लिये कहना चाहता हूं। उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। आप यह सोचते है कि यह जो टैक्स लगाया है यह मध्यम वर्ग पर नहीं पड़ेगा। परन्तु आज यह हालत हो चुकी है कि मध्यमवर्ग का एक आदमी सुबह उठता है तो उसको चाय चाहिये तो चाय के ऊपर टैक्स, सवेरे उठ कर हजामत बनाता है तो ब्लेड के ऊपर भी टैक्स बढ गया। मध्यमवर्ग का आदमी सवेरे से उठकर सिगरेट पीता है तो उसके ऊपर टैक्स इतना बढ गया है, न जाने दुगुना हो चुका है। आखिर मध्यमवर्ग का आदमी जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, पैट्रोमेक्स में मिट्टी का तेल चाहिये यह रोजाने की चीज है उसकी कीमत भी चार आने की जगह छः आने हो गयी। एक महीने में उसका कितना हिसाब हो गया। आखिर उसको तेल चाहिए, कंघा चाहिए और इन चीजों पर भाव बढते हैं तो क्या मध्यमवर्ग इससे नहीं दबता।

मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जो कुछ टैक्स लगाती है वह मध्यमवर्ग पर बड़ा प्रभाव करता है बड़े बड़े लोगों पर नहीं। आपका यदि कोई डाइरेक्ट टैक्स होता तो मैं उसका विरोधी नहीं करता। लेकिन आपके सारे टैक्स हम देख रहे हैं, दिन ब दिन डाइरेक्ट टैक्स न होकर इनडाइरेक्ट टैक्स बढते जा रहे हैं। डाइरेक्ट टैक्स यदि उन पर पड़ते जिनके पास अधिक पैसा है तो मैं समझता हूं कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपके टैक्स इनडाइरेक्ट टैक्स हैं। जो मध्यम व नीचे के वर्गों पर अधिक पड़ते हैं। आज मध्यम वर्ग की हालत गिर रही है। आपको उन्होंने सुरक्षा के लिये भी सहयोग दिया है। लेकिन राजस्थान के बाजार पर जबसे टैक्सों और बजट का प्रभाव पड़ने लगा है तब राज्य कर्मचारियों में से बहुतों ने लिख कर दे दिया है कि हम जो कुछ स्वेच्छा से जो सुरक्षा के लिए कटाते थे वह अब नहीं कटायेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी भावना आवश्यक है। यदि भावना चली जाती है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

कई टैक्स इस प्रकार के होते हैं जिनको लगाने से लाभ होता है। राज्य सरकार का करोड़ों रुपयों का बजट होता है उसमें से ६०-७० प्रतिशत की चीजें राज्य सरकार को बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और बजट के ६०-७० परसेंट का मार्केटिंग होता है तो राज्य सरकार को भी उन चीजों को खरीदने में टैक्स तो देना

(श्री मुरलीधर व्यास)

ही पडेगा। यदि एक आना भी रुपये पर टैक्स बढ जाता है और आप समझ लीजिये कि ३२ करोड रुपयों की चीजें सरकार बाजार से खरीदती है तो उस पर भी दो करोड रुपये टैक्स के बढ जाते हैं? इसलिये टैक्स बढ जाने से राज्य के खजाने में पैसा बढ जाता है तो खजाने से पैसा जाता भी है। हालांकि टैक्स नीति यह है कि टैक्स लगाते हैं वह मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर पडे तो टैक्स नीति में आपको परिवर्तन करना पडेगा और साथ ही साथ आर्थिक नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए यदि समाजवाद का ढांचा लाना चाहते हैं तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिये। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिये।

राजस्थान के खजाने की स्थिति आज क्या है, यह भी देखनी चाहिये। आज २ अरब ३७ करोड का केन्द्रीय सरकार का कर्जा हम पर है हालांकि ३१ मार्च तक २ अरब ७ करोड रुपयों का बताया है और आगे जाकर यह स्थिति और भी बढेगी। हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है। यह स्थिति किसने की और किन कारणों से हुई इसकी गहराई में मैं नहीं पडना चाहता। यही मानकर चलें कि राज्य सरकार काम के लिये पैसे उधार लेती है, योजनाओं में पैसा लगाती है। लेकिन राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने के लिये यदि टैक्सेज का ही तरीका रहेगा तो राजस्थान की जनता में जो समाजवाद लाना चाहते है वह नहीं आयेगा और आपको अपनी आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन करना पडेगा और यदि परिवर्तन नहीं किया तो राज्य की आर्थिक हालत किसी भी हालत में ठीक नहीं होगी यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। राज्य की आय हो सकती है लेकिन वसूली का जो रास्ता है वह ठीक नहीं है। जमीन के भाव बढे हैं, बढी हुई रेट से पैसा आता है लेकिन जमीन की बिक्री की जो आपकी नीति है उसमें परिवर्तन करना चाहिये और बिक्री से किस प्रकार पैसा प्राप्त कर सके यह आपको करना चाहिये।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। गंगानगर इलाके में भाखरा से नहर आई, उस समय जिसके पास खराब जमीन थी उसको यह अधिकार मिल गया कि ऐसी जमीन बदली जा सकती है और उसके बदले में दूसरी जगह ली जा सकती है। बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें दीं। जिसकी जमीन पहले बारानी थी, उसकी कीमत आपके आंकडों के अनुसार ५० बीघा से कम थी उनका क्या किया, आप अपने रेवेन्यू रेकार्ड को देख लीजिये। अपने यहां के सदस्य श्री मनफूलसिंहजी हैं हो सकता है वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों रेवेन्यू मिनिस्टर के पास उनका केस या मुकद्दमा होगा। गंगानगर इलाके में उनकी जमीन बारानी थी उसको उन्होंने नहरी जमीन से बदलवाना चाहा। उनकी जमीन की रेट ५० बीघा से नीचे की थी उसके बदले में उतनी ही जमीन यानी ५००) बीघा जमीन उन्होंने नहरी इलाके में ले ली जिसके लिये उनको एक पैसा भी नहीं देना पडा और जो जमीन उन्होंने नहरी इलाके में ली उसकी कीमत १,००० रु. बीघा से कम नहीं थी। इस प्रकार के ट्रांसफर्स के कई केसेज हुए। लोगों ने एक एक के पीछे लाखों रुपयों का फायदा उठाया। अगर आप इसको ठीक ढंग से करते तो करोडों रुपये आपके निकल आते। आप रेवेन्यू विभाग में जांच करिये, दरख्वास्तें होंगी। ऐसे अनेक परिवर्तन लैंड में हुए हैं। लैंड

(श्री मुरलीधर व्यास)

से आपको जो आमदनी ठीक तरह से प्राप्त करनी चाहिये थी वह नहीं कर पाये। आप बैटरमैन्ट लेवी भी ठीक तरह से वसूल नहीं कर पाये जो हमारी बकाया है उसको भी ठीक तरह से वसूल नहीं कर पाये। जो कैपीटल आपकी लगी हुई है इन्डस्ट्रीज में उससे भी आपको आमदनी नहीं होती। आपको इसमें परिवर्तन करना चाहिए। पैसा किस तरह से लगाना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिये। करोडों रुपये लगाने पर भी उसका फल नहीं मिलता। कोई व्यापारी अगर दुकान लेकर बैठे और उसमें अरबों रुपये लगादे, और उसमें कोई फल नहीं निकला। आपने भी विकास में करोडों अरबों रुपये लगा दिये, चम्बल और भाखरा पर लगा दिये लेकिन आपको जो ब्याज देना पडता है वह भी नहीं निकला। आपको १० करोड रुपये प्रति वर्ष ब्याज के देने पडते हैं यदि वह भी आपके पास वापिस रिटर्न के रूप में नहीं आता और जो कीमतें बढीं हैं वह आपके पास नहीं आतीं तो उसका उपयोग क्या? आप लाभ कुछ लोगों को दें और टैक्स सब पर लगावें वह आपकी अच्छी नीति नहीं है। आप इसमें नाकामयाब रहे हैं। आपको नाकामयाबी से बचने का उपाय करना चाहिये।

आपकी बकाया में भी काफी गडबडी है प्रश्नों के समय आपने बताया था कि ६१ लाख रुपये की बकाया है। इसमें भी बहुत बडा घोटाला हुआ है। इसके बारे में दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उनकी जांच करके देखिये, किसकी लापरवाही से हुआ है। मैंने जन लेखा समिति की रिपोर्ट है उसके पेज ७ पर अभ्रक की रोयल्टी के बारे में बताया है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): कौनसा पेज है?

श्री मुरलीधर व्यास: ६०-६१ की रिपोर्ट के पेज ७ पर देखिये। अभ्रक की रायल्टी वसूल करने के तरीके में परिवर्तन करने का प्रस्ताव आया। सरकार ने क्या किया कि पहले ६।) प्रति सैंकडा अभ्रक पर रॉयल्टी वसूल हुआ करती थी। वहां पर बहुत से व्यापारियों ने यह रॉयल्टी नहीं दी। आखिर क्या हुआ कि कुछ लोग डेपुटेशन लेकर पहुंचे और सरकार से बताया कि बिहार और अन्य इलाकों में प्रोडक्शन बढ रहा है इसलिये आपको रॉयल्टी में परिवर्तन करना चाहिये और जो ६।) प्रति सैंकडा रॉयल्टी ली जाती थी उसमें उन्होंने परिवर्तन यह किया कि सवा छः रुपये सैंकडे की बजाय १) प्रति मण कर दिया। ६।) सैंकडे के हिसाब से एक मण पर रॉयल्टी के १७.१८ रुपये आते थे क्योंकि माव २००), ३००) रु. मण का था और अच्छी क्वालिटी के एक मण पर १८ रुपये आते थे वहां १) रु. प्रति मण रॉयल्टी का कर दिया।

(३. म. प.)

एक रुपया आप मन पर ले लेंगे, सैंकडा पर नहीं लेंगे। जन लेखा समिति ने इसके लिए प्रश्न सूछा—आखिर यह परिवर्तन कैसे हुआ? कहा गया कि सरकार ने कर दिया। इस कारण से कि एक उनकी तरफ से डेपुटेशन मिला था। अब सरकार ने किया, किसने किया, क्या किया, क्या नहीं किया—इसका उल्लेख नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। अब जैसे गत वर्ष सवाल आया था, वित्त मंत्री जी ने कुछ ऊनी कपडे के संबंध में व्यापारियों से बातचीत की रेट्स के संबंध में। उन्होंने ऊनी कपडे के संबंध में कुछ ऐसा कर दिया और उसको फाइनैन्स की दृष्टि से बहुत बुरा माना और एक बडा भारी आरोप उन पर लगाया गया

(श्री मुरलीधर व्यास)

था और कहा गया था, यह गबन है, घोटाला है और जिसके द्वारा हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं, ये रेट्स चल रही हैं, जिस तरह से आप रॉयल्टी वसूल करते हैं वहां आप एक प्रकार से उसको कम कर देते हैं। यह किस ऑफिसर ने किया है, किस मंत्री ने किया है, कौन थे-यह मैं नहीं जानता। यह किसी ने किया हो, मैं समझता हूं यह बडा भारी स्कैन्डल है। और जिसने किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिये कि कौनसे आधार थे, जिनके आधार पर यह किया है।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १९६२-६३ की जब जन लेखा कमेटी में प्रश्न पूछा गया था--भई, आपने कहा था, इस प्रकार के परिवर्तन से प्रोडक्शन बढ जायगा, यह तो बताओ, प्रोडक्शन कितना बढा ? तो कहा--कुछ नहीं बढा। इसके लिये कारण क्या बताये कि प्रोडक्शन नहीं बढता है, बाहर इसकी बिक्री नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर स्थिति यह है तो मैं समझता हूं, यह स्कैन्डल बहुत बडा है क्योंकि जहां गवर्नमेन्ट को इससे १८ लाख की आमदनी होती वहां गवर्नमेन्ट को सिर्फ ३ लाख की आमदनी हुई। जैसा इसके अन्दर बताया गया कि ३ लाख मन बाहर भेजा गया, इस हिसाब से लगाया जाय तो तीन लाख रुपये आये। अगर यह परिवर्तन नहीं होता तो अठारह लाख आते। तो यह १५ लाख का स्कैन्डल हुआ है, यह किसने किया है, आप इसका लाख जवाब दे दें कि हमने बहुत सोच समझ कर किया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत बडा स्कैन्डल है, चाहे इसके चीफ मिनिस्टर इन्चार्ज रहे हों, या डिप्टी मिनिस्टिर रहे हों। जिसने भी फैसला किया है, मैं समझता हूं कि उसने बहुत बडा स्कैन्डल किया है और इसकी जांच होनी चाहिये। कमीशन बैठाकर तो मालूम हो सकता है कि रायल्टी के मामले मे कितनी गडबडी हुई है ? (घंटी) इसी में और कहा गया है वह है सीमेन्ट की दर के संबंध में। इसमें भी इसी प्रकार का फैसला किया गया है। पहले जो पिट्स के आधार पर था, वह अब एक रुपया टन कर दिया गया है। पहले पिट्स के आधार पर रायल्टी थी, उसमें अब रेट का परिवर्तन कर दिया गया है। हमारे यहां से लाखों टन माल बाहर गया है, जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। रायल्टी के संबंध में मैंने आपको एक दो उदाहरण दिये हैं लेकिन रायल्टी के मामले में बहुत ज्यादा घोटाले हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि राज्य की आय बराबर कम होती जा रही है।

अब फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट में चले जाइये इसी प्रकार वहां भी है। आप बकाया के मामले में चले जाइए, आज राजस्थान में जो बकाया वसूल करनी है, इसके बारे में जन लेखा समिति ने रिपोर्ट दी है, इसमें कहा है कि आठ करोड रुपया हमारा बकाया है। आठ करोड बकाया है उसमें से तीन करोड रुपया राइट आफ कर दिया। यह राइट आफ किस तरह से किया, किस पर छोडा, यह आपकी मर्जी से हुआ। लेकिन पांच करोड रुपया आज भी बकाया के संबंध में है। अब बकाया के जितने मामले हैं, बकाया के संबंध में जो कुछ फैसले आपने किये हैं, अगर वे साधारण आदमी के होते, किसान के होते, मध्यमवर्गीय लोगों के बकाया के फैसले

(श्री मुरलीधर व्यास)

होते तो मैं समझता कि गवर्नमैन्ट ने छोड दिया तो ठीक किया। लेकिन बडे बडे केपिटलिस्ट्स लोग, जिनसे पैसा आना चाहिये उनसे बकाया के मामले में पैसा छोडते हैं। जैसे कोई इन्डस्ट्री में गवर्नमेंन्ट के शेअर्स हैं अब अगर वह इन्डस्ट्री डूब जाती है या उसका दिवाला निकल जाता है····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : आप फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट का फर्मा रहे हैं आठ करोड या दूसरी इन्डस्ट्रीज भी इसमें हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आठ करोड बकाया है, इसमें फोरेस्ट का है, दूसरे डिपार्टमैन्ट्स का भी है, सप्लाई का भी है····

श्री बालकृष्ण कौल : पासिग रेफरेंस है। आपने पासिग रेफरेंस किया है, जहां तक फोरेस्ट का ताल्लुक है····

Now you come to the other point.

श्री मुरलीधर व्यास : आप बिजली के संबंध में जन-लेखा समिति की रिपोर्ट देख लीजिये, २७ पेज पर, उसमें बताया है कि करीब करीब ९१ लाख रुपये की बकाया है। [illegible]र यह एक एक करोड की बकाया जिनके पास हैं—राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदारों के नाम पर···

श्री बालकृष्ण कौल : इसका भी जिक्र है?

श्री मुरलीधर व्यास : हां है, २७ पेज पर है। जन-लेखा समिति की १९६०-६१ की अभ्रक के सम्बन्ध में रिपोर्ट है। इसके अलावा जन लेखा समिति ने देवस्थान विभाग में बकाया बताया है। मेरी समझ में नहीं आता कि देवस्थान विभाग में बहुत बडी बकाया है वह क्यों वसूल नहीं होती। यह बकाया पांच करोड रुपये की है। अगर यह बकाया गरीबों के ऊपर होती तो क्या राइट आफ कर दी जाती। मैं समझता हूं कि इसको वसूल करने के लिए सरकार को नीति में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरे थोडा मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको आर्थिक नीति में मूलभूत परिवर्तन करना चाहिये और वन विभाग, माइनिंग विभाग हैं इनका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिये। वन विभाग और माइनिंग विभाग की सम्पत्ति, राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उस राष्ट्रीय सम्पत्ति वन का ठेका होता है। वन के ठेके में सरकार को नुकसान होता ह। अगर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाय तो वन का नुकसान नहीं होगा। आज क्या होता है, मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं, आज आप लोगों को ठेका देते हैं वे लोग ठेके में ज्यादा पेड काट देते हैं। उनका लक्ष्य यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा थोडे समय में प्राप्त करलें चाहे वन सम्पत्ति नष्ट होती हो। इस तरह हमारी वन सम्पदा नष्ट होती चली जा रही है और इससे जितनी आमदनी होती है, उतना खर्च हो जाता है। सरकार को इससे कुछ मिलता नहीं है। यह आखिर क्यों है, इसके सम्बन्ध में जो जन-लेखा समिति की रिपोर्ट है, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। इसी प्रकार माइन्स इन्डस्ट्रीज हैं, ये जितनी भी हैं उनको नेशनलाइज करना चाहिए। इससे जो अभी कम आमदनी होती है, मैं समझता हूं, वह ज्यादा होगी और गडबडी समाप्त हो जायेगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एमर्जेन्सी है, इस एमर्जेन्सी के

(श्री मुरलीधर व्यास)

समय में सरकारी नीति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह सरकार ने बसेज का राष्ट्रीयकरण किया है, उसी तरह से जितने यातायात के साधन हैं, एमर्जेन्सी के समय में जिनका भाव बढ जाया करता है इसलिए वे साधन ऐसे होते हैं कि जिनसे ब्लेक मार्केटिअर्स फायदा उठाते हैं सामान को इधर-उधर ले जाने में और देश को नुकसान पहुंचाने में। मैं समझता हूं ऐसे यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इससे आमदनी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे सिनेमा हैं, जिनके द्वारा नाना प्रकार की बातें जनता तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिए सिनेमा ऐसी चीज है जिसको राष्ट्र को अपने हाथ में लेना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। उसमें ठीक तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक तरह की फिल्में चलनी चाहिए। इससे राष्ट्र को फायदा होता है साथ ही साथ उससे हर तरीके के लाभ मिल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बडा भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की नीति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए और लैण्ड का सीलिंग करने की नीति है उसको जल्दी ही लागू करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो किसान के पास जमीन नहीं होगी और उसको लाभ नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उसके अन्दर आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

इसके अलावा कुछ टैक्सेज लगाये हैं, उनमें से मैं रंग के विषय में विशेष अर्ज करना चाहता हूं। रंग के अन्दर, तीन, सात से बढा कर दस कर दिया गया है। आज राजस्थान के अन्दर लाखों छीपें हैं, बीकानेर के मोहल्ले मोहल्ले छीपों के हैं जो रंगने का काम करते हैं। जोधपुर में छीपें हैं, जयपुर में छीपे हैं, आप किसी इलाके में चले जाइये आपको ऐसे आदमी मिल जायेंगे जो रंगने का काम करते हैं। उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया, इसका नतीजा यह होगा कि रंग की कीमत बढ जायगी। अगर रंग की कीमत बढ जायेगी तो रंग बाहर से आयेगा और फिर बाहर के लोग यह काम करने लगेंगे क्योंकि उनको रंग सस्ता पडेगा। तो यह जो छींपावर्ग है, जो रंगने का काम करने वाला है, यह वर्ग, जो आपका सुनार वर्ग है, उससे भी ज्यादा तादाद में है। इनके रंगे हुए घाघरे, ओढनें, ग्रामीण पहनते हैं। यह उनके रोजाना काम में आने वाली चीज है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और इसके अन्दर आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए।

अन्त में मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, बहुत थोडे में अर्ज कर लेना चाहता हूं ताकि वे बातें भी मेरे इसके अन्दर आजांय- एक तो यह है कि इस समय आर्थिक नीति में परिवर्तन इस प्रकार से हो-जैसे आप सुरक्षा के सम्बन्ध में पैसे की मांग करते हैं, इसके सम्बन्ध मे मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा का काम केन्द्र का है। हमारा काम, अगर हमारे राज्य के अन्दर कोई गडबडी हो तो उसको सम्भालने का है। सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई बात करनी पडे तो केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेनी पडेगी और उसकी देख-रेख में वह काम हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के नाम पर बजट की बात कह देना ठीक नहीं है। इसलिये आप राजस्थान में आमूल परिवर्तन इस मामले में कर दीजिये। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिक शिक्षा आप अनिवार्य कर दीजिये, गांवों के अन्दर आप सैनिक शिक्षा दीजिये, नागरिक सुरक्षा दल बनाइये और उनकी

(श्री मुरलीधर व्यास)
ट्रेनिंग की व्यवस्था करिये। सुरक्षा के लिए साधन जुटाइये-सुरक्षा के लिये बन्दूक चाहिए और चीजें चाहिए, उन पर जो खर्चा आता है उसे आप सुरक्षा में लें....

श्री बाल कृष्ण कौल : वह लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने आर. ए. सी...

श्री बालकृष्ण कौल : होम गार्डस् के लिए है, सिविल डिफेन्स के लिए है।

श्री मुरलीधर व्यास : ट्रेनिंग के साधन हैं, जो मिलने चाहिए मौके के ऊपर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें कुछ ज्यादा खर्च हो जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो उस ढांचे को बदलना होगा। दूसरे जो आर. ए. सी. का खर्च है वह केन्द्र से लेना चाहिए। आर. ए. सी. का खर्च और रेल्वे पुलिस का खर्च है, उसमें से रेल्वे पुलिस के लिए पन्द्रह लाख देते हैं। रेल्वे केन्द्र की है, वह आपको दे और आप आर. ए. सी. के लिए मांग कर, उसे भी केन्द्र दे....

परन्तु यह भार राजस्थान के पिछडे हुए इलाके पर नहीं पडना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एमर्जेन्सी के समय सुरक्षा की समस्या है। इसके लिये हमें अपनी सी. आई. डी. को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। आज हमारे यहां कई वारदातें होती रहती हैं उधर के इलाकों में। आज हमारे इलाकों में बाहर से बहुत से आदमी आ कर बस गए हैं इससे हमारी सी. आई. डी. को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। मैं ने पहले भी आपको निवेदन किया था कि हमारे यहां विधान सभा के दर्शक-दीर्घा में माजीखां नाम का आदमी आकर बैठ गया था जो तस्कर करने वाला है और जिसके नाम का वारन्ट निकला हुआ है। वह यहां पर आकर बैठ गया था उसको आने का प्रवेश किसने दिया। मैं ने सुना है कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि वह गवर्नमेन्ट होस्टल में ठहरा है, मगर वहां पर नहीं ठहरा हुआ है। वह गौड भवन में ठहरा था। यह गौड भवन सी. स्कीम में स्थित है। वहीं ठहरा था। वह यहां पर कैसे आया? जिसके बारे में रिपोर्ट है कि वह डाकू जगमाल सिंह का साथी है....

एक माननीय सदस्य : उसका क्या नाम है!

श्री मुरलीधर व्यास : उसका नाम माजीखां है।

वह जगमालसिंह डाकू के साथ रहता है। आपकी सी. आई. डी. हर एक पर लगी रहती है कि कौन कहां से आया है और कहां रहता है। आपके पास हर बात की सूचना आती रहती है। इसके बावजूद भी आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हमारी सीमा पर जो आज बहुत गडबडी हो रही है उसका कारण यही है कि आज हमारे यहां बहुत बडी तादाद में बहुत से विदेशी लोग आकर बस गये हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने उसको पहिचान लिया था क्या?

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय मैं ने उसको देखा और यहां आकर प्रश्न उठाया उस समय तक वह सदन से चला गया था।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने तुरन्त इत्तला क्यों नहीं दी?

श्री मुरलीधर व्यास : है तो उसका नाम माजी खां। केसरिया साफा लगाये हुए था।

मैंने बाहर जाकर जब उसको देखा तो चर्चा करदी। बस वह निकल गया।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपको होम मिनिस्टर को इत्तिला करनी चाहिये थी।

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो गलती हो गई कि मैं ने पहले चर्चा करदी और वह चला गया।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : उस दिन मैं यहां नहीं था जिस दिन इस बात की सदन में चर्चा हुई थी। मगर मैं आपको यह निवेदन करदूं कि पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ कोई वारन्ट नहीं है, इसकी जांच कराली है। अब रहा सवाल यह कि वह स्मगलर है या नहीं इसके बारे में आपने अभी बताया है इसके लिये भी जांच करेंगे। यह बात नहीं है कि हम इस बारे में सतर्क नहीं हैं। अब रहा यह कि यह किस माननीय सदस्य के टिकट से यहां आया था. इसके लिये भी मैं ने अध्यक्ष महोदय से जांच करने के लिये बात-चीत करली है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह मेरी कोन्स्टीटयूएन्सी का आदमी है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी रोमा नाम का आदमी पकडा है वह इसके घर में पकडा गया है और उसके पास पाकिस्तान की राइफल और कारतूस भी पकडे गये हैं।

इस प्रकार से यहां आपको अनेक फैक्ट्स मिल सकते हैं। मुझे आपने जो जानकारी दी उसके लिये बडी खुशी है और सीमाओं पर आपने कदम उठाये हैं उसके लिये बडी खुशी है और इससे जरूर सीमाओं पर स्थिति में लाभ होगा। आपने जो कदम उठाये हैं उनसे डाकुओं और उनके मदद करने वालों को घबराहट हो रही है। आज जब आपके डी. आई. जी. और पुलिस वहां डाकुओं को दमन करने का प्रयत्न कर रही है तो उसके साथ साथ डाकू और उनके साथी मिल कर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके डी. आई. जी. को उडा दिया जाए। आपने जो कार्य किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनूपचन्द के साथ धनराज को गिरफ्तार किया है। जिसकी सुखाडियाजी के साथ फोटो खिचती है आपने वहां धनराज को गिरफ्तार किया है जो अनूपचन्द के साथ था और जिस अनूपचन्द के पास वह पत्र निकला है जो मर गया था। उसके लिये भी आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कल जो घटना हुई है उससे पता चलता है कि कुछ लोगों ने इस प्रकार के विरोध के प्रयत्न करने की कोशिश की है और आपको कुछ कार्यवाही करनी होगी।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो निवेदन किया है उसके लिये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डी. आई. जी. को उडाने की बात तो बहुत दूर रही, कोई भी व्यक्ति अराष्ट्रीय कार्य करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्यवाही करेगी और सख्त कदम उठाएगी। अभी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उससे आपको संतोष होगया होगा। किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूंगा कि हमें इस समय सीमा पर सी. आई. डी. को

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत सतर्क करना चाहिए। अगर कोई देश में इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा होती हैं तो आज भी आपको उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए और अगर कोई विरोधी तत्व काम करते हैं तो उस कोन्स्टीट्यूएन्सी में रहने वाले आपको बता देंगे। इसलिये उनको कोन्फीडेन्स में ले कर मन्त्रीजी को सुनना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं हमेशा माननीय सदस्य को कॉन्फीडेन्स में लेकर सुनता हूं और जब कभी वे चाहें आकर मुझे बता सकते हैं। यदि वे यह चाहें कि मेरे पास ही रहें तो मेरे मकान में आकर रह जावें। मुझे कोई एतराज नहीं है

श्री मुरलीधर व्यास: रूपचन्दजी के पास भी बहुत सी खबरें हैं। मुख्य मंत्री को भी मालूम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं एक बात कहता हूं कि फिजूल खर्ची को रोकने की कोशिश करनी चाहिये और मिनिस्टरों की मोटरों में पैट्रोल का खर्चा है उसको रोकना चाहिये और इसके लिये सख्त कदम उठाने चाहिये। अभी अभी मुझे मालूम हुआ था कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन का ड्राइवर है उसकी पत्नी और लड़कियें चीफ मिनिस्टर के पास गये, उसको उसने अपनी लोग बुक में दर्ज कर दिया इससे उसको वहां से निकाल दिया गया।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : मेरा यह निवेदन है कि जो तथ्य यहां सदन में रखें जायें वे तथ्य आपके पास हैं या नहीं कि उन तथ्यों को आप हाउस में रख कर हाउस को कन्विन्स कर दें। जब तक आपके पास डोक्यूमेन्टरी एविडेन्स न हो तब तक आप उन तथ्यों के संबंध में नहीं कह सकते।

श्री मुरलीधर व्यास: उस ड्राइवर ने लोग बुक में दर्ज किया है। दो दफे....

श्री मथुरादास माथुर: कौनसा ड्राइवर है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): इसी वजह से निकाला गया था कि किसी दूसरी वजह से निकाला गया, यह आप कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन यहां मौजूद नहीं हैं इसलिये उनके बारे में यह कहना कि उसको निकाला था....

श्री मुरलीधर व्यास: बाद में मालूम पड़ा कि वह ड्राइवर संबंधित मंत्री महोदय के पास पहुंचा तो उसको वापस रख लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसको निकाला गया था और फिर रख भी लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ठीक बात है। समझा समझू के उसको रख लिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य उसी बात को यहां कहें जिसकी आपको तसल्ली हो।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह रखना चाहता हूं कि इस प्रकार मिसयूज होता है, उसने लॉग बुक में लिख दिया तो इस प्रकार की घटना हुई। हरिश्चन्द्रजी के पास वह ड्राइवर पहुंचा और फिर उसे रख लिया गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनके अन्डर में है। आप इसे छोड

(श्री मुरलीधर व्यास)

दीजिये, यहां शहर में देखिये इधर-उधर सरकारी गाडियां खडी रहती हैं, होटलों के पास दूसरी दुकानों के सामने खडी रहती हैं, सामान खरीदने आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): टमाटर, कद्दू खरीदने आती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास :—तो होम मिनिस्टर साहब को इसे देखना चाहिये कि गाडियों का मिसयूज न हो, पैट्रोल, गाडियों वगैरह के बारे में सख्ती से काम लेना चाहिये। एमर्जेन्सी के टाइम में ५ के बजाय साढे पांच का समय कर दिया, शनिवार भी वर्किंग डे कर दिया तो इनको भी स्पेशल पे दीजिये।

तो ऐसे खर्चों को कट-आउट करना चाहिए और नये रास्ते निकाल कर बजट को ठीक करना चाहिये। यह बजट सही माने में समाजवादी बजट नहीं है, ठीक है काम चलाने के लिये बना दिया, वित्तीय स्थिति को सम्हालने की कोशिश की पर आपका बजट हमें आगे बढा देगा ऐसी बात नहीं है। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट आपका प्रचार कर देगा जिस पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट में बहुत घोटाले हैं। गृह मंत्रीजी ने सुरक्षा के मामले में फोटोज लगाये हैं। वहां मिनिस्टरों के फोटोज हैं, मुख्य मंत्रीजी की पत्नी सिलाई की मशीन ले कर बैठी हैं····

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मुझे तो पता ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप चाहते क्या हैं, फोटो उठवा दें वहां से ?

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह के फोटोज लगाने चाहिये जिससे पता चले कि किस स्थान पर शैतानसिंह लडा, कहां मारा गया ? श्री शैतानसिंह के फोटोज वहां नहीं हैं····

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत बात है, उनके एक ही नहीं ४ फोटोज हैं। उनके प्रोसेशन का फोटो है। इतने बडे फोटो हैं, माननीय सदस्य ने शायद देखे नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक एक फोटो देखा है, प्रोसेशन का फोटो है जो जोधपुर में निकला था, उसमें उनका चेहरा नहीं दिखता है, फूलों से ढका है।

पब्लिसिटी का पहले ५ लाख का खर्चा था, अब ४० लाख हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर: पब्लिक रिलेशन का ४० लाख का कहां है, मुझे ४० लाख की ग्रान्ट दिलवा दें।

श्री मुरलीधर व्यास: ५ लाख से २५ लाख हो गया है। पी. ए. सी. की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि ५ लाख से खर्चा बढ रहा है इसको कम करना चाहिये, पर आपका इस ओर ख्याल ही नहीं है। पढ कर सुनाऊं क्या आपको ?

श्री मथुरादास माथुर :—यह विभाग मेरे चार्ज में है, पी. ए. सी. की रिपोर्ट क्या सुनायेंगे ? आपने तो ४० लाख का कहा था।

श्री मुरलीधर व्यास: सूचना प्रसार वगैरह इसमें नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष: (Order ! Order Please!!) पर्सनल बातें नहीं होनी चहिये। आप भाषण जारी रखें।

श्री **मुरलीधर व्यास**: तो अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे मैंने रक्खे हैं उन पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष , आज सुवह से बजट पर विपक्ष के नेता ने, जनसंघ के नेता ने और पी. एस. पी. के नेता ने विचार रखे । विचारों में उन्होंने खास कर के एक बात पर जोर दिया कि यह बजट ही सही नहीं गलत है और खास कर इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों को आहत करने के लिये बजट लाई है । मैं सुन रहा था, बहुत ही दृष्टिकोणों से सोच रहा था कि आज उधर बैठने वाले अपना कल का इतिहास भूल गये हैं । क्या वे सचमुच किसानों के साथ हमदर्दी करने वाले हैं या मगरमच्छ के आंसू डालने वाले हैं । उस अपने पुराने इतिहास को भूल कर, जनतन्त्र आने के बाद, जो जनसंघ के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं वे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि किसानों के हमदर्द अगर कोई हैं तो वे ही हैं ।

जब छठे बांटे का कानून इस हाउस में पास कर रहे थे तो उन्होंने विरोध किया था टिनेन्सी कानून इस हाउस में पास किया था, जागीरदारों के अधिकार कम कर के काश्तकारों को देने का तय किया था तो इन्होंने इसका विरोध किया था । इसी हाउस में जागीर रिजम्प्शन का कानून पास कर रहे थे, जागीरदारों का कम मुआवजा पास कर रहे थे तो उन्होंने वाक आउट किया था । आज जिसकी एक पीढी ने नहीं पीढी दर पीढी से, एक दो वर्ष से नहीं हजारों वर्षों तक राजस्थान के किसानों का शोषण किया है, शोषण ही नहीं मैं तो कहूंगा कि उन्होंने पाप किया है जिससे कि राजस्थान पीछे रहा है । आज वात की जाती है कि बंगाल आगे बढा हुआ है, पंजाव आगे बढा हुआ है, उनके मुकाबले में राजस्थान पिछडा हुआ है । मैं पूछता हूं राजस्थान को पिछडा रखने का पाप किसने किया है ? इस पाप के करने वाले ही अब किसानों के हमदर्द बन रहे हैं ।

इतिहास कहता है कि जिन लोगों ने राजस्थान की बडी भूमि को गरीब रखा किसानों को तोड कर मार कर रखा, लैंड रेवेन्यू के अलग अलग कानूनों से राजस्थान को पिछडा हुआ रखा, वे ही आज किसानों के हमदर्द वनते हैं । मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि किसानों की हमदर्दी कांग्रेस ने की है । कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जिसने किसानों को उनके खेतों का मालिक बनाया है ......

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : खुद जमीन लेकर किसान बन गये ।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय राज्यपाल के भाषण के उपलक्ष में धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस के समय मैंने बताया था कि आज भी उनके घरों में दरोगे दरोगणियां हैं, वे किसानों के बारे में बोलने का क्या हक रखते हैं । किसानों को इन्सानियत दी है कांग्रेस ने, यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी । वे कांग्रेस पर जिस तरह से बात कर रहे थे उससे मुझे दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था । इतिहास मिटाया नहीं जा सकता । गांवों के रहने वाले भूले नहीं हैं , आज भी कहते हैं, गांवों के किसानों और मजदूरों को याद आती है बैठ वैगार की कि किस तरह उनको जबरदस्ती काम करना पडता था । तो जो किसानों के प्रति हमदर्दी जाहिर की गई वह सचमुच में हमदर्दी नहीं, मगरमच्छ के आंसू हैं । उनकी बातें सुनते समय मुझे यह विचार आया कि ये क्या चाहते हैं । जब उन्होंने कहा कि इन्डस्ट्रीज पर एक पैसा

(श्री मोतीलाल चौधरी)

टैक्स लगाया गया है, वह इन्डस्ट्रीज डेवलप-मेन्ट के लिये नुकसान करेगा तो मैं उनके भाषण का सारा मतलब समझ गया।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : परिश्रम कर क्या है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय सदस्य शान्ति से सुनें, वे बोलते हैं तब हम तो डिस्टर्ब नहीं करते।

पिछले १० सालों में जो टैक्स लगे हैं और इस साल कुछ टैक्स सरकार ने रखे हैं वे उचित नहीं हैं। मैं भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले १० सालों में जो कानून बनाये हैं, जो टैक्स लगाये हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसी तरह की कोशिश करती रहे। इस प्रकार के टैक्स नहीं लायें जिनसे कि मजदूर और किसान कमजोर पड़ें।

यदि मैं समाजवाद के ढांचे को देखूं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे सामने वे बातें आनी चाहियें। यूरोप के किसी भी कन्ट्री का उदाहरण देंगे तो हम गलती करेंगे। जर्मनी का १० प्रतिशत है। वहां का किसान मिल मालिक के रूप में चलता है। यदि वहां के दृष्टिकोण को, टैक्सेज के दृष्टिकोण को यहां लगाना चाहते हैं तो यह बड़ी भारी गलती होगी। यह आर्थिक गलती होगी, राजनैतिक गलती होगी और सामाजिक गलती होगी। तीन मुख्य चीजों पर समाज चलता है। कोई मजदूर हो, गांव का रहने वाला किसान हो, उसकी इकोनोमी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इस प्रकार आपके द्वारा डाले गये बोझे को उठा सके। आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखें। देश की इकोनोमिक कन्डीशन्स का सर्वे किया है। सन् १९५९।६० की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। देखिये किसान की हालत क्या है ? उसने साबित किया है कि एक किसान को कोऑपरेटिव से लोन दिया गया है तो उसको टोटल यील्ड का १० परसेन्ट मिलता है। इन्ट्रेस्ट जरूर बेलेन्स करते हैं। पूर्ति नहीं करते हैं। मनीलैन्डर के आगे ही हाथ पसारना पड़ता है। प्रोडेक्शन के जरिये इन्वेस्टमेन्ट का भी किसान को पूरा रिटर्न नहीं मिलता है। आप कहते हैं किसान की स्थिति अच्छी हो गई है इसलिए टैक्स लगाना चाहिये। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि उस बोझ को न लादा जाय। यह किसान इसको नहीं सहन कर सकेगा, इसको उठा नहीं सकेगा। मैं विरोधी पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि आवश्यक और जो किसान के हित की बात हो वह उनको करना चाहिये, कांग्रेस पार्टी उसको जरूर स्वीकार करेगी। जब ६ठे बांटे का कानून पास किया जा रहा था तो उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि ८ वें, १० वें बांटे तक इसको ले जावेंगे और धीरे-धीरे लैण्ड रेवेन्यू कम कर देंगे। लेकिन उस स्टेज को देखें जो शंका होती है, दुख होता है और संदेह होता है। दुख इसलिए होता है कि आज हम कहां जा रहे हैं। समाजवाद में तो उल्टे टैक्स कम होने चाहियें चाहे कम्यु-निस्ट तरीका हो, चाहे डेमोक्रेटिक तरीका हो चाहे ओटोक्रेटिक तरीका हो। नोन टैक्स रेवेन्यू अधिक बढ़ायेंगे तब ही समाज-वाद होगा।

मैंने ख्रुश्चेव का भाषण पढ़ा। उनका कहना है कि २५ वर्ष के राज्य के बाद भी नोनटैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर ही देश को चलाना पड़ेगा। टैक्सों को कम करके नोन रेवेन्यू के टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने जो टैक्स

(श्री मोतीलाल चौधरी)

लगाये हैं मैंने उनको देखा है। यदि उसके साथ आप कोई प्रोग्राम देते कि इसके साथ किसानों के लिए यह प्रोग्राम है तो जनता उसको स्वीकार करती। इन्डस्ट्री के लिए यह प्रोग्राम है। कुछ तो संकेत मिलता। केवल यह बता दिया कि इतने टैक्स लगेंगे। सारा प्लान पढा है। राज्यपाल महोदय के भाषण को भी पढा है। जहां आपने इकोनोमी की बात कही तो खर्चा बढ़ा दिया। जिससे टैक्स लेने जा रहे हो, उसे कुछ दे भी रहे हो? वित्त मंत्रीजी का भाषण बडा शुगर कोटेड भाषण था। तीखी गोली थी। वह अहिस्ता आहिस्ता हजम नहीं हो रही है। मैं वित्त मंत्री से कहुंगा कि आपने अपने भाषण में बताया कि ४.५ करोड के टैक्स लगायेंगे। कहां लगायेंगे? म्युनिसिपलटीज में देंगे जो कि ८ आना गज जमीन देगी। ९० परसेन्ट स्टेट वाटर वर्क्स में जावेगा, शहरों में ९० लाख रुपया। अजमेर की स्कीम में करोड-डेढ-करोड लगावेंगे, ८ करोड जयपुर में। सारे राजस्थान की जनता को आप२० लाख रुपया देना चाहते हैं। जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नही है। नोन-प्रोडेक्शन जिसका बैटरमेन्ट बढ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाया।

वैस्टर्न कमान्ड का जयपुर में आने का हुआ तो रातों रात बनीपार्क की जमीन की कीमत पांच सौ रुपया हो गई। रातों रात कहा गया कि वह नहीं आ रहा है तो कीमत गिर गयी। एक बीघे की बीघोडी का २०) २५), और १) की रेट पर ४ हजार रुपया यहां जमीन का होता है। जो लोग गरीब हैं, हरिजन हैं उनको मुफ्त में जमीन दीजिये। उनके ऊपर टैक्स लगाइये जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से २, २।।) रु० में जमीन लेकर उसके २५) रु०, ३० फीट के हिसाब से वसूल करते हैं। आबादी बढाना चाहते हैं, लैण्ड एक्वायर कीजिये। प्लान्ड वे में कीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं पिछले तीन चार साल से कह रहा हूं कि इन्डस्ट्रीज को डीसेन्ट्रलाइज कीजिये। गांवों में भेजिये। जयपुर में ही रखना चाहते हैं। वेस्टर्न कमान्ड भी यहां आवेगा। पोकेट्स बनाइये। डेवलपमेन्ट किसी पाकेट् को किया जाता है। राजाओं के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड का डेवलप्मेन्ट हुआ था। गांवों में रहने वाले शहरों में लगाते हैं। शहरों में रहने वाले प्रिविलेज्ड क्लास के लोग होते हैं। रूरल और अर्बन की लडाई का तरीका आपने अपनाने की कोशिश की है इस बजट के द्वारा। यदि इसको पढते हैं तो गांव के आदमी कहते हैं कि शहरों को पनपाने के लिए आप गांवों पर टैक्स लगाते हैं। यदि आप इसको लगाते हैं तो यहां नहीं रह सकते। महरबानी करके, भगवान के नाम पर शहर और गांव वालों को लडाने की कोशिश मत कीजिये। गांवों को आप बैकवर्ड मत रखिये। दोनों का आप डेवपम्मेन्ट नहीं करेंगे तो यह समस्या बराबर आयेगी। आज स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग गांवों का अलग है और शहरों का अलग है, दोनों में बडी विषमता बढ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ टैक्स इन्सिडेन्स के बारे में अर्ज करना चाहूंगा।

मैं, बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाज को

(श्री मोतीलाल चौधरी)
हम प्रोडक्शन बढाने के लिये कहते हैं, आज उस समाज के लोग ८० प्रतिशत हैं जो गांवों में रहते हैं। चाहे वे किसान हों या मजदूर हों या छोटे व्यापारी हों। उनकी इन्कम हम देखते हैं तो शहरों के रहने वालों की इन्कम से उसमें बहुत फर्क है। इमरजेन्सी के अन्दर जहां हम प्रोडक्शन बढाने को कहते हैं, दूसरी तरफ हम जमीन पर टैक्स बढा रहे हैं, सेस के रूप में वसूल करना चाहते हैं यह कहां का न्याय है। लैंड रेवेन्यू बढाते तो भी यही मामला होता लेन्ड की वेल्यू नहीं बढी इस कारण उसको उस पर लोन नहीं मिलता। इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने कम्पलसरी सेविंग का भी प्रावधान रख दिया, वह पचास परसेन्ट हैं। आप अपने आइ. ए. एस. अधिकारियों को जिनको आप बडी बडी तनख्वाह देते हैं उन पर कम्पलसरी सेविंग के लिये जोर नहीं डालते, जिनको स्पेशल पे मिलती है उन पर आपने कोई कम्पलसरी बचाने की रोक नहीं रक्खी किसानों पर यह लागू कर दिया। हालां कि यह पार्लियामेन्ट के सोचने की बात है, यह जो कम्पलसरी सेविंग के लिये कहा जारहा है वह लेन्ड रेवेन्यू के छटे बांटे पर नहीं होगा, यह सरकार की घोषित नीति है, छटे बांटे के आधार पर १।६ लैंड रेवेन्यू लगेगा। इसी आधार पर जागीरदारों को कम्पनसेशन दिया है, मुआवजा लेने का ज्यादा अधिकार दिया है। अगर यह मुआवजे में लगाया जाता तो मुआवजा आधा मिलता। चौथाई बांटे पर, तीसरे बांटे पर मुआवजा मिला है। दूसरे बांटे पर भी मिला है। सैटलमेन्ट रेट्स के आधार पर कम्पनसेशन मिला है। एक तो यह नुकसान हुआ काश्तकारों को और दूसरा गवर्नमेन्ट के एक्सचेकर पर कम्पनसेशन का ज्यादा बोझ बढा। जोधपुर रियासत में जो जागीरदार थे वहां पर जो लैंड रेवेन्यू था वह ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के समय के लैंड रेवेन्यू से चौगुना है। वहां का सेटलमेन्ट सिस्टम भी गलत था वहां प्रोडक्शन के बेसिस पर कम्पनसेशन नहीं दिया गया। जागीरदार की इन्कम को आधार माना गया था जिसमें उनके मर्जी के टैक्स जो सदियों से वे लगाते आरहे थे, घोडे पर टैक्स था इस तरह से सब टैक्स इन्क्लूड करके जो आमदनी उनको होती थी उसके आधार पर कम्पनसेशन दिया गया। इस तरह छटे बांटे का कानून एक तरफ रह गया। इस तरह से कम्पनसेशन उनको ज्यादा देना पडा इसके अलावा एक कारण यह भी है कि जितने भी जागीर कमीश्नर के पद पर लोग रहे हैं वे जागीरदार ही रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि किसी भी जागीरदार को जागीर कमीश्नर नहीं बनायें। आज यदि हम कहते हैं कि किसी किसान को एग्रीकल्चर का डाइरेक्टर बनाया जाय तो वह बना नहीं सकते किसानों को रिलीफ देने के लिये यह नहीं कर सकते लेकिन जागीरदारों को कम्पनसेशन देने का सवाल आता है तो जागीरदार को जागीर कमीश्नर के पद पर आप रखते हैं ताकि उनको कम्पनसेशन ज्यादा मिले। केवल बडे जागीरदारों के लिये यह व्यवस्था है। जहां तक छोटे जागीरदारों का का ताल्लुक है उसके लिये कलेक्टर्स को पावर्स दे रखे हैं। छोटे जागीरदारों के लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं जितने भी जागीर कमीश्नर्स हुए हैं सब जागीरदार थे सैटलमेन्ट कमीश्नर भी आप देख लीजिये ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : छोटे और बडे जागीरदार अलग अलग हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिह : उन जागीरदारों की संख्या नये जागीरदारों से कम ही रहेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अब तो सिर्फ खातेदार ही हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : अगर मैं भैरों सिंहजी को जागीरदार कहूंगा तो शायद वे बुरा मानेंगे।

श्री भैरोंसिह : आप कहें तो बहुत अच्छा है आप भी मेरे जैसे जागीरदार बन जायं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाऊं कि ऐसे जागीरदार भी हैं जिनको कम्पनसेशन दो-दो बार मिला है जिनके पास एक बीघा जमीन थी उनको खुदकाश्त के नाम से २५ बीघा जमीन मिली है। चून्दडी बांट पर जिनके पास एक बीघा जमीन थी उनको २५ बीघा जमीन मिली है।

श्री भैरोंसिह : आपके एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं तो यह कह रहा था कि जागीरदारों को कम्पनसेशन के रूप में डबल चुकारा किया गया। एक बार तो छटे बांटे के आधार पर आप लेन्ड रैवेन्यू फिक्स नहीं करते ....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : जिस वक्त यह कानून पास हुवा था उस समय आप भी क्या इस सदन के सदस्य थे ?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : सदस्य भी थे और इन्होंने वोट भी दिया था।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैं तो शुरू से इस सदन का सदस्य हूं। मैं वित्त मंत्री महोदय की तरह हारा नहीं हूं। मुझे और श्री मोहनलाल सुखाडिया को यह सौभाग्य है कि हम दोनों बराबर इस सदन के सदस्य होते आये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं तो माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त जिस समय यह एक्ट पास हुआ था क्या आप भी इस सदन के मेम्बर थे ? आप जीतकर आये होंगे तभी तो मेम्बर होंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैं व्यक्तिगत बातें सदन में रखना नहीं चाहता। मेरा दस साल का यह रवैया रहा है कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता और न किसी के कैरेक्टर पर ही आरोप करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय पूजनीय हैं, वयस्क हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं वित्त मंत्री के रूप से और वयस्क होने के नाते भी।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून पास हुआ उस समय मैं भी था, लेकिन जहां तक पैसे देने का सवाल है वह ट्रेजरी से जाता है और उस पर वित्त मंत्री महोदय का कन्ट्रोल रहता है, हाउस के मेम्बर के हाथ में नहीं है। अब भी मेरा आपसे निवेदन है कि जागीरदारों के कम्पनसेशन का सवाल है उसके लिये भगवान के लिये आप किसी जागीरदार को जागीर कमिश्नर न बनायें। आप इन्क्वायरी कर लीजिये जागीर के केसेज में ५० प्रतिशत से ऊपर आपको गडबडियां नजर आयेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ऐसा हुआ है। जागीर एडवाईजर्स ने मिलकर गडबडियां की हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जागीर एडवाइजर्स कितनी गडबडियां की हैं, उनके नाम बतादें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे यदि बीच में बोलना चाहें तो उनको पोइन्ट ऑफ आर्डर या पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन कह कर उठें; अन्यथा इस प्रकार बीच-बीच में खडे होकर बोलने से सदन की कार्यवाही बिल्कुल अनर्गल हो जाती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता था कि जागीरदारों को उनकी लिमिटेशन से अधिक मुआवजा दिया गया ....

श्री भैरोंसिंह : नाम बताइये।

श्री मोतीलाल चौधरी : यहां तक देखा गया है कि जागीरदारों ने मुआवजा लेने की गरज से गोचर भूमि को भी इन्क्लूड कर दिया और उस पर उनको मुआवजा मिला है। आप किसी की भी फाइल उठाकर देख लीजिये।

श्री छतरसिंह (आहोर) : गोचर भूमि पर किसी को मुआवजा नहीं मिला।

श्री मोतीलाल चौधरी : १।६ के आधार पर जो सेटलमेंट रेट फिक्स की। अगर यह सैटलमेन्ट नहीं करते तो ओल्ड सैटलमेन्ट की रेट देनी पडती जो १।३ के हिसाब से बनी हुई है और इससे सरकार को चार करोड रुपया बच जाता। मैथेमैटिकल केलक्यूलेशन से आप इसे निकाल सकते हैं यह चार करोड का भार तो गरीब लोगों के सर पर टैक्स के रूप में नहीं पडता।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। केवल तीन टैक्सों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और इसलिये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये टैक्स लगाते हैं तो लोग सोचेंगे कि कांग्रेस वाले जो कहते थे कि खानेपीने पर टैक्स लगावेंगे नहीं तो इससे कांग्रेस के कथन के विपरीत प्रमाण हो जावेगा।

इसलिये इन तीन चीजों पर टैक्स नहीं लगाने के लिये मैं पुरजोर निवेदन करूंगा। मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीन टैक्सों का असर आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक-सामाजिक मिलाकर राजनैतिक इन तीन आधारों पर पडेगा। तो वे तीन टैक्स हैं लैण्ड सैस, पशुओं पर टैक्स और खाद्य पदार्थों पर टैक्स।

आप इन तीन पर टैक्स न लगावें। बाकी क्षेत्र बहुत पडा है टैक्स लगाने के लिये।

अब अगर आप इकोनामी करना चाहें तो इससे भी काफी बचत आपकी हो सकती है। मैं एक-एक सीधा बताऊं। इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट को लीजिये। एक्सपेरिमेन्ट काफी किया गया, उसमें अधिक सफलता नहीं मिली। इसे इतना नहीं किया जावे। इन्डस्ट्रियल सर्वे सारा फेल हुआ। उसके आंकडे तक अभी नहीं आये। खर्चा व्यर्थ गया। चीफ सेक्रेटरी इसके इन्चार्ज थे। वे भी फेल हुए। यह तो हमारे यहां एफीसियेन्सी है सरकारी अफसरों की।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं आपके। भैरोंसिंहजी इसके बारे में कह रहे थे, मैं भी उनसे सहमत हूं। आपके इन्डस्ट्रियल एस्टेट् फेल हैं। सरकार के कोई बडे अधिकारी अगर इसके विपरीत मुझे कुछ बता दें तो मैं हार मान सकता हूं। हर पोइन्ट से ये फेल हुए। प्रोडेक्शन के लिहाज से, एम्पलोयमेन्ट के लिहाज से। यहां की गरीबी कम नहीं हुई। बाहर के ८० परसेन्ट लोग इनमें बाहर से आये। हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेट एक कोऑपरेटिव युनिट होती है। युनीटरी गवर्नमेन्ट में अपनी अपनी स्टेट और

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अपनी अपनी जनता का लाभ देखा जाता है उसके आर्थिक विकास के लिये काम करें। आपको देखना चाहिये कि स्टेट के लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिलता है या नहीं। उनको शिक्षा और हैल्थ की मदद मिल रही है या नहीं। जिसमें ८० परसेन्ट बाहर से आये तो हमारे यहां का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट क्या हुआ ? अनएम्पलोयमेन्ट तो हमारा वैसा का वैसा ही रहा। इसी तरह कोटा में देखिये। मैनेजर और लेबर तक बाहर से आये हैं। रोडवेज लीजिये। बाहर से आये हैं। खलासी और कन्डक्टर तक बाहर से यू. पी. से आये हैं। राजस्थान में लोग रिक्शा चलाते हैं। तो जो भी अफसर जिस किसी विभाग में बाहर से आया अपने साथ लोगों की एक फौज ले आया। पंजाबी आया तो पंजाबी भर दिये सब, मद्रासी आया तो उस विभाग में बहुत से मद्रासियों को ले लिया। यू. पी. से कोई अधिकारी आया तो यू. पी. वालों को ले आया साथ में। यह कोई तरीका है ? विधान की तरफ से हम रोक नहीं लगा सकते। यह सही है पर टैक्स हम देते हैं, पैसा हम देते हैं, जब टैक्स आप लगाते हैं तो सारा बोझा यहां राजस्थानियों पर पडता है पर जब एम्पलोयमेन्ट का सवाल आता है तो बाहर के लोग आगे आ जाते हैं। जयपुर शहर के बाहर कई बस्तियें बस गई जयपुर की गलियों के आदमियों को बाहर प्लोट नहीं मिले और बाहर के आदमियों को मिलगये, राजस्थान के आदमी को मिले, आपत्ति नहीं, बाहर के आदमी को मिलता है तो यहां का आदमी कहां जावेगा। राजस्थानी को जमीन नहीं मिलती और रहने को मकान नहीं मिलता राजस्थान में और बाहर वालों को मिल जाता है तो पहली प्रायोरिटी विधान के दृष्टिकोण से भी राजस्थानी को राजस्थान में मिलनी चाहिये।

इसी तरह से एनीमल हस्बेन्डरी के बारे में बताऊं। जो विकास राजस्थान के पशुओं का होना चाहिये, नहीं हुआ। बकरियों के डेवलपमेन्ट पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया। मिल्क के डेवलपमेन्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बस्सी का कैटल फार्म, नागौर का रिसर्च फार्म है पर एक गाय नमूने की वहां नहीं तैयार हो सकी। यह तो आपकी हालत है। आप देखलें। आपकी गवर्नमेन्ट की चीज, गवर्नमेन्ट जिसकी मालिक। उसका बजट गायब हो गया, गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं। मैं उदाहरण दूं इसका। एक गौशाला है भरतपुर जिला के कामां में। सन् ५६ तक सरकार ने उसको चलाया, बजट बाद में उसका गायब होगया। कौन मालिक है उसका इसका भी पता नहीं सन् ६० में गौशाला दान में दे दी। ३ लाख की स्कीम बना दी। आप सारे कागज उठाकर देख लें। यह है आपके डेवलपमेन्ट की हालत। कैटल इम्प्रूवमेन्ट में दो ही सेन्टर आपको मिले अलवर और भरतपुर में। राजस्थान में मानो ये दो ही जगह हैं और जगह तो रही नहीं।

यही हाल है आपकी भेड की नस्ल का। चाकला जैसलमेर मारवाड जो भेडों के लिये मशहूर हैं, वहां आप केन्द्र खोलेंगें नहीं, मालपुरा में ब्रीड प्रोडेक्शन का सेन्टर खोलोगे। इस तरह का आपका रवैया है। आपका पैसा इसमें फिजूल खर्च हो रहा है इधर आप टैक्स लगा रहे हैं बाजरी, मक्की पर। समय कम है। इसलिये मैं थोडे में ही कहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, बाजरा, जवार, मक्का को माफ करेंगे आप अगर मैं यह कहूं कि दुनियां में इनको कहीं

(श्री मोतीलाल चौधरी)
खाद्य पदार्थों में सीरियल्स में नहीं गिना है । अगर हो तो या वो वित्त मन्त्रीजी पोलिटिक्स छोड दें या मैं । इन्टर नेशनल एक्सपर्टों ने खाद्य वालों ने कहा है कि बाजरा, ज्वार, मक्का खाना नहीं चाहिये पर यहां तो खाने को कुछ और मिलता नहीं, इसलिये मजबूर होकर खाते हैं । आप उन पर भी टैक्स लगाते हैं । इनकी फूड वेल्यू इन्टर नेशनल फूड एक्सपर्टों ने नहीं मानी है । जो गरीब बाजरा, मक्का ज्वार से पेट भरता है उसके पेट पर आपने टैक्स लगा दिया । ठीक है आप टैक्स लगा रहे हैं । ऐसा लगता है समाजवाद पर से आपका विश्वास हट रहा है । कहीं वित्त मन्त्रीजी वित्तमन्त्री बनने के बाद में कांग्रेस में रह कर समाजवाद का विरोध तो नहीं कर रहे हैं । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्लान्ड पोलिसी को एग्जीक्यूट करने के टाइम में इनसे खतरा है । ध्यान रखना चाहिये । कहीं लोग कांग्रेस के ही अन्दर रह कर इसे फैल न कर दें । आपके टैक्टिक्स से ऐसा लगता है कि कहीं आप स्वतन्त्र पार्टी से मिल कर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं । मैं कांग्रेस के दृष्टिकोण से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीन टैक्सों को आप न लगावें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इकोनामी अपने खर्चे में करके पैसा बचाइये । आपको जरूरत ही नहीं पडेगी इन पर टैक्स लगाने की । समय कम है इसलिये दो ही बातें कहना चाहूंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप पोइन्ट आफ आर्डर तो बोलियेगा । चेयर की रूलिंग के खिलाफ बिना पोइन्ट आफ आर्डर रेज किये कैसे बोलने खड़े हो रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोइन्ट आफ आर्डर से ही तो बोल रहा हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पोइन्ट आफ आर्डर से ही बोलिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : With due reference to the Hon'ble Member, माननीय मेम्बर का सम्मान रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कहा गया कि कोई दूसरा दृष्टिकोण लेकर अन्दर दाखिल तो नहीं हो गये हैं, यह उनका कहना सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है ; इसलिये मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि यह मोटिव इम्प्यूट किया गया है वित्त मन्त्री महोदय पर । तो इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से हटाया जाना चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा कोई मोटिव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: I hope Hon'ble Member will keep in view all such inferences.

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने तो उपाध्यक्ष महोदय सच्ची बात कही है । यह तो उनका तरीका है आपस में लडाने का ।

श्री भैरोंसिंह: On a point of Order, Sir..

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मन्त्रीजी ने जो यह कहा कि वित्त मन्त्री जी पर मोटिव इम्प्यूट किया गया है, मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि मैं माननीय उप-मन्त्रीजी के कथन से सहमत हूं। ये वर्ड्स प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिये जाने चाहिये। फिर उन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वे आपस में लडाते हैं। यह बहुत बुरा इल्जाम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य :— Point of clarification, Sir, क्योंकि यह मोटिव अपना मुझ पर लगा रहे हैं तो मैंने कहा कि उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर एक डाइरेक्शन दी है उससे यह दृष्टिगत होता है कि जो आपने एक धारणा बनाई आधारहीन वह तो वहीं निरस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो माननीय सदस्य ने कहा है, जो फरमाया है कि आपको मोटिव लगाने का प्रयास है वह इससे निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो साबित कीजिए कि आप आपस में लडाते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि अपने भाषण के दौरान में कोई मोटिव इम्प्यूट न करें अथवा कोई व्यक्तिगत बात न कहें जोकि भाषण से बिल्कुल अलहदा होकर ओब्जेक्शनेबल भी हो सकती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप टैक्स नहीं लगाकर भी ४ करोड के बजाय ८ करोड की इकोनोमी कर सकते हैं यह मैं बताता हूं। जब आपने फैसला कर लिया विकेन्द्रीकरण का तो हम उसके साथ में हैं। जैसे आपने ब्लौक के हैडक्वार्टर्स पर बी. डी. ओ., एक आर. ए. एस. ओफिसर को लगाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्लॉक का हैडक्वार्टर होने के साथ साथ तहसील क्यों ? २३२ हमारे ब्लॉक्स हैं और उसके साथ साथ तहसीलें भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कि ब्लॉक्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स किस बात के ? यह डुएल सिस्टम है। फिर इसके अलावा जयपुर में आई. ए. एस. कलेक्टर है और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी आई. ए. एस. कलेक्टर। यहां पर आई. पी. एस. तो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आई. पी. एस.। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेन्ट की हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट है कि आप १६ डिस्ट्रिक्ट्स बनाये, इससे १ करोड का फायदा होगा। उसी हिसाब से तहसीलों को कम कीजिये उसमें २ करोड का फायदा होगा। इसी तरह से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तीन साल पहले कहा कि आप जो ५ परसेंट लेते हैं उनको आप खत्म कीजिये, इससे आपकी ७० लाख की बचत हो सकती है। इस तरह से १ करोड की बचत एक, २ करोड की बचत दूसरी और ७० लाख की बचत एक और तीन करोड ७० लाख तो वैसे ही बचत हो गयी।

इसके अलावा, मैं एक मुद्दे की बात और बताता हूं कि राजस्थान में पालिसी मेकिंग का काम तो केबीनेट करती है तो फिर सेक्रेटरी किस बात के हैं ? हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट और सेक्रेटरी एक होने चाहिए। आपने इसको करके भी देखा है और उसमें आप कामयाब भी हुए हैं। जन-विकास और डेवलपमेन्ट का सेक्रेटरी एक है, वह वही काम कर रहा है। वही डिपार्टमेन्ट का हैड है और वही सेक्रेटरी है। तो विकास का इतना बडा

Page No 89

(श्री मोतीलाल चौधरी)।

काम है जिससे हमारे फ्यूचर का डेवलपमेन्ट होने वाला है, यहां तो एक किया है और बाकी जगह लोकल सेल्फ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, लेबर डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी अलग अलग क्यों रखे हैं। लेबर कमिश्नर तो रहेगा सुपर स्केल का और सेक्रेटरी रहेगा आई. ए. एस. जूनियर स्केल का। कहीं देखा है सीनियर आदमी के ऊपर जूनियर का हुक्म। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्रेट्रीयेट में तीन सेक्रेट्री होने चाहिये एक तो केबीनेट सेक्रेटरी दूसरा अपोइन्टमेन्ट सेक्रेट्री और तीसरा फाइनेन्स सेक्रेट्री। बाकी के सब हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट और सेक्रेट्री एक कर दिये जायें। हिन्दुस्तान के बडे बडे लोगों ने, अच्छी अच्छी आथोरिटीज ने और अच्छे अच्छे राइटर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने माना है कि दोनों चीजें एक साथ रखना डयूअल सिस्टम है। ....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : एक दो के नाम बता दीजिये जरा।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं समय के अभाव में इसमें नहीं जा सकता। बाद में बता दूंगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट और सेक्रेटरी एक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कहना है कि जो आप मीडियम टर्म लोन देते हैं वह इस आधार पर दें कि कहां एक्चुअली प्रोडक्शन ज्यादा बढता है। आप बिजली के दृष्टिकोण से देखिये हर दृष्टिकोण से देखिये कि इकोनोमी करने की गुंजाइश है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि लैण्ड के ऊपर जो सैस लगाया है उसको छोड दें, खाद्य पदार्थों के ऊपर लगाया है उसको भी हटा दें और पशुओं के ऊपर लगाया है जो पशु बोलते नहीं हैं। ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यानी बोलना शुरु करेंगे तब लगाया जाये।

श्री मोतीलाल चौधरी : तो उसके ऊपर टैक्स मत लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बजट के ऊपर पहले दिन की बहस सुनने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जिस लोजिक से अपने केस को पेश किया और कांग्रेस की बेन्चेज से मेरे माननीय सदस्यों के सारे आरग्यूमेन्ट्स को रिफ्यूट (काट) करते हुए कहा कि वह कृषकों की नुमाइन्दगी नहीं कर सकते। मैं समझता था कि कांग्रेस टैक्स के बारे में चुप क्यों है। पिछले जनरल इलेक्शन के बाद सारे राजस्थान में एक स्टार्म पैदा हुआ और पार्टी में स्ट्रगल्स पैदा हुए और इस बात को लेकर सारे राजस्थान में तूफान पैदा हो गया। मैं समझता था कि ऐसे वक्त में किसानों की नुमाइन्दगी किसानों की पैरवी करने वाले बजट प्रपोजल्स में अब तक ऐसे टैक्स लगायें। चुप चाप मुझे कुछ जानकारी हुई कि इसमें कुछ जिन्दगी है और ये कुछ लडेंगे इस बात पर।

मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि जिस दिन हमारे वित्त-मंत्री ने बजट पेश किया अपने गैलप और Glamour के साथ वह आये, अपनी चाल के साथ, दमक के साथ आये और जिस समय उन्होंने अपना पैंडोरा (Pandaro Box) बाक्स खोला तो

(श्री केदारनाथ)

मुझे ख्याल था कि नेशनल इमरजेन्सी के समय जो राजस्थान ने शानदार भूमिका अदा की है और मजदूरों ने कारखानों में खड़े होकर, खलियानों में खड़े हुए किसानों ने और शहरों के लोगों ने जो बलिदान किया मैं समझता था कि यह सब कोई असर लायेगा लेकिन मैं देखता हूं कि यह बजट एन्टी-डेमोक्रेटिक है, एन्टी किसान है, एन्टी पीपुल्स है। मैं समझता था कि पैंडोरा बाक्स में से फेयरीज निकलेंगी लेकिन निकली क्या फ्यूरीज कांग्रेस ने सोचा कि इन (Taxes) से राजस्थान में Right reaction और Left Adventure) समाप्त हो जावेगा। परन्तु इसमें सबसे पहले लपेट में लिया कांग्रेस के लोगों को मैं समझता हूं कि अगर आप जिन्दा रहना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेन्ट और स्टेबल बने। हम चाहते हैं कि राजस्थान का कन्ट्रोल आपके हाथों में हो जिस पार्टी के प्रश्न को लेकर आप पंडित नेहरू तक गये और आपने फैसला माना माथुर साहब आपकी भी पार्टी में रहे और मिस्टर कौल आप बैलेन्स रखने के लिये वहां रहें तो यह राजस्थान की जनता का सवाल है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है। राजस्थान के विकास का सवाल है और मेरी किसानों की नुमाइन्दगी करने वाले लोगों से प्रार्थना है कि आप इस मसले पर कभी मत चूकिये वरना सारा राजस्थान डूब जायेगा। और आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा और आने वाला वक्त आपको याद आयेगा कि आपकी बेन्चेज खाली मिलेंगी और यह बेन्चेज भरी मिलेंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस समय अगर अन्त में यह टैक्सेज स्वीकार करने भी पड़ें तो उस समय आपकी आंखों में आंसू और दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। यह उलझन है दिमाग में और मेरा शक है क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, कनवेसिंग होगी, सरकार की तरफ से इधर उधर की बातें आयेंगी। कांग्रेस की प्रेस्टिज का सवाल आयेगा, क्या क्या बातें होंगी, ऐसे ऐसे फोरमुलाज चलेंगे सवाल पैदा होंगे कि सारी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं पिन्डोराज बोक्स की बात कह रहा था। लेकिन एक बात बजट पढ़ते समय में यह सोचता था जि वित्त-मन्त्रीजी ने बड़ा ल्यूसिड एक्शप्लेनेशन दिया। उनका यह एक्सप्लेनेशन है या चार्ज उस पर जो पुरानी १० सालों में मन्त्रि-मण्डल रहा उस पर गहरा आघात था। उनका यह चार्ज उस समय की पोलिटिकल लीडरशिप, इन्टेलिजेन्स और ओनेस्टी पर था। मैं समझता हूं वित्त मन्त्रीजी को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। आपका सबसे पहला आक्षेप कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर है जो १०-१५ साल से इकोनोमी चल रही थी उस पर आया। साथ ही साथ उन्होंने अपने आप श्रेय लेने की भी कोशिश की यह कह कर कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को Gear up जीयर अप किया, रिसोरसेज बढ़ाने और इकोनोमी को ठीक करने की किस तरह से कोशिश की और साथ ही साथ किस तरह से सोशियलिस्ट पैटर्न पर अर्थ व्यवस्था को ढालने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी इस बात को भूल गये कि प्लानिंग और बजट के इन्ग्रेडियेन्टस होता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कह सकते हैं कि यह बजट अच्छा है या माडा है। मैं एक बात इस बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस समय यह बजट किसानों के पास पहुंचेगा, मजदूरों के पास पहुंचेगा या जो दूसरे लोग हैं उनके पास

(श्री केदारनाथ)

पहुंचेगा तो आज जो न्यू क्लाइमेट ओफ कॉन्फीडेन्स पैदा नहीं कर सकेगा। हम सोचते हैं कि आज इमरजेन्सी में चीन के एग्रेसन ने हमारा खर्चा बढाया है उसको पूरा करने के लिये हम टैक्स लागाना चाहते हैं, जनता के मनोबल को मजबूत करना चाहते है वहां हमारी पूरी तरह से डिफीट हुई है और इट इज ए विक्ट्री ओफ चाइनीज इन्वेजन It is a Victory of a Chinese aggression यदि टैक्सेज बढे, लोगो में असंतोष बढा, भुखमरी और बेचैनी बढी तो यह चाइनीज की सबसे बडी जीत होगी इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ आप बजट को इमरजेन्सी का कलर देते हैं, नये टैक्सेज और रिसोरसेज की बात करते है दूसरी ओर भूल जाते हैं कि लोगों की भावना क्या है। सिर्फ देश की रक्षा और वार मेटीरियल के प्रोडक्शन की आड में Human factors को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इसको क्राइसिस ओफ कॉन्फीडेन्स नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि यह मिनिस्टीरियल wrangling एक दूसरे को गिराने की चीज है मैं यह समझता हूं कि लोगों के पेट्रोयोटिज्म (देश भक्ति) कोओपरेशन को सही तरीके से नहीं समझा। यदि सही तरीके से समझते तो जिस तरह से लोगों को पैनेलाइज किया गया उस तरह से हैरेसमेन्ट करने की कोशिश नहीं करते। इसका असर बहुत बुरा पडा और पडेगा। मैं समझता हूं इन टैक्सेज के खिलाफ जब हवा चलेगी तब जनमत पैदा होगा अंदर और बाहर और वह मजबूर करेगा सरकार को अपना कदम पीछे हटाने के लिये। इमरजेन्सी के नाम पर सरकार यह कहेगी कि यहां बैठ कर जो बातें करते हैं वे बाहर न करें। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि डिफेन्स ओफ इन्डिया एक्ट इन मामलों में लागू किया जा सकता है क्योंकि हमारा फर्ज है कि लोगो की ग्रीवेन्सेज को वेन्टिलेट करें उनको सोशियल जस्टिस नहीं मिलती है तो हमारा फर्ज है कि इलेक्टोरेट्स में जाकर कहें और असलियत समझावें और उचित कदम उठावें जिससे कि उनको राहत मिल सके। मैं हिन्दुस्तान में ऐसी फोर्सेज देखता हूं जिसमें पर्सनल इफेक्टस और रिसोरसेज हैं उनका फायदा उठाना चाहिये। इसलिये मैं मेरे दोस्त कांग्रेसवालों को कहना चाहता हूं कि वे समय को पहचानें, पास्ट हिस्ट्री को पहचानें हमारे बारे में वे यह समझते हैं कि हम तो रिएक्शनरीज हैं जो इधर बैठे हैं और जनता का फायदा करने वाले वे लोग हैं जो उधर बैठे हैं। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि इन कांग्रेसियों में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने का त्याग किया था ज्यादा वे लोग हैं जिन्होंने इससे फायदा उठाया है।

श्रीमान् पालीवाल जी के समय में लागत की रेट में चार आना प्रति बीघा की वृद्धि की थी उस समय हमारा तरफ का सारा इलाका जाग उठा था, लोगों का फाइटिंग मोरेल जाग उठा और ५-७ हजार लोग जेल गये। आज वही इलाका है जिसने इमरजेन्सी को देखते हुए १) और २) बीघा पर धन दिया है उसी इलाके ने सब से ज्यादा सोना दिया, कुरबानी दिखाई, कोओपरेशन दिया। आज उस इलाके की हालत क्या है यह तो और दोस्त कहेंगे मगर हमारा इलाका इस बोझे को बरदाश्त नहीं करेगा और वैधानिक तरीके पर इस के विरूद्ध लडेगा। लेकिन मैं अपनी असली बात पर आ जाता हूं।

(श्री केदारनाथ)

हम लोगों से यह कहा वित्त मंत्रीजी ने कि राजस्थान में १२ साल के प्लानिंग के बाद कुछ विकास हुआ है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने बडे सही तरीके से आरगुमेन्ट्स देते हुए यह बताया कि खेती बाडी पर उसका असर क्या हुआ, पैदावार बढी, प्रोडक्शन बढा, शहरों में इम्प्रूवमेन्ट हुआ लेकिन उसका असर किस पर पडा। आखिर हमने जो इन्वेस्टमेन्ट किया उसके रिटर्न्स क्या आये ? पर केपिटा इन्कम कितनी बढी ? ईल्ड पर एकड (प्रोडक्शन फी एकड) कितना बढा, शहरों पर उसका क्या असर पडा और वीकर सेक्शन हैं सोसाइटी के उन पर इसका क्या असर पडा और इन सारे एचीवमेन्ट्स और विकास को लाने में सबसे बडा हाथ किस का था और आज वे उसके लाभ से वंचित क्यों हैं ? वे लोग जो पहले सबसिस्टेन्स लेवल पर गुजर करते थे उनको सेमी स्टारवेशन लेवल पर ले जायें जो आज भूखो मरने जा रहे हैं। इसका असर लाजमी तौर पर दूसरों पर पडेगा। मैं दो तीन बातें साइट करूंगा आपके सामने। अभी जो दोस्त कांग्रेस बैन्चेज की तरफ से बोले उन्होंने कहा कि हमारे यहां लैण्ड रिफोर्म्स हुए हैं। मैं भी यह मानता हूं कि कुछ रिफोर्मर्स हुए लेकिन एज ए होल, इन आल क्या असर पडा इसके बारे में मैं ओथोरिटी कोट करना चाहता हू। प्रोफेसर मलकानी कहते हैं:

"We are almost in the midst of revolution of zamindari and on the tide of great revolution. The landless awakened but got bad land or no land. The landlord changed his colour and became a land holder. The class thought it wise to be low, but cling to property in land, the big issue was raised and a movement was launched, but no revolutionary changes in the property."

इसका क्या असर पडा किसानों पर, खेतीहर मजदूरों पर क्या असर पडा, भूमिहीन किसानों पर क्या असर पडा और सीलिंग कहा तक लागू कर पाये और कहां तक जो फालो और वेस्ट लैंड (waste land) पडी थी उसको अंडर कल्टीवेशन में लाया गया। इन बातों की ओर जब सोचते है तो जैसा कि श्री सी. बी. गुप्ता चीफ मिनिस्टर यू. पी. ने अभी दो तीन दिन पहले बयान दिया था और हमारे चीफ मिनिस्टर भी शीघ्र बयान देने जा रहे हैं, श्री गुप्ता ने कहा:

"Ceiling of land holdings Act has failed to serve the purpose. Before the Act was introduced, so many people succeeded in distributing their land among their relatives and kinsmen that the whole effect of land reforms has gone out."

यह मैं मानता हूं कि सीलिंग लागू नहीं हुआ, वेस्ट लैण्ड, लैण्डलेस टिनेन्ट्स को नहीं दी गई, भूमिहीन किसानों को काश्त के लिये जमीन नहीं दी गई इरीगेशन का पानी वेस्ट (waste) जाता है जो इन्वेस्टमेन्ट किया है उसका पूरा रिटर्न नही मिलता सही आमदनी नहीं मिल सकती इसलिये मैंने आपके सामने ये बातें कहीं कि सोशलिस्टिक की बात हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कही, बार बार यह बात सदन के सामने आई, लेकिन जहां तक सोशलिस्टिक पैटर्न को ले डाउन करने का सवाल है, जहां तक सोशलिस्टिक

(श्री केदारनाथ)

पैटर्न के अनुरूप टैक्सेशन करने का सवाल है, यह सेन्टर गवर्नमेन्ट का सवाल है। १९५५ में सोशलिस्टिक पैटर्न के सिद्धान्त को लोक सभा ने अडॉप्ट किया, इसका वित्त मंत्रीजी ने उल्लेख किया, लेकिन वे इस बात को भूल गये कि पिछले दिनों आपकी जानकारी में रहते हुए भी आप यह चीज बताना नहीं चाहते कि राजस्थान की रूरल इकॉनामी पोइन्ट ऑफ स्टेगनेशन पर आकर क्यों अटक गई। राजस्थान सरकार के सामने बोर्डर की स्थिति की प्रॉबलम है, राजस्थान सरकार का जो इन्वेस्टमेन्ट है, उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, पर केपिटा रिटर्न गिर गया है, राजस्थान में कृषि का प्रोडक्शन गिर रहा है। फिर भी आपका कहना है कि सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर अग्रसर होने के लिये उत्साह भर रहे हैं और इसके लिए ही मांग करने जा रहे हैं बजट प्रपोजल्स के डवलपमेन्ट के लिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब भी सबक लें। आप कहते हैं कि हमारे देश में समाज व्यवस्था बदल जायगी, लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीजें होंगी। दो सेकिंड पे कमीशन की रिपोर्ट है, उसे आप पढ़ें। जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसे आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जनता की क्या स्थिति है। उस सम्बन्ध में मैं इसके साथ साथ अर्ज कर दूं, इतना वक्त नहीं है . . . .

श्री बालकृष्ण कोल (वित्त मंत्री) : बहुत वक्त है।

श्री केदारनाथ : यह है "Wages of the unskilled : Difference between the wages of the unskilled and higher executive is three-fold."

जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं और जो बड़े बड़े ऑफीसर हैं, उनके वेतन में आजादी के बाद, इस सब विकास के बाद भी तीन गुना फर्क पड़ गया है। नम्बर वन, दूसरे, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है।

"The difference between the lowest paid and the highest income is 300.

आजादी के पहले रेश्यो था Minimum to maximum 1 to 100 वह अब कितना हो गया है 1 to 300 आप ताज्जुब करेंगे कि यह सरकार की रिपोर्ट है, जिनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके अलावा जय प्रकाश, जिसको मैं अर्द्ध-सरकारी मानता हूं, का एक सर्वेक्षण दल था, उसकी एक रिपोर्ट है। . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It is well said

श्री केदारनाथ : उन्होंने यह कहा, अगर हम यह देखते हैं कि इन बारह सालों में डवलपमेन्ट का असर किसानों के ऊपर व खेतिहर मजदूर क्लास पर क्या हुआ है तो आपको मालूम होगा कि उनकी आमदनी ११ परसेन्ट कम हुई है। इसके साथ उन्होंने चार्ट पेश किये हैं, जिनमें बताया है कि गांवों में बसने वाले ८० प्रतिशत लोग हैं, जिनकी सालाना आमदनी एक हजार से कम है, इनमें से पचास प्रतिशत वे लोग हैं जिनकी आमदनी पचास रुपये माहवार से कम है और पच्चीस प्रतिशत वे लोग हैं जिनकी एक महीने की आमदनी पच्चीस रुपये की है। मैं समझता हूं कि जब ये सारे आंकड़े देखते हैं और यह मालूम होता है कि यह असर हमारी डवलपमेन्ट फार्मिंग, रूरल इकानामी पर पड़ा तो

(श्री केदारनाथ)

ऐसा मालूम होता है कि इसमें कहीं गडबडी है। गडबडी इस बात की हो, ऐसा मैं नहीं समझता कि आपकी मन्शा खराब है। लेकिन Cabinet में इनमें कोई महनती नहीं है, कोई आंकडे नहीं रखना चाहते, कोई मशीनरी पर हावी नहीं होना चाहते या ऐसा हो सकता है कि सब में सेन्स ऑफ काम्प्लीसेन्सी है, या आप में से कोई ज्यादा वक्त नहीं रखते हैं। यह चीज राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारी जगह घर कर गई है। हम यह जानते हैं कि आपकी सेक्रेटरी बात नहीं मानते, नीचे के कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते, वे गलत फिगर्स देते हैं, गलत स्टेटिसटिक्स देते हैं, एक्सपेन्डीचर के गलत अन्दाज देते हैं। फिर मैं नहीं समझता कि यह सरकार कहां जायगी ? मैं समझता हूं कि सरकार के खिलाफ वोट ऑफ नोकान्फीडेन्स साफ जाहिर है क्योंकि लोग उसको पसन्द नहीं करते, एम. एल. एज. उसको पसन्द नहीं करते, मशीनरी इनके काबू में नहीं है, सारे राजस्थान में गांवों की दीवारों पर लिखा होता है-करप्शन, नैपो-टिज्म, फेवरिटिज्म, वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर मैं समझता हूं, आपका टैक्सेशन सिस्टम लोग मंजूर भी कर लेते। संकेत आज जो चीज उसके पास है, वह दी उन्होंने गवर्नमेन्ट को भेंट की गई। आज भी किसानों और मजदूरों से किसी न किसी रूप में सहयोग मिल जाता अगर उसको एक ही फायदा होता है कि उसे कचहरी और अदालत के दरवाजे न खटखटाने पड़ें। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पांच पांच, छः छः साल तक अदालत के दरवाजे खटखटाने पडे हैं। मैं आपको मिसाल बताऊं, एक किसान जमीन लेना चाहता है, वह उसके लिए पैसा देता है, सब-कुछ देता है लेकिन छः छः साल निकल जाते हैं अलॉटमेन्ट होने में। आज आपकी मशीनरी इतनी निकम्मी है, जिसके द्वारा आप चाहते हैं राजस्थान में विकास हो। मैं नहीं समझता कि राजस्थान में विकास होने वाला है। तो मैं आखिर में यह कहते हुए कि इस बजट को पढने के बाद हमारी इस चर्चा के विषय में जो एक हमें वजन मिलना चाहिए था, जो ट्रस्ट और इम्पल्स पैदा होनी चाहिए, और हमारी मार्फत स्टेट इकानामी में वृद्धि होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं वह इम्प्यूट नहीं कर सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वक्त की मांग को देखते हुए, लोगों की गम्भीर स्थिति को पहचानते हुए, हम इस बात को मानते हैं कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी में विश्वास करते हैं, इलूसिव आपका डिस्पोजल है, इस बात को मानते हुए आपको केबिनेट से लडना पड़े तो लडो, सेन्टर तक जाना पडे तो जाओ और ऐसे टैक्स लगाओ, जिसको जस्ट कहें, इक्वीटेबल कहें। मैं समझता हूं, अभी जो टैक्स लगा रहे हैं उनमें न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, ये बहुत अनजस्ट हैं और लोगों के साथ गैर-इन्साफी कर रहे हैं ये नये टैक्स लगा कर। इधर आप देहातों में लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज के नाम से टैक्स लेंगे, सेन्टर गवर्नमेन्ट कम्पल-सरी सेविंग के नाम से लैण्ड रेवेन्यू पर लेगी, उस पर क्या ब्याज देंगे, यह देख कर मुझे ताज्जुब होता है। मैं एक लब्ज कह दूं कि जिन्होंने गोल्ड स्मगल किया है, जो इल गोट और इल्लीगल मनी है, उस पर उन्हें साढे छः परसेन्ट ब्याज मिलेगा लेकिन इन्डस्ट्रीज में वर्क करने वाला जो मजदूर है जिसको तनख्वाह सवा सौ रुपये है और जिसे तीन रुपया कम्पलसरी सेविंग के रूप में हर माह देना पडेगा, उसको इन्ट्रेस्ट आप कितना

(श्री केदारनाथ)

देते हैं, सिर्फ चार परसेन्ट । मैं समझता हूं क्या यह equitable बोझा है ?

Sin and robbery pay more than an honest labour under the Laws of morality of Congress rule. It is shameful.

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढदार।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद को अपनी आधारशिला मान कर नियंत्रण करने वाली इस राजस्थान सरकार ने बजट आप लोगों के सामने पेश किया, इस बजट को जनता ने देखा और इस बजट में लगाये गये टैक्सों पर जनता विचार करती है, मैं यह दावे के साथ इस सदन के सामने कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता कि मंत्रिमंडल की कुर्सियों पर बैठने वाले मंत्रीगण, अधिकारीगण जो आफिसर्स गैलेरीज में बैठते हैं और दर्शक, जो आपके सामने खडे हैं, और मैं यहां तक कहूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य हृदय के सद्‌भाव के साथ कहने के लिए तैयार है कि जो टैक्स आज लगाये जा रहे हैं, जो बजट पेश किया गया है, वह बजट वाकई जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला है ? क्या लगाये गये टैक्सों के आधार पर जनता का प्रत्येक आदमी सुखी रहेगा ? आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकेगा ? अगर ऐसी बात नहीं है तो हृदय की बात लेकर, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो आफिसर हैं, जो दर्शक हैं और जो सदस्य हैं इस हाउस के, उन्हें सत्यता के साथ निवेदन करने के लिए तैयार हूं कि यह सही चीज नहीं है, और यह प्रजातन्त्र के सही सिद्धान्तों के आधार पर नहीं है। हम अगर कोई टैक्स लगाते हैं जनता पर तो हमें जनता की भावनाओं का स्वागत करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि जिस बजट को लेकर हम आगे बढ रहे हैं वह बजट वास्तव में जनता के हृदय की भावनाओं के अनुकूल है या नहीं, यह जनता के हित का होगा या नहीं। अगर वह बजट जनता की भावनाओं के प्रतिकूल है, तो मैं निवेदन करूंगा कि ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले मंत्रियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसके आधार पर अगर जनता के अधिकारों का हनन होता है, या जुर्म होता है, अत्याचार होता है तो उस पर पुनर्विचार करते हुए टैक्सेज कम करने चाहियें। यह मेरा आपसे निवेदन है। एक यह पुनर्विचार करने की बात है। यह बात सही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य सरकार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा राज्य सरकार केवल करों के रूप में, केवल टैक्स लगा कर जनता से वसूल करती है और यह राज्य सरकार को चलाने का एक तरीका होता है—यह बात तो सही है। लेकिन जो रकम हम जनता से टैक्सेज के रूप में वसूल करते हैं, उसका सदुपयोग होता है या नहीं, उसे ठीक तरह से खर्च किया जाता है या नहीं, यह देखना चाहिये। आप सन् १९५१-से १९६२ तक के आंकडों का मुलाहिजा फर्मा लीजिये, आप पंच वर्षीय योजना और कई पंच वर्षीय योजनाओं की आड में इन योजनाओं को आधारभूत बना कर जनता पर टैक्स लगाते हैं, प्रत्येक बार यह आश्वासन देते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि इन योजनाओं से देश की तरक्की होगी, इन योजनाओं में तरक्की कर लेंगे तो आयन्दा देश की स्थिति सुधर जायगी और टैक्स कम करने की अवस्था के अन्दर हम हो जायेंगे।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आप अपने आंकडों को मुलाहिजा फरमाइये तो आपको मालूम होगा कि आप हर साल नये नये टैक्स लगाते हैं। हर साल आप जिस समय टैक्स लगाते हैं; इस बात का आश्वासन देते हैं और विश्वास जनता को दिलाते हैं कि इन टैक्सों के लगने से यह तरक्की होगी। संभवत: किसी मद में तरक्की करने का प्रश्न पैदा हो जावेगा यह सोच कर करों के भार को वहन करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि जितनी तरक्की आप बताते हैं और जितने आंकडे आप पेश करते हैं उतनी तरक्की नहीं हो पाती। आप अपने आंकडों को मुलाहिजा फरमा कर बतावें कि किस साल में आंकडों में आपने टैक्सों में कटौती करने की कोशिश की है। अगर आप इस पर गौर फरमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी साल भी आपने टैक्सों में कमी करने की बात नहीं की है और हर साल डिमान्ड जिस समय पब्लिक के सामने आप रखते हैं उस समय यह कोशिश करते हैं कि यह टैक्स जनता पर होने चाहियें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर टैक्सों की हद भी तो हो। एक अच्छा कमाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और सफल नहीं कहलाया जा सकता जब तक उसको खर्च करने का तरीका मालूम नहीं हो। अगर उसके खर्च करने का तरीका ठीक नहीं है तो वह चाहे जितना कमाए, बचत नहीं होगी और वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माना जा सकता। ठीक यही राजस्थान सरकार का भी हाल है। राजस्थान सरकार को चाहियें कि वह इस बात को देखें कि वह रकम जो टैक्सों द्वारा वसूल की जाती है आया उसका सदुपयोग भी होता है या नहीं। अगर उस रकम को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को लेकर चलती है यह अच्छी सरकार नहीं कहलाई जा सकती है। ऐसी सरकार को स्वयं को चाहिये कि जिस प्रकार पब्लिक ने उन पर कोन्फीडेन्स रख कर उनको चुना है, वे पब्लिक में कोन्फीडेन्स गेन करें और अगर पब्लिक उनसे नाराज है तो उनको चाहिए कि सम्मानपूर्वक पदों का मोह न रखना चाहिये और इन कुर्सियों का परित्याग कर देना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि बजट आपके सामने आया है। बजट की स्पीच फाइनेन्स मिनिस्टर ने आपके सामने रखी है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वास्तव में हिन्दी को जिसे हिन्दुस्तानी के रूप में कहा जाता है, लेकर चले हैं और आगे भी संभवत: इसी भाषा को लेकर चला जावेगा तो मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी के नाम पर आगे आप यदि बादशाह राम और बेगम सीता और मौलाना वशिष्ठ और विश्वामित्र लिखेंगे तो भी उचित होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने के लिये मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं और मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि इससे जो भाषा की समस्या पैदा होती है वह नहीं होगी।

अब इससे जो समस्या पैदा होती है उसमें सबसे बडी और प्रधान समस्या यह है कि बहुत से ऐसे मद हैं जिन पर आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि टैक्सेज ऐसे लगे हैं जो जनता के दिलों को कुरेच लेंगे। बहुत से लोग इस देश में ऐसे रहते हैं जिनको खाने का साधन भी ठीक तरह से उपलब्ध नहीं होता है और बडी मुश्किल के साथ वे अपने जीवन को बिताते हैं। उनको इतने

(श्री दुर्गालाल बारदार)

पैसे मिलते है कि मकान बनाना तो दूर रहा अच्छे मकान में रहना भी उनको नसीब नहीं होता और बडी मुश्किल से अपने बच्चों की पढाई का भी प्रबन्ध कर पाते है और अपनी उदरपूर्ति ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के काम आने वाली आम चीजों पर भी आपने टैक्स लगा दिया है।

उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं कि मिट्टी के तेल पर आपने टैक्स लगा दिया है। आप देखेंगे कि आज के जमाने में लोगों को कोयला मिलता नहीं, लकडी मिलती नहीं, इसलिये मध्यम श्रेणी के लोगों ने यह सोच कर कि कोयला मिलता नहीं, लकडी मिलती नहीं, स्टोव सस्ता सा खरीद लेते है। एक बोतल जो चार आने में आती है उसमें डाल कर ईंधन का काम लेते थे और मध्यम श्रेणी के लोग उससे अपना काम चला लिया करते थे। जब चाहा रोटी और चाय बना लेते थे। आपके राज्य में लोगों को कोयला उपलब्ध नहीं होता, लकडी नहीं मिलती और घासलेट के तेल को आपने इतना मंहगा किया है कि वह गरीब व मध्यम श्रेणी का व्यक्ति अपनी रोटी और चाय भी उस पर नहीं पका सके और आये हुए आदमी की मेहमानदारी भी नहीं कर सके।

यह तो हुई यह बात। इसके अलावा जिस राज्य में खाने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है वह राज्य कैसा हो सकता है उसकी कल्पना आप ही कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि ग्रामों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाजरी मक्का, ज्वार आदि खाते हैं। अक्सर लोग जयपुर में और जयपुर के बाहर भी जौ खाते हैं। बहुत से लोग यह मान कर चलते हैं कि जयपुर की जलवायु के लिये जौ खाना आवश्यक है। यह जो जौ, ज्वार, बाजरा पर टैक्स लगाया जा रहा है वह ऐसे लोगों पर पडता है क्योंकि अधिकांश गरीब लोग ही हैं जो इनका उपयोग करते हैं। उन पर इसका बहुत असर पडता है जिनकी दर्दनाक अवस्था है। मुझे अफसोस है कि उन गरीब लोगों की आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है।

जिस समय कोई डिमान्ड आती है और उस पर विरोधी दल की तरफ से विरोध किया जाता है तो उसका सीधा सा उत्तर खडे होकर यह दे दिया जाता है कि हमारे सामने संकटकालीन स्थिति आ रही है। हमारे सामने विकास की योजनाएं पडी हैं और राज्य को रुपये की जरूरत है और बगैर रुपये कोई काम नहीं कर सकते।

मैं यह निवेदन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप इस पर शांति-पूर्वक विचार करें और ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा कि जिन रुपयों को आप डिफेन्स के सिलसिले में इकट्ठा करना चाहते हैं और जनता पर टैक्स लगाना चाहते हैं वह रुपया आपको अगर आप थोडी अपने निजी खर्चों में कमी करदें तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। यह लाखों रुपयों की रकम जिस को आप टैक्स के रूप में जनता से वसूल करना चाहते हैं वह वसूल नहीं करने की जरूरत पैदा होगी और जनता पर टैक्सेज नहीं लगेंगे। जनता यह सोचेगी कि यह सरकार जो हमारी नुमायन्दगी की सरकार है वह हमारे दुखों और तकलीफों पर विचार कर रही है। मगर आप इस तरफ सोचने की कोशिश नहीं करते। आंकड़ों की बात नहीं है और न आपके नाराज होने की बात है। आपको मालूम होगा

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

कि ६००) ७००) रु. सेन्टर के मिनिस्टरों के बिजली के आते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह जनता की गहरी कमाई के धन के साथ कितना दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि जिस समय रुपयों की कमी पड़ती है उस समय टैक्स जनता को देने पड़ते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप विकास के नाम पर बहुत से चैरिटि डिपार्टमेंट खोल रखे हैं। आप उन संस्थाओं को रुपया एडवान्स देते हैं और कुछ लोगों ने अपना यह एक कमाई का ऐसा जरिया निकाल रखा है कि वह रुपया जो उनको दिया जाता है उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन उस काम के लिये हुआ है या नहीं इसका आपको पता नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि जितना रुपया तकावी में लोगों को दिया जाता है, कुओं को बनाने के लिये और इन्डस्ट्रीज के सिलसिले में दिया जाता है उसमें से क्या आप बता सकते हैं कि कितना रुपया वसूल कर लिया गया है और कितना वसूल नहीं कर सके हैं और कितने ऐसे व्यक्तियों को दिया जिनको कानून के मुताबिक नहीं मिलना चाहिये क्योंकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया है। किन किन इन्डस्ट्रीज को दिया और कौनसी कौनसी इन्डस्ट्रीज चलाई और उनसे क्या प्रोडक्शन किया है। आप अपने आंकड़ों पर विचार करेंगे कि लाखों रुपयों की धनराशि इन्डस्ट्रीज में आपने निकाल दी है मगर उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके आंकड़े आपके सामने नहीं हैं। आपको देखना चाहिये कि जिन रुपयों को देश के विकास और तरक्की के नाम से खर्च कर रहे हैं उसमें विकास हो रहा है या नहीं। अगर विकास नहीं होता है तो आपको उन खर्चों में कमी कर देनी चाहिये। यदि आप उसमें कमी कर देते हैं तो टैक्सेज का भार कम कर सकते हैं।

एक चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि आप डिफेन्स की बात को लेकर आगे बढ रहे हैं लेकिन यह निस्संदेह ऐसी बात है कि जिसके लिये जनता में दो राय नहीं हो सकती कि डिफेन्स के लिये सब कुछ त्याग करें। जब देश पर संकट आता है और संकट कालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम धर्म हो जाता है कि सबसे पहले उस संकट-कालीन स्थिति से मुक्ति प्राप्त करें और इसके लिये कोई इन्कार नहीं करेगा लेकिन जिस जनता से आप आशा करते हैं कि वह जनता जो प्रत्येक कठिनाई के समय आपका साथ देती आरही है और जिस प्रकार की परिस्थितियें आती हैं उसमें साथ रहेगी तो आपको भी जनता के दुखों का ध्यान रखना होगा।

आपने एक तरफ तो टैक्स लगाये हैं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि बाजार में चीजों के भाव नहीं बढेंगे। मैं यह कहूंगा कि चीजों के भाव डयोढे हो जायेंगे। आप इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे चीजों के भाव बढना स्वाभाविक है और आप आश्वासन इस प्रकार के जनता को देते हैं कि भावों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी तो मैं यदि यह शब्द कहदूं तो अनुपयुक्त नहीं होंगे कि आप जनता से धोखेबाजी की बात कहते हैं कि बाजार में चीजों के भाव नहीं बढने दिये जायेंगे। यह बात जब आप कहते है तो जनता से धोखेबाजी की बात कहते हैं। चीजों की कीमतों को नहीं बढ़ने देंगे, यह असम्भव बात है। आप विचार करके देखिये आपने मिट्टी के तेल पर टैक्स बढाया, आपने शक्कर पर टैक्स बढाया, आपने चाय पर टैक्स

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बढाया और बाजार में दो आने का चाय का प्याला मिलता है तो क्या आप समझते हैं कि चाय की दुकान वाला अपने पास से पैसे मिला कर लोगों को दो आने में चाय का प्याला देता रहेगा। उसने जो आज तक कमाई की है वह निकाल कर लोगों को प्रसन्न करने के लिये कोशिश करेगा कि राज्य सरकार का आदेश हैं कि कीमतें नहीं बढने देंगे और वह घाटा उठा कर भी दो आने में चाय का प्याला देता रहेगा। तो चाय पीने वालों पर, रोटी खाने वालों पर इसका असर होगा और भाव बढ जायेंगे। और आप लाख कोशिश करेंगे फिर भी इन भावों को नहीं गिरा सकेंगे इसका परिणाम यह होगा कि जनता में असंतोष होगा।

(४.४१ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)

एक तरफ आप यह भावना लेकर आते हैं कि जनता में संतोष पैदा करेंगे, जनता में इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन पैदा करेंगे कि असंतोष पैदा नहीं होगा पर दूसरी तरफ आप जो कार्य करने जा रहे हैं वे ऐसे हैं कि उन से लाजमी तौर पर जनता में असंतोष बढेगा।

जब भी संकटकालीन स्थिति आती है तो राज्य चलाने वालों का परम धर्म हो जाता है कि भावनाओं में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिये। जब मनुष्य तकलीफ में होता है तो विचारों में विकार आना शुरू हो जाता है, परेशानियां मजबूरियां पैदा करने के कार्य आप कर रहे हैं। न से मुझे भय है कि जनता में असंतोष अवश्य बढेगा। परेशानियां और मजबूरियों से जनता की भावना में विकार आते हैं और विकारों से असंतोष बढता है। मुझे आपके साथ हमदर्दी है आपके कन्धों पर राज्य चलाने का भार है, आपको सोचना चाहिये कि इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो जिस से कि जनता में असंतोष पैदा हो, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, मैं चाहता हूं कि आप इस नियन्त्रण को सही रूप से चलाते रहें, वरना यह आपके लिये भी घातक हो सकता है। यह इतनी आवश्यक चीज है जिस पर विचार करना आपका परम धर्म हो जाता है। आपकी स्वर्ण नियन्त्रण पोलिसी और दूसरी पोलिसियां जिन पर आपने कार्य करना शुरू कर दिया है इन से कितनी बेरोजगारी बढी है। जब लोगों में बेरोजगारी बढ जाती है, कमाई के साधन नहीं रहते, जीवन की प्रत्येक दिन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में उनके हृदय में विकार अवश्य पैदा होंगे। तो यह आपकी कार्यवाहियां ऐसी हैं वे सारे मानव की मानवीय भावना है उस पर कुठाराघात करने को तैयार हो रही हैं।

तो मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आपको यह देखना चाहिये कि यह टैक्सेज जिनको आप हम पर, जनता पर थोपना चाहते हैं, इन पर आप पुनर्विचार नहीं करेंगे तब तक आप देश की स्थिति को नहीं सम्भाल सकते।

एक चीज जिस पर विचार करना आवश्यक होता है ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : कविता नहीं हो रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह भी निवेदन करदूंगा।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दो आदमी जा रहे थे, एक सरदार थे, एक नौकर था। दोनों जाते थे तो रास्ते में देखा कि एक देश का राजा मर गया। वहां कायदा यह था कि अगर राजा मर जाय तो कोई चीज दे कर परिन्दे को उडाया जाय और जिसके सिर पर वह परिन्दा वह चीज डाल दे उस ही को वहां का राजा बना दिया जाय। दोनों बातें करने लगे कि परिन्दा आ रहा है कोई चीज गिरा देगा। सरदार ने कहा कि मेरे सिर पर डाल दिया तो प्रजा को ऐसा आराम दूंगा कि वह हर प्रकार से खुशहाल हो जायगी। नौकर ने कहा कि अगर मेरे सर पर डाल दिया तो प्रजा को ऐसी तंग करूंगा कि याद रखेगी। दैवयोग से परिन्दे ने नौकर के सिर पर वह चीज गिरा दी और वह बादशाह बन गया उसके दिल में तो यही भावना थी कि राजा बनते ही प्रजा को तंग कर दूंगा, वह जनता की भावना को समझने की कोशिश तो करता नहीं था, उसने तो पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि राजा बनते ही प्रजा को तांत कर के रख दूंगा। वह राजा बन गया और उसी तरह के काम करने लगा जैसा उसने निश्चय कर रखा था। दुनियां चिल्लाने लगी और प्रजा के लोग पुकार करने लगे तो उसने कहा कि मुझको तो पट्टा मिला है, भगवान के यहां से राजतन्त्र में न मालूम कितने साल का पट्टा मिलता था, प्रजातन्त्र में तो ५ साल का पट्टा मिल जाता है। तो उसने कहा कि यह लिमिटेड या अनलिमिटेड पीरियड का पट्टा मुझे मिल गया है और मैंने तो अपना उसूल बना कर रखा है कि प्रजा को तांत कर के छोड़ूंगा, इस लिये प्रजा को पूरी तकलीफें देने की कोशिश करूंगा, आपमें, इन सारी भावनाओं के होते हुए भी मैं आप से निवेदन करूंगा कि अगर किसी बाज ने आपके सिर पर यह चीज डाल दी, ईश्वरीय कृपा से ५ साल की अवधि के लिये आपको ताज मिल गया, हुकूमत करने का मौका मिल गया तो इसमें नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप नाजायज भाषा का प्रयोग न करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं आपके लिये ऐसी भाषा इसी लिये रखता हूं कि आप अपने हृदय से विचार कीजिये, जहां तक तर्क का सवाल है "Even devils recite scriptures in their favour." तर्क से सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं। आप अपनी आवश्यकताएं जनता के सामने पेश कर सकते हैं कि हमको इतने रुपयों की आवश्यकता है और इसके लिये इतने टैक्सेज लगाने की आवश्यकता है। पर इन पर रीकन्सीडर करना चाहिये, पुनर्विचार करना चाहिये और इस आधार पर आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आपको इस कहावत के अनुसार जिद्द नहीं करनी चाहिये बल्कि काबलियत को धारण करना चाहिये। यदि आप इस पर पुनर्विचार करते हैं तो एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं और इतने टैक्सेज से जनता को राहत दे सकते हैं।

तो मेरा यह मोस्ट रेस्पेक्टफुली सब्मिशन है, मैं तो हमेशा सब्मिट ही करता हूं कि आप जिद्द न पकड़ियेगा और यह नहीं कहिये कि जो जिद्द पकड़ ली है वही करके रहेंगे। नाटी चिल्डरन की तरह जिद्द पकड़ कर अपने आपको इन्केपेबल बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिये। पुनर्विचार किया जाता है, तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पुर्नविचार से निर्णय किया जाता है वह बदल जाता है। इनको बदलने के लिये यदि आप नहीं सोच सकते, यदि आपमें इतनी काबलियत नहीं है कि इस प्रकार के टैक्सेज पर पुर्नविचार करके जनता को राहत दें तो आपको बड़ी शान्तिपूर्वक त्याग-पत्र दे देना चाहिये और कहना चाहिये कि इन बातों को सोचने के लिये हम सक्षम नहीं हैं, इसलिये त्याग-पत्र देते हैं। तो मेरा यह सब्मिशन है, आपको यह मौका देता हूं, आपके लिये यह चान्स है कि रीकन्सीडर कीजिये और फिर किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कीजिये तभी आप जनता के लिये कोई चीज कर सकते हैं।

देखिये, आमदनी के आपके पास बहुत से जरिये हैं माइनिंग डिपार्टमेन्ट हैं, इन्डस्ट्रीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अनुदानों के रूप में तकावी इत्यादि देते हैं, वाहियात खर्च करते हैं, उनमें थोड़ा ऐतिहात बरतें। रॉयल्टी कलेक्शन के ऊपर आपका हिसाब चलता है। दो हजार तक की खानों के सिलसिले में टैक्सेशन वसूल करने का ऐसा तरीका बना रखा है कि एक हजार रुपया जमा करा दिया जाता है फिर उसको कापी परमिट की दे दी जाती है। वह दो चार ट्रक ले कर रवाना होता है और एक हजार के जितने पत्थर निकालता है तब तक तो कहते नहीं हैं और ज्यादा निकालता है तो फिर कहते हैं कि और दे दीजिये। इसका नतीजा यह होता है कि बड़ी बड़ी खानों वाले, दो चार ट्रक जिनके पास हैं वे भी उतना ही पत्थर निकालते हैं और छोटी खान वाला है वह भी उतना ही पत्थर निकाल लेता है। आपकी तरफ से निगरानी करने वाला तीन-चार खानों पर एक आदमी रहता है वह भी गार्ड की स्टेटस का आदमी होता है। कारण यह है कि हजारों रुपयों का पत्थर बाजार के अन्दर आपकी खानों से निकल चला आता है। आप के हाथ हैं, आंख हैं पांव हैं। आपके हाथ होते हुए, आंखें होते हुए पांव होते हुए मैं कहूंगा कि आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। जितने हुकूमत करने वाले अफसरान हैं उनके आंख, नाक, कान वगैरा होते हैं। हुकूमत करने वाले के ब्रेन होता है। ब्रेन कमजोर हो जाता है तो हाथ, पांव, आंख कान वगैरा काम नहीं करते हैं। ब्रेन अगर कन्ट्रोल करने की कुवत रखता है, क्षमता रखता है तो इन्द्रियां काम देती हैं। यहां तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हुकूमत करने वाले का ब्रेन ठीक नहीं है, उसके नीचे हाथ पांव, आंख, आदि ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, यह उनको मालूम ही नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा यह दलील देते हैं कि दुनिया बेईमान हो गई है, उसके लिए हमारे पास इलाज नहीं है इसका दोष आप दुनिया को देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपको कौनसा खराब नजर आया दिमाग ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप भी कहते हैं कि खराब नहीं है तो आप अच्छा समझ लीजिये। मुझे तो ब्रेन ठीक नहीं लगता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो खराब मानता ही हूं, लेकिन आप और स्पष्ट कर दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो यहां तक खराबी देखने के लिए तैयार हूं कि हुकूमत के आंखे होते हुए भी देखती नहीं है, हाथ होते हुए भी काम नहीं करते हैं . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): कवि ने तो कभी खराबी नहीं देखी है, अच्छाई ही देखी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : खराबी को भी अच्छाई ही देखें तो यह तो विधि की विडम्बना है, इसका मेरे पास इलाज नहीं।

तो इस प्रकार की परिपाटी या विकार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में चला आ रहा है उसको दूर करने का उत्तरदायित्व एकमात्र उन लोगों पर है जिनके कन्धों पर हुकूमत का भार है। यदि वे इस प्रकार विचार नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले विकार और विकृति को ठीक तरह से विचार करके दूर नहीं कर सकते तो उनको हुकूमत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसको लेकर जनता में जब तक आप सद्भावना पैदा नहीं करेंगे, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है और यहां तक ही सीमित नहीं है परन्तु विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आपको इस सिलसिले में विचार करना पड़ेगा। चूंकि आप विचार नहीं कर रहे हैं इसलिये दोष के भागी एकमात्र आप हैं। केवल ऐसा कह देना कि जनता में विकार चलते आ रहे हैं, हम सक्षम नहीं हैं उनको दूर करने के लिये यह जनता का दोष नहीं है अपका दोष है, आपको सचेत रहना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच मिनिट रह गये हैं। आपकी कविता होजाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह भी समय पर निवेदन करूंगा।

सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने यहां निवेदन करना चाहता था वह यह है कि इस बजट में जैसा हम विचार करके चल रहे हैं हमारा राष्ट्र समाजवादी प्रणाली को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस दृष्टिकोण से जो भी कर हम लगा रहे हैं उनमें अधिकांश कर इस प्रकार के हैं जो ज्यादातर ऐसे लोगों को जो सम्पन्न हैं, जिनके पास पैसा है, वैभव है विशाल रूप से उनको प्रभावित करेंगे और यदि धनिकों का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जाता है जैसा मैंने कहा कि डाकू बनते हैं डाका डालने के लिये, डाका डालने के वक्त कहते हैं कि लूटते हैं उनको जो शरीफों को लूटते हैं और दौलत जाती है उनकी जो दौलतवन्द नहीं हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आप पूंजीपतियों का पैसा लेकर गरीब तबके में फैलाना चाहते हैं, उनकी तरक्की करना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन यह तरीका उस तरीके जैसा है जैसा मैंने कहा even devils may recite scriptures in their favour.

सही माने में आपको विचार करना चाहिये कि टैक्सेज का रेशियो किस प्रकार पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैंने आपको निवेदन कर दिया। मिडिल क्लास चपरासी लोग या थोड़े हायर स्टेटस के जो लोग हैं उनकी क्या तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश की? नहीं। १००) रु. तनख्वाह पाता है जिसके चार पांच बच्चे हैं बाजार में खरीदने के लिए जाता है तो १००) रु. की कीमत ६०) रु० हो जायगी। कल परसों तक कोई व्यक्ति ६०) रु० में जो माल खरीद सकता था उसको अब उसी माल की कीमत १००) रु० चुकानी पड़ेगी। ६०) रु० की खरीद के लिए १००) रु० देगा। आप तनख्वाह में तरक्की नहीं देंगे। उसकी तनख्वाह से ४०) रु० आप काट रहे हैं। नया कपड़ा भी चाहिये और भी चीजें चाहियें जो आवश्यकता की हैं जिनके लिए पहले से ही तकलीफ

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

पा रहे हैं ये कहां से आवेंगे । ऊपर से आपने यह तकलीफ और दे दी । विधाता ने और भी तकलीफ दे दी कि विदेशी राष्ट्र, जो कल तक मित्र था, आक्रमण करने चला आया । इस प्रकार ये तीन चार पांच तकलीफें हैं और हुकूमत करने वाले छठी तकलीफ और लादना चाहते हैं । यदि इन पर विचार नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि कल जो इस कारण कोई संघर्ष होगा, राज्य के अन्दर कोई इन्टरनल क्रान्ति पैदा हो गई तो उस सबका उत्तरदायित्व आप पर होगा । इन सब बातों पर विचार करना चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पांच बजने वाले हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप इसके जिम्मेदार हैं और आपको इन पर विचार करना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति· · · · · ·

श्री सभापति : पांच बजने वाले हैं ।

श्री मानसिंह महार : शुरू तो कर दूं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कल कर लेना ।

श्री मानसिंह महार : नये बजट पर सामान्य वाद-विवाद हो रहा है ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल सवेरे ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही म. प. ४-५८ बजे दिनांक १३ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ तक के लिए स्थगित हुई) ।

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, १२ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

डिवीजनल ईवेल्यूएशन एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी।

हरिजन सिपाही–पुलिस लाइन, अलवर।

राजस्थान स्टेट रोडवेज में शिकायतों संबंधी प्रक्रिया।

आयुर्वेद विभाग में प्रशासनिक संचालक के पद पर आर० ए० एस० व्यक्ति की नियुक्ति।

वैद्यों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने के अधिकार।

राजस्थान पुलिस हेतु लोहे के पलंगों की खरीद।

ग्राम बोरवा, तहसील भीम में घास, चारे एवं जल का अभाव।

जयपुर-कोटा रूट पर अव्यवस्था-स्टेट रोडवेज।

न्यायाधीशों के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत मामले–जिला बीकानेर।

पाइप लाइन-बीकानेर नगर।

राजस्थान स्टेट विद्युत बोर्ड, बीकानेर द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थाओं से चार्ज की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी।

भरतपुर में चोरी के मामले।

हत्या की घटनाएं–थाना पुलिस भादरा, जिला गंगानगर।

बांदीकुई-गूढा कटला सड़क।

पाली जिले के पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध दर्ज मुकद्दमें

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों हेतु स्टेण्डिंग ऑर्डर्स का निर्माण।

चोरियां एवं बरामदगियां–जिला अलवर

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद।

वन-भूमि का सीमांकन।

जन सम्पर्क विभाग द्वारा पब्लिसिटी वान्स हेतु खरीदे गए चेसिस।

सूती मिल्स ब्यावर हेतु न्यूनतम मजूरी समिति।

केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा नेशनल बुक बाइन्डर्स जयपुर को दिया गया कागज।

बदली रूल्स।

घाटा-कनेरा-कनेरा सडक पर पुलियों का निर्माण।

२. आयव्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा।

अध्यक्ष महोदय ने आयव्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व विभिन्न दलों एवं वर्गों में उपलब्ध

समय का बंटवारा करते हुए सदन को सूचित किया। विभिन्न दलों एवं वर्गों के नेताओं एवं सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले भाषणों की सीमा भी निर्धारित की गई।

३. आय-व्ययक, १९६३-६४——प्रथम अवस्था—सामान्य वाद-विवाद।

आय-व्ययक, १९६३-६४ पर आज सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :——

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

२. श्री भैरोंसिंह

३. श्री मुरलीधर व्यास

४. श्री मोतीलाल चौधरी

५. श्री केदारनाथ

६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री मानसिंह महार ने बोलना आरम्भ किया था कि सदन की बैठक ५ बजे बुधवार, दिनांक १३ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक १३ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची :——

१. पंचायत एवं विकास से संबंधित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखना।

२. आय-व्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये)

टेण्डर्स प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं :—

फर्म का नाम	रेट जो कोट किया गया
१. मेसर्स जेन्को इन्डस्ट्रीज अम्बाला सिटी	रुपये ४८ व बिक्री कर
२. मेसर्स जयहिन्द स्टील वर्क्स, जयपुर	रुपये २९।-
३. मेसर्स बिन्को ट्रेडर्स, जयपुर	रुपये २८।६८ व बिक्री कर
४. मेसर्स जय इन्डस्ट्रियल वर्क, जयपुर	रुपये ३६।९४ व कर
५. मेसर्स सिराज एस. मुल्ला, पूना	रुपये ८०।- व कर
६. मेसर्स स्टील मैन एण्ड को० कलकत्ता	रुपये ५२।- (ए) रुपये ५६।- (बी) रुपये ६२।- (सी)
७. मेसर्स सत् व्यवहारिक एण्ड को० जयपुर	रुपये २७-७१ व बिक्री कर
८. मेसर्स स्टील एण्ड जनरल इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड बहादुरगढ	रुपये ९०।४० व बिक्री कर
९. मेसर्स सुगानचन्द राजकुमार जयपुर	रुपये २७-६७
१०. मेसर्स कंवरभान एण्ड सन्स, देहली	रुपये २५।- व कर
११. मेसर्स गुडेज एण्ड व्यू. मैनुफक्चर को० जयपुर ..	रुपये २३।९५
१२. मेसर्स फरोसिया ट्रेडिंग को० जयपुर	रुपये २७-९२ व बिक्री कर
१३. मेसर्स यंग इन्डिया टिन मैनुफक्चर वर्क्स, जयपुर ..	रुपये २६-२५ व बिक्री कर
१४. मेसर्स राजस्थान ट्रंक को० जयपुर	रुपये २४।९५

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७० का उत्तर देखिये)

THE FARE CHART OF RAJASTHAN STATE ROADWAYS

S. N.	Name of Station.	Fare including passenger's Tax.
1.	Jaipur-Ajmer.	3.45
2.	Jaipur-Kishangarh.	2.88
3.	Jaipur-Alwar.	3.83
4.	Jaipur-Agra.	6.05
5.	Jaipur-Kota.	6.20
6.	Ajmer-Bhilwara.	3.28
7.	Ajmer-Vijainagar.	1.72
8.	Ajmer-Gulabpura.	1.92
9.	Jaipur-Bharatpur.	4.40
10.	Ajmer-Jodhpur.	5.15
11.	Jodhpur-Beawar.	3.85
12.	Ajmer-Beawar.	1.30
13.	Jaipur-Jodhpur.	8.80

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २७१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE INSTITUTION DISPOSAL AND ONE YEAR OLD PENDING FILES IN THE COURTS OF BIKANER FOR THE LAST 3 YEARS-1960, 1961 and 1962.

	1960. Inst.	1960. Disp.	1961 Inst.	1961 Disp.	1962 Inst.	1962 Disp.	over one year old cases.
1 *District and Sessions Judge, Bikaner.*							
(a) Sessions Cases.	24	17	16	19	25	20	Nil
(b) Crim. Appeals.	107	148	66	39	59	61	1
(c) Crim. Revs.	34	38	33	30	31	38	
(d) Civil Suits.	38	35	37	45	13	15	11
(e) Civil Appeals.	243	259	288	311	248	272	39
2. *Civil Judge, Bikaner.*							
(a) Civil Cases.	109	117	78	103	85	90	21
(b) Small Cause. Court cases.	229	212	184	195	244	252	—
(c) Appeals-	91	97	120	110	104	140	—
3. *Munsiff, Bikaner.*							
(a) Civil Cases.	412	426	418	456	419	446	30
(b) Crim.Cases.	—	—	—	—	85	25	—
Addl. Munsiff Mag., Bikaner.	—	—	—	—	475	*203	*44

Note:—1. The Court of Additional Munsiff Magistrate, Bikaner was created with effect from 1-9-62 in the partial separation scheme.

2. The Munsiff, Bikaner was invested with magisterial powers with effect from 1-9-62 in the partial separation scheme.

3. Out of 85 cases instituted in the court of Munsiff Magistrate Bikaner 80 cases have been received by transfer.

4. Out of 475 cases instituted in the court of Addl. Munsiff Magistrate, Bikaner 388 have been received by transfer and include 44 over one year old cases.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न सख्या २७७ का उत्तर देखिये)

सूची जहां पाईप लाईनें फटी व लीक हुई

१. मेहरों का मोहल्ला
२. कुचीलपुरा मोहल्ला
३. मुटों का मोहल्ला
४. गोसियान मोहल्ला
५. पुरानी गिनानी मोहल्ला
६. मेघवाल मोहल्ला
७. पज्जा बगर मोहल्ला
८. रानीसर वास
९. नई गिनानी मोहल्ला
१०. चौखूंटी मोहल्ला
११. हरिजनों की वडी नवाड़
१२. कमला नगर कोलोनी
१३. पठान मोहल्ला
१४. मोहल्ला गेरसरियान
१५. फड बाजार मोहल्ला
१६. सुथार मोहल्ला
१७. क्यामखानी मोहल्ला
१८. पंवारसर मोहल्ला
१९. पावर हाउस मोहल्ला
२०. हनुमान हत्था
२१. माजी सहाब का बास
२२. रथखाना कोलोनी
२३. सिविल लाइन मिलिट्री एरिया
२४. चोतीना मोहल्ला
२५. अलखसागर मोहल्ला
२६. तोलियासर भैरूजी मोहल्ला
२७. मंहता धर्मशाला
२८. जेलबेल मोहल्ला
२९. धोबी मोहल्ला
३०. धोबी तलाई मोहल्ला
३१. नया वास मोहल्ला
३२. गुरूद्वारा मोहल्ला
३३. इन्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार
३४. सोहन कोठी मोहल्ला
३५. सूतरखाना
३६. सार्दूल कोलोनी
३७. सार्दूल गंज एरिया
३८. लोहार मोहल्ला
३९. ठठेरा मोहल्ला
४०. मुंडिया माली मोहल्ला
४१. धोबी मोहल्ला
४२. दर्जी मोहल्ला
४३. छीपों का वास
४४. तेली मोहल्ला
४५. चूनगर मोहल्ला
४६. मोहल्ला तेलीवाड़ा
४७. बिनानियों का मोहल्ला
४८. नरसंग चौक मोहल्ला
४९. मोचियों का मोहल्ला
५०. बांठियों का मोहल्ला
५१. बैदों का चोक
५२. आचारियों का मोहल्ला
५३. सुथारों की वड़ी गवाड़
५४. दर्जीयों की बड़ी गवाड़
५५. मट्टों का चौक
५६. बेनीसर मोहल्ला
५७. मोहल्ला लक्ष्मीनाथजी मन्दिर
५८. हम्मालों का मोहल्ला
५९. छबीली घाटी
६०. मोहल्ला बछावतों का ढिग्गा
६१. डागों की पोल मोहल्ला
६२. चूड़ीगर मोहल्ला

Page No 110

६३. उस्तों का मोहल्ला
६४. सिंधियों का चौक
६५. ढाढों का मोहल्ला
६६. कोठारी मोहल्ला
६७. बागडी मोहल्ला
६८. गिराणी सोनार मोहल्ला
६९. गोगागेट मोहल्ला
७०. गूजर मोहल्ला
७१. मोहल्ला कोचर चौक
७२. सेठिया मोहल्ला
७३. सोनार मोहल्ला
७४. असावत सोनार मोहल्ला
७५. रांगडी मोहल्ला
७६. मुकिमों बोथरों का मोहल्ला
७७. आसानियों का चौक
७८. मोहता चौक मोहल्ला
७९. लखोटियों का मोहल्ला
८०. सुनार मोहल्ला
८१. बीदासर बारी मोहल्ला
८२. मोहल्ला बागी नाडा
८३. दादा बाडी मोहल्ला
८४. जोशीवाडा मोहल्ला
८५. सिक्कों का मोहल्ला
८६. मोची मोहल्ला
८७. फराश मोहल्ला
८८. कुम्हार मोहल्ला
८९. माली मोहल्ला
९०. डाकोतों का मोहल्ला
९१. रामपुरिया मोहल्ला
९२. दर्जी मोहल्ला
९३. गुसाइयों का मोहल्ला
९४. मेघवाल मोहल्ला
९५. खटीक मोहल्ला
९६. मोहल्ला डुडी सिपाहियान
९७. पाबूबारी मोहल्ला
९८. नया शहर मोहल्ला
९९. सोहनगिरी मोहल्ला
१००. डूमों का मोहल्ला
१०१. पुजारी मोहल्ला
१०२. पारीक मोहल्ला
१०३. जस्सूसर मोहल्ला
१०४. डागों का मोहल्ला
१०५. चूनगर मोहल्ला
१०६. बिनानी मोहल्ला
१०७. बिस्सर मोहल्ला
१०८. लालानी व्यासों का मोहल्ला
१०९. दम्मानी मोहल्ला
११०. हर्षो का मोहल्ला
१११. साले की होली
११२. मोहल्ला जस्सोलाई तलाई
११३. बारह गवाड मोहल्ला
११४. नथ्थानी की'सराय
११५. राजरंगों व सूरदासानी मोहल्ला
११६. नथ्थूसरगेट एरिया
११७. हरिजन मोहल्ला
११८. ईदगाह बारी बास
११९. सुथारों का मोहल्ला
१२०. मोहल्ला चांडको का

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १२ मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१९६४	३	मत्री	मंत्री
,,	अन्तिम से २	अव	अब
१९६६	२६	श्री भीभसिह	श्री भीमसिह
१९७१	१४	प्रेविट्स	प्रेक्टिस
,,	२३	सालोदियया	सालोदिया
१९७३	शीर्षक	प्रश्नोत्त	प्रश्नोत्तर
१९८१	१६	श्री योगन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
१९८३	६	श्री मरलीधर	श्री मुरलीधर
१९९०	१६	गह	गृह
१९९७	२६	म यह	मैं यह
१९९९	८	उप-गृह मंत्री	उप-मंत्री, गृह
२००७	२६	सीमांकन:—	सीमांकन
२००८	२३	निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	अन्तिम से २	पूछे-ताछ	पूछे-ताछे
२००९	अन्तिम से ४	अचार्य	आचाय
२०१३	४	कलक्टर	कलेक्टर
२०१८	२७	केद्रीय	केन्द्रीय
२०२०	अन्तिम से २	निकले	निकल गया
२०२१	१७-१८	का चाहते	का xxxx चाहते हें
,,	अन्तिम पंक्ति	कैसे कह सकते हैं ?	कैसे कह सकत हैं ?
			xxxxअध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ! !
२०२३	२२	पर की	परxxxxकी
,,	अन्तिम पंक्ति	होनी चाहिये	हानो चाहिये
			xxxxअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ! !
२०२७	७	मम्बन्धी समय	सम्बन्धी एव समय
२०२८	शीर्षक	विधेयक	विषयक
,,	२६	विशषाधिकार प्रश्न विषेयक	विशेषाधिकार प्रश्न विषयक
,,	२७	सुरानी	सुराणा
,,	२८	Orders Sir,	Order Sir,
२०२९	१८	ह	है
२०३२	शीर्षक	वाव-विवाद	वाद-विवाद
२०३३	शीर्षक	१९३-६४	१९६३-६४
२०३४	८	भतपूव	भूतपूव

Page No 112

१	२	३	४
२०३६	५	श्राश्तकारों	काश्तकारों
२०३८	२१	नि सहाय	निस्सहाय
२०४१	अंतिम पंक्ति	ताया	बताया
२०४२	अन्तिम से २	पर्याप्ति	पर्याप्त
२०४३	७	eountry	country
२०४६	अन्तिम पंक्ति	खच	खर्च
२०४८	७	है कि	हूं कि
,,	११	चाहुंगा	चाहूंगा
२०५३	११	एमर्ज सी	एमर्जेन्सी
२०५४	१५	इरिगेशन	इरिगेशन
२०५६	१	भवों	भावों
२०६३	११	टैक्सज	टैक्सेज़
२०७३-७४	शीर्षक	माज	मार्च
२०७५	१–२	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)	विलोपित कीजिये
२०७६	२४	शिफारिशों	सिफारिशों
,,	२५	गर्ज की	गज कीं
२०७७	अन्तिम पंक्ति	हा	हूं
२०७९	२२	ो भय है। कि	को भय है कि
२०८०	१४–१५	व लटर	वे लेटर्स
२०८३	अंतिम पंक्ति	पच का भी अंगठा	पंच का भी अंगूठा
२०८७	२१	पहूंचा	पहुंचा
२०९३	२५	म	में
,,	२८	ह	है
२०९६	१९	(लणकरणसर)	(लूणकरणसर)
२०९८	शीर्षक	सामांन्य	सामान्य
२०९९	२७	बहुप	बहुत
२१००	६	म	में
२१०४	२३	५० बीघा	५०) रु० बीघा
२१०४	२५	५००) बीघा	५००) रु० बीघा
,,	२९	ट्रांसफंस	ट्रांस्फर्स
२११५-१६	शीर्षक	माच	मार्च
२११९	अंतिम पंक्ति	ोटोज़	फोटोज़
२१२०	२७–२८	(Order Order Please)	Order ! Order Please !!
२१२४	३२	खुश्चव	रव्रुश्चव
२१२५	१४	कहुगा	कहूंगा
२१२६	२५	डेवपम्मेन्ट	डेवलपमेन्ट
२१३२	शीर्षक	सामा य	सामान्य
२१३८	२८	हं	हूं
२१४६	९	कहा तक	कहां तक
,,	२७	इरीगशन	इरिगेशन
२१४८	अन्तिम से २	मालम	मालूम
२१५९	अन्तिम पंक्ति	न से	इन से
२१६९	३	के शीर्षक	के शीर्षक–१९६३
२१७०	अन्तिम से ४	चर्चा।	चर्चा–२०२३
२१७१	अन्तिम से ७	वाद-विवाद।	वाद-विवाद–२०३०